मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2017–18

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2017–18

मंत्री	–	श्रीमती माया सिंह
प्रमुख सचिव	–	श्री विवेक अग्रवाल
आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास	–	–''–
आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश	–	श्रीमती स्वाती मीणा नायक
आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल	–	श्री रविन्द्र सिंह
अपर सचिव	–	श्री राजीव शर्मा
उप सचिव	–	श्री भरत यादव
उप सचिव	–	श्री सी.के. साधव
वित्तीय सलाहकार	–	श्री अंजनी कुमार

प्रस्तावना

नगरीय विकास एवं आवास विभाग का वर्ष 2017–18 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

(विवेक अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2017–18
–: विषय सूची :–

क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	विभागीय संरचना	1
2.	विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय एवं संस्थाएं	1
3.	विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम	1
4.	विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	2
5.	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास	4
6.	संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश	34
7.	राजधानी परियोजना प्रशासन	45
8.	राज्य नगर नियोजन संस्थान	52
9.	मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल	61
10.	मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम	73
11.	परिशिष्ट	76

विभागीय संरचना

1 नगरीय विकास एवं आवास विभाग की प्रशासनिक संरचना निम्नानुसार हैः–

1.1 राज्य मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधीन एक अपर सचिव, एक वित्तीय सलाहकार, दो उप सचिव तथा एक अवर सचिव पदस्थ हैं।

2. विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय/संस्थाएं

(1) संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास।
(2) संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश।
(3) राजधानी परियोजना प्रशासन।
(4) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल।
(5) राज्य नगर नियोजन संस्थान।
(6) मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम।

3. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम

3.1 राज्य शासन द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग को निम्नांकित अधिनियमों के प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है :–

(1) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956
(2) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961
(3) पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(4) विदिशा (भेलसा) रामलीला विधान, 1956
(5) सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955
(6) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(7) स्लाटर ऑफ एनीमल्स एक्ट (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(8) मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984
(9) मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976
(10) मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और पथ पर विक्रय का विनियमन अधिनियम, 2011
(11) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973
(12) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
(13) मध्यप्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961
(14) मध्यप्रदेश भूमि उपयोग विनियमन अधिनियम, 1948
(15) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972
(16) मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 1976
(17) मध्यप्रदेश नगर तथा परिक्रमा नियंत्रण अधिनियम, 1960
(18) मध्यप्रदेश अर्जन अधिनियम, 1948
(19) अचल संपत्ति (अधिग्रहण तथा अर्जन) अधिनियम, 1952
(20) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012
(21) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975

4. विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय

विभाग के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :–

(1) पट्टे के दस्तावेजों के वितरण की प्रगति का परिवीक्षण

(2) नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन अर्थात नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद एवं अन्य विभागों को न सौंपे गए निकायों से संबंधित समस्त विषय

(3) यात्रियों पर सीमा कर को छोड़कर नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित किए गए कर का प्रशासन

(4) मध्यप्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि का प्रशासन

(5) नगरीय क्षेत्रो में कांजी हाउस और उनमे पशु अतिचार की रोकथाम

(6) नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर परिषदों के प्रबंध के अधीन बाजार और नगरीय क्षेत्रों में मेले

(7) नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता

(8) विभिन्न अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित गंदी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण एवं गंदी बस्ती निवारण एवं सुधार से संबंधित योजनाएं

(9) नगरीय महायोजनाओं और उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों में संशोधन

(10) नगरीय क्षेत्रो में गरीबों के लिए आवास नीतियों का निर्धारण तथा समन्वयन। गरीबों के उन्नयन के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका परिवीक्षण करना

(11) विभाग से संबंधित सेवाओं में नियुक्तियां, पदस्थापना, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, सेवा निवृत्ति वेतन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां एवं दण्ड तथा अभ्यावेदन से संबंधित कार्यवाही

(12) UIDSSMT, IHSDP, DAY-NULM, अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल/अधोसंरचना विकास योजनाओं का क्रियान्वयन

(13) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं का क्रियान्वयन

(14) नगरीय निकायों के कर्मचारियों की पेंशन, परिवार कल्याण एवं समूह बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन

(15) स्वच्छ भारत मिशन

(16) म.प्र. शहरी अधोसंरचना कोष का प्रशासन

(17) म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी का प्रशासन

(18) म.प्र. मेट्रो रेल कंपनी का प्रशासन

(19) मध्यप्रदेश प्रापर्टी टैक्स बोर्ड का प्रशासन

(20) शहरी यातायात एवं परिवहन का प्रशासन

(21) प्रदेश के शहरों में संवहनीय लोक परिवहन एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना

(22) शहरी अधोसंरचना

(23) शहरी गरीबों के लिये आवास

(24) शहरी पेयजल

(25) आग की रोकथाम

(26) शहरी सुधार कार्यक्रम

(27) मल–जल शोधन संयंत्रों की स्थापना में निकायों को सहयोग

(28) ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण

(29) प्राकृतिक जल स्त्रोतों का संरक्षण

(30) नगर विकास योजना तैयार करना

(31) शहरी गरीबों का कौशल उन्नयन

(32) नगर तथा ग्राम निवेश

(33) वास्तुकला

(34) नगरीय विकास

(35) राज्य की नगरीय गृह निर्माण नीति से संबंधित समस्त विषय तथा नगरीय गृह निर्माण योजनाओं का क्रियान्वयन एवं समन्वय

(36) आवास स्थान को भाड़े या उप–भाड़े पर देना जिसमें उसका अर्जन तथा अधिग्रहण सम्मिलित है।

(37) कामन पूल के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए निधियों का आवंटन तथा प्रशासकीय अनुमोदन

(38) राजधानी परियोजना तथा उसके प्रशासन से संबंधित समस्त विषय

———————

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास

भाग – एक

विभागीय संरचना

विभाग के अंतर्गत आयुक्त के अधीन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास का विभागाध्यक्ष कार्यालय गठित है।

1. **संभागीय कार्यालय**

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के अधीन संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक के कार्यालय इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और रीवा में गठित हैं। संभाग स्तर पर नगरीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन और उनकी परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिये अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री पदस्थ हैं।

2. **राज्य शहरी विकास अभिकरण**

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शहरी गरीबों के कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये विभागीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में ''राज्य शहरी विकास अभिकरण'' का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग इसके उपाध्यक्ष हैं, तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अभिकरण के पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं।

3. **जिला शहरी विकास अभिकरण**

नगरीय निकायों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यो के पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी जिलों में जिला शहरी विकास अभिकरण गठित हैं। इन अभिकरणों में विभाग द्वारा परियोजना अधिकारी पदस्थ किये गये हैं।

4. विभाग के अंतर्गत स्थापित संचालनालय, उसके संभागीय कार्यालयों और जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिए स्वीकृत अमले का विवरण **परिशिष्ट–एक** पर है।

5. **नगरीय स्थानीय निकाय**

प्रदेश में कुल 386 नगरीय स्थानीय निकाय हैं, जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	**निकाय की श्रेणी**	**संख्या**
1	नगरपालिक निगम	16
2	नगरपालिका परिषद	98
3	नगर परिषद	272
	योग	386

5.1 प्रदेश में गठित नगरीय स्थानीय निकायों की जिलेवार सूची **परिशिष्ट–दो** पर है।

————————

भाग–दो

बजट विहंगावलोकन

1. संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए विभागीय बजट में कुल रूपये 1343550.30 लाख का प्रावधान किया गया था, उक्त प्रावधान के विरूद्ध वर्ष 2017–18 में दिसम्बर, 2017 तक कुल रूपये 563363.17 लाख का व्यय किया गया है।

2. उपरोक्तानुसार प्रावधानित राशि में से **आयोजना** मदों तथा **आयोजनेतर** मदों में मदवार/योजनावार व्यय की जानकारी क्रमशः **परिशिष्ट–तीन (एक)** एवं **परिशिष्ट–तीन (दो)** पर है।

3. विभागीय बजट में आयोजना मद के अन्तर्गत मुख्य रूप से केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय अंशदान प्राप्त अमृत, हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन एवं बाह्रय वित्त पोषित योजनाएं संचालित है ।

4. राज्य आयोजना की प्रमुख योजनाओं में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना तथा शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु मास रेपिड ट्रांस्पोर्ट सिस्टम, सर्वे एवं मेट्रो रेल की डी.पी.आर. तैयार करने हेतु बजट रखा गया है।

5. राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों को अन्य संस्थाओं से प्रदाय किए गए ऋणों की प्रतिभूति के विरूद्ध पुर्नभुगतान की व्यवस्था बजट में की गई है।

6. आयोजनेतर मद में मुख्य रूप से नगरीय निकायों को भुगतान किए जाने वाले चुंगी क्षतिपूर्ति/यात्री कर क्षतिपूर्ति, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए देय अनुदान आदि तथा संचालनालय एवं उसके संभागीय कार्यालयों के वेतन भत्तों के लिये प्रावधान किए गए हैं।

———————

भाग–तीन

राष्ट्रीय, राज्य एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

(अ) राष्ट्रीय योजनाएं

1 स्मार्ट सिटी मिशन

1.1 भारत सरकार द्वारा 25 जुलाई 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन गाईडलाईन जारी की गई थी, जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में प्रतिस्पर्धा के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाना था। स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्वेश्य शहरों का समुचित विकास, आर्थिक सुधार तथा नागरिकों की जीवन शैली में सुधार तथा क्षेत्रीय विकास है।

1.2 शहरों के लिये 100 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति शहर के मान से कुल 500 करोड़ रूपये तथा इतनी ही राशि राज्य शासन को मिलाये जाने का प्रावधान है।

1.3 भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार प्रथम चरण में प्रदेश के 14 नगर निगमों को प्रतिस्पर्धा हेतु आमंत्रित किया गया था तथा गाईडलाईन में जारी प्रावधान अनुसार 7 शहरों का चयन किया गया जिसमें भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना एवं सागर का चयन हुआ।

1.4 उक्त सातों शहर ने भारत सरकार द्वारा जारी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया तथा प्रथम चरण मे 20 शहरों की सूची में प्रदेश के सर्वाधिक 3 शहर **भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर** का चयन किया गया।

1.5 भारत सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के द्वितीय चरण में **उज्जैन एवं ग्वालियर** शहर का चयन किया गया तथा प्रतिस्पर्धा के तृतीय चरण में जून 2017 में **सागर एवं सतना** शहरों का चयन किया गया है।

1.6 स्मार्ट सिटी के सुचारू संचालन एंव मॉनिटरिंग हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हाई पॉवर स्टेरिंग कमेटी का गठन किया गया है तथा शहर स्तर पर गाईडलाईन में दिये गये निर्देशानुसार **स्पेशल परपस वेहिकल्स (एसपीवी)** का गठन किया गया है। एसपीवी के अध्यक्ष जिले के कलेक्टर, कार्यपालक संचालक–नगर निगम के आयुक्त तथा प्रत्येक शहर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) भी नियुक्त किये गये है। एसपीवी अर्न्तगत अन्य मनोनीत अधिकारीयों में चीफ प्लानर, चीफ फॉयनेंस ऑफिसर, प्रबंधक ई गवर्नेन्स अधिकारी, कंपनी सेक्रेटरी, अधीक्षण यंत्री आदि को शामिल किया गया है।

1.7 प्रदेश के अन्तर्गत कुल रू. 20,000 करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट की योजना बनाई गई है इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य योजनाओं से राशि (Seed Funding) रू. 11,678 करोड़ (अमृत, हाउसिंग फॉर ऑल, स्वच्छ भारत मिशन आदि) से लीवरेजिंग किया गया है।

1.8 स्मार्ट सिटी मिशन का क्रियान्वयन सुनियोजित कार्ययोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है जिसमें पॉच नगरों में–32 प्रोजेक्ट लागत रु. 367.70 करोड के पूर्ण किये जा चुके है। 118 प्रोजेक्ट लागत रु. 2595.47 करोड के कार्यादेश जारी किये जा चुके है तथा 43 प्रोजेक्ट लागत रु. 1307.40 करोड के निविदा प्रक्रिया मे है।

1.9 स्मार्ट सिटी योजना के तृतीय चरण में माह जून 2017 में सागर एवं सतना का चयन किया गया। एसपीवी के गठन के पश्चात् मिशन गाईड लाइन अनुसार सागर एवं सतना स्मार्ट सिटी मे योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रोजेक्ट मेनेजमेंट कंसलटिंग के चयन की प्रक्रिया प्रचलन मे है।

1.9 भोपाल स्मार्ट सिटी

1.9.1 **स्मार्ट स्ट्रीट लाईट पोलः–** भोपाल स्मार्ट सिटी कॉरपोशन द्वारा पब्लिक प्राईवेट पार्टनशिप (पीपीपी) के आधार पर रू. 690 करोड़ का अनुबंध किया गया है, जिसके अन्तर्गत 400 इंटेलिजेन्टस पोल, 20,000 एलईडी आधारित एनर्जी एफीस्यिंट एलईडी स्ट्रीट लाईट लगाये जायेगें। इस कार्य हेतु नगर निगम को कोई राशि व्यय नही करना होगी तथा कम्पनी द्वारा 47 करोड़ की राशि नगर निगम को भुगतान किया जायेगा। कम्पनी द्वारा उपरोक्त विवरण अनुसार 20400 खम्बों को ऑपटिकल फाईबर द्वारा जोड़ा जायेगा तथा कम्पनी उक्त केबल को अन्य कम्पनियों को लीज पर दे सकेगी। इसके अतिरिक्त कम्पनी को इन खम्बों पर विज्ञापन लगाये जाने के अधिकार भी होगें। अभी तक 16000 स्ट्रीट लाईट को एलईडी लाईट में बदला जा चुका है तथा 100 स्मार्ट पोल लगाये जा चुके हैं।

1.9.2 **पब्लिक बाईक शेयरिंगः–** इसके अन्तर्गत 50 साईकल स्टेशन बनाये गये हैं। जिसमें प्रत्येक डॉकिंग स्टेशन पर 10 साईकल उपलब्ध रहेगी। इसके लिये 5 मीटर चौड़ा एवं 12 कि.मी. लम्बाई के साथ बीआरटीएस के साथ–साथ निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिये भी Next बाईक कम्पनी से अनुबंध कर लिया गया है। अभी तक 500 साईकल आ चुकी है तथा 25000 से अधिक नागरिकों द्वारा रजिस्टेंशन किया जा चुका है।

1.9.3 **कमांड एंड कंट्रोल सेंटरः–** राज्य स्तर से सातों स्मार्ट सिटी मे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना हेतु कंसलटेंट का चयन किया जा कर प्रारंभिक कार्य प्रगति मे है। इस कार्य हेतु भोपाल स्मार्ट सिटी को नोडल सिटी बनाया गया। स्मार्ट सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का कार्य जुलाई 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं।

1.9.4 **क्षेत्र आधारित विकास (Area Based Development) :–** इसके अन्तर्गत 342 एकड़ भूमि में पुर्नविकास किया जाना हैं, इस हेतु टाटा कंसलटिंग इंजीनियर को प्रोजेक्ट मेनेजमेंट कंसलटिंग का कार्य आंवटित किया गया है। उक्त एजेंसी द्वारा क्षेत्र आधारित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार किया गया है एवं मास्टर प्लान के अनुरुप चैन्ज इन लैण्ड यूज़, भूमि विकास नियम आदि में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

1.9.5 भोपाल स्मार्ट सिटी एसपीवी द्वारा क्रियान्यवित किये जा रहे प्रोजेक्टस की जानकारी निम्नानुसार हैः–

मिशन अंतर्गत 7 प्रोजेक्ट लागत रू. 32.83 करोड, के पूर्ण किये जा चुके है। 20 प्रोजेक्ट लागत रू. 1380.95 करोड के कार्यादेश जारी किये जा चुके है। 1 प्रोजेक्ट अनुमानित लागत रू. 5.00 करोड, की निविदा प्रकिया मे है।

1.10 इन्दौर स्मार्ट सिटी

1.10.1 **स्मार्ट स्टीट लाईट पोलः** इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप आधार पर भोपाल शहर को छोड़कर अन्य समस्त स्मार्ट सिटी को सम्मिलित करते हुए **स्मार्ट स्टीट लाईट पोल की** common RFP बनाने कि प्रक्रिया प्रगति पर हैं। इस कार्य हेतु इंदौर स्मार्ट सिटी को नोडल सिटी बनाया गया।

1.10.2 **स्मार्ट रोडः–** इन्दौर स्मार्ट सिटी एरिया में दो रोड़ सेक्शन को स्मार्ट रोड़ बनाने के लिये अनुबंध किये जा चुके है। योजना का क्रियान्वयन प्रगति में है। ABD क्षेत्र में स्मार्ट रोड के निमार्ण के साथ एक Bridge का निर्माण किया जाना हैं। प्रोजेक्ट समयावधि 03 वर्ष हैं और लागत लगभग 172 करोड़ हैं।

1.10.3 **Heritage Conservation** (धरोहर संरक्षण):–राजवाड़ा, गोपाल मंदिर, होल्कर छत्री आदि स्मारकों के धरोहर संरक्षण का कार्य प्रगति पर हैं।

1.10.4 **क्षेत्र आधारित विकास (Area Based Development) :–**क्षेत्र आधारित विकासः 742 एकड़ भूमि पर पुनर्विकास किया जाना हैं। क्षेत्र आधारित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार किया गया है एवं

मास्टर प्लान के अनुरुप चैन्ज इन लैण्ड यूज़, भूमि विकास नियम आदि में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

1.10.5 **रिवर फ्रंट डेवलपमेंटः–** अंतर्गत कान नदी के संरक्षण, संवर्धन एवं सफाई की कार्यवाही प्रगति पर हैं। नदी के आसपास पार्क निमार्ण आदि कार्य प्रचलन में हैं।

1.10.6 इन्दौर स्मार्ट सिटी एसपीवी द्वारा क्रियान्यवित किये जा रहे प्रोजेक्टस की जानकारी निम्नानुसार हैः–इन्दौर शहर के 13 प्रोजेक्ट लागत रू. 35.17 करोड, के पूर्ण किये जा चुके है। इन्दौर शहर के 55 प्रोजेक्ट लागत रू. 933.08 करोड, के कार्यादेश जारी किये जा चुके है। इन्दौर शहर के 06 प्रोजेक्ट लागत रू. 322.40 करोड, की निविदा प्रक्रिया मे है।

1.11 जबलपुर स्मार्ट सिटी

1.11.1 **Waste-to-Energy Plant**–जबलपुर स्मार्ट सिटी कॉरपोशन द्वारा पब्लिक प्राईवेट पार्टनशिप (पीपीपी) के आधार पर रू. 178 करोड़ का अनुबंध किया गया है जिसके अन्तर्गत शहर का समस्त ठोस अपशिष्ट का संग्रहण कर बिजली बनाये जाने का कार्य प्रांरभ हो चुका है तथा प्रतिदिन 11.7 मेगावॉट बिजली का उत्पादन प्रांरभ हो गया है।

1.11.2 **RFID (Radio Frequency Identification)Tagging** के द्वारा कचरा संग्रहण की प्रक्रिया को हाईटेक किया गया हैं। डस्टबिन एवं कंटेनर में आरएफआईडी टेग लगाया जाकर रियल टाईम कचरा प्रबंधन किया जा रहा हैं। अन्य स्मार्ट सिटी शहर भी जबलपुर स्मार्ट सिटी से समन्वय कर इस संबंध में अपने शहरो में कार्यवाही करेंगें। 2 लाख RFID Tagging की जा चुकी है। प्रोजेक्ट की कुल लागत 6.5 करोड़ हैं।

1.11.3 **इन्क्यूबेशन सेंटरः–**जबलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा इन्क्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया जा चुका हैं। इसके माध्यम से रोजगार हेतु कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा हैं।

1.11.4 **क्षेत्र आधारित विकास (Area Based Development)** :– इसके अन्तर्गत चयनित एजेंसी द्वारा क्षेत्र आधारित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार किया गया है एवं मास्टर प्लान के अनुरुप चैन्ज इन लैण्ड यूज़, भूमि विकास नियम आदि में संशोधन की र्कावाही नियमानुसार प्रचनल में हैं।

1.11.5 **जबलपुर स्मार्ट सिटी** एसपीवी द्वारा क्रियान्यवित किये जा रहे प्रोजेक्टस की जानकारी निम्नानुसार हैःजबलपुर शहर के 9 प्रोजेक्ट लागत रू. 284.62 करोड, के पूर्ण किये जा चुके है। जबलपुर शहर के 23 प्रोजेक्ट लागत रू. 132.57 करोड, के कार्यादेश जारी किये जा चुके है। जबलपुर शहर के 13 प्रोजेक्ट लागत रू. 470.12 करोड, की निविदा प्रक्रिया मे है।

1.12 उज्जैन स्मार्ट सिटी

1.12.1 **ई–रिक्शा** के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण करते हुए यातायात प्रबंधन का कार्य किया गया हैं। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1.5 करोड़ है।

1.12.2 **बाईक शेयरिंग** के द्वारा Non Motorized Transport एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का कार्य किया गया हैं। 100 साईकल प्राप्त की जा चुकी है एवं 300 साईकल अगले 06 माह की अवधि में प्राप्त होगी।

1.12.3 **क्षेत्र आधारित विकास (Area Based Development-ABD)** हेतु 45 प्रोजेक्ट का चयन किया गया है, जिनके विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जा रहे है। पेन सिटी अंतर्गत Public Mobility, Smart Classes आदि की र्कावाही प्रचनल में हैं।

1.12.4 उज्जैन स्मार्ट सिटी एसपीवी द्वारा क्रियान्यवित किये जा रहे प्रोजेक्टस की जानकारी निम्नानुसार हैः–उज्जैन शहर के 3 प्रोजेक्ट लागत रू. 15.08 करोड के पूर्ण किये जा चुके है। उज्जैन शहर के 11 प्रोजेक्ट लागत रू. 142.75 करोड के कार्यादेश जारी किये जा चुके है। उज्जैन शहर के 09 प्रोजेक्ट लागत रू. 440.92 करोड की निविदा प्रक्रिया मे है।

1.13 ग्वालियर स्मार्ट सिटी

1.13.1 क्षेत्र आधारित विकास (**Area Based Development-ABD)** हेतु प्रोजेक्ट मेनेजमेंट कंसलटिंग का चयन किया जाकर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। पेन सिटी अंतर्गत लेडीज पार्क, शिवाजी पार्क एवं नेहरु पार्क पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है।

1.13.2 ग्वालियर स्मार्ट सिटी एसपीवी द्वारा कियान्यवित किये जा रहे प्रोजेक्टस की जानकारी निम्नानुसार हैः—ग्वालियर शहर के 9 प्रोजेक्ट लागत रू. 6.32 करोड के कार्यादेश जारी किये जा चुके है। ग्वालियर शहर के 14 प्रोजेक्ट लागत रू. 68.96 करोड की निविदा प्रक्रिया मे है।

स्मार्ट सिटी योजना के विस्तार स्वरूप मध्यप्रदेश सरकार की पहल :—

केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य स्तर के छोटे महत्वपूर्ण शहरों को आधुनिक बनाये जाने के लिये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राज्य स्तर से ''**मिनी स्मार्ट सिटी**'' योजना लागू की गयी है। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत 12 शहरों का चयन किया जाना है। प्रत्येक निकाय को 25—25 करोड़ राज्य शासन द्वारा दिये जायेगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा अनुसार 05 शहर **मैहर, अमरकंटक, ओरछा, चित्रकूट तथा मुंगावली** को सम्मिलित किया गया है।

2 अमृत मिशन

2.1 भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 25 जून 2015 को एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरो में अधोसंरचना विकास हेतु अटल नवीकरण और शहरी परिर्वतन मिशन (अमृत) का शुभारंभ किया गया है।

2.2 मिशन के अंतर्गत प्राथमिक रूप से शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें (अर्थात, जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन आदि) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेष रूप से गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा।

2.3 प्रदेश में मिशन शहरों के अंतर्गत नागरिकों की सुविधा के लिये अमृत मार्गदर्शिका के अनुसार विभिन्न सेवा स्तरीय बेंच मार्क को प्राप्त किया जाना है।

2.4 अमृत परियोजना के घटकों में क्षमता निर्माण, सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थल और पार्क शामिल हैं । आयोजन के दौरान, शहरी स्थानीय निकायों को भौतिक अवसंरचना घटकों में कुछ स्मार्ट विशेषताओं को शामिल करने का प्रयास करना होगा। मिशन घटकों का विवरण निम्नानुसार हैः—

2.5 जलापूर्ति

2.5.1 प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति (135 LPCD) उपलब्ध कराना।

2.5.2 मौजूदा जलापूर्ति में वृद्धि करने जल शोधन संयंत्रों और सभी जगहों पर मीटर लगाने सहित वर्षा जल आपूर्ति प्रणाली।

2.5.3 शोधन संयंत्रों सहित पुरानी जलापूर्ति प्रणालियों का पुर्नस्थापन।

2.5.4 विशेषतया पेयजल आपूर्ति और भूमिगत जल पुनःभरण के लिए जलाशयों का पुर्नरूद्धार।

2.6 सीवरेज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट

2.6.1 प्रत्येक परिवार को जल—मल निस्तारण के लिये सीवेज कनेक्शन सुलभ हो ।

2.6.2 मौजूदा सीवरेज प्रणालियों और सीवेज शोधन संयंत्रों के संवर्धन सहित विकेन्द्रीकृत, नेटवर्कबद्ध भूमिगत सीवरेज प्रणालियाँ।

2.6.3 पुरानी सीवरेज प्रणालियों और शोधन संयंत्रों का पुर्नस्थापना।

2.6.4 लाभकारी प्रयोजन के लिये शोधित जल का पुर्नचक्रण एवं अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग।

2.6.5 मल गाद प्रबंधन, कम लागत पर सफाई, परिवहन एवं शोधन।

2.6.6 सीवर और सेप्टिक टैंकों की यांत्रिकी और जैविक सफाई और प्रचालन की पूरी लागत वसूली।

2.6.7 सीवरेज परियोजनाओं को लागू करने में विशिष्ट घटकों जैसे–ऊर्जा उत्पादन, सोलर सेलों का उपयोग (जिससे अनुरक्षण एवं प्रबंधन व्यय में कमी की जा सके) ।

2.7 लोक परिवहन सुविधा को बढ़ावा देना

2.7.1 गैर मोटरीकृत परिवहन (एन.एम.टी.) के लिये फुटपाथ, फुट ओव्हर ब्रिज का निर्माण।

2.7.2 बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण।

2.7.3 द्रुत बस परिवहन प्रणाली (BRTS)

2.8 वर्षा जल नालों का विकास

2.8.1 बाढ़ को कम करने और समाप्त करने के उद्देश्य से नालों एवं वर्षा जल नालों का निर्माण एवं सुधार।

2.9 हरित क्षेत्र एवं सुव्यवस्थित पार्कों का विकास

2.9.1 हरित स्थान एवं शिशु अनुकूल घटकों हेतु विशेष प्रावधान के साथ पार्कों का विकास, प्रबंधन के साथ पार्कों निर्माण एवं उन्नयन।

2.9.2 पार्क में बच्चों के खेलने के लिये झूले आदि की व्यवस्था।

2.9.3 नागरिकों को पार्क भ्रमण के लिये वाकिंग ट्रेक (पाथ वे) का निर्माण।

2.9.5 निकाय को स्थानीय निवासी भागीदारी के साथ रखरखाव हेतु प्रणाली की स्थापना करना।

2.10 वित्तीय प्रबंधन

2.10.1 वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 10 लाख एवं इससे अधिक जनसंख्या वाली नगरीय निकायों के लिये

केन्द्रांश : 33 प्रतिशत, राज्यांश : 50 प्रतिशत, निकाय अंश : 17 प्रतिशत।

2.10.2 वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 10 लाख से कम जनसंख्या वाली नगरीय निकायों के लिये

केन्द्रांश : 50 प्रतिशत, राज्यांश : 40 प्रतिशत, निकाय अंश : 10 प्रतिशत।

2.10.3 अधोसंरचना विकास के हरित क्षेत्र एवं पार्क निर्माण घटक हेतु सभी मिशन शहरों के लिये

केन्द्रांश : 50 प्रतिशत, राज्यांश : 40 प्रतिशत, निकाय अंश : 10 प्रतिशत।

2.10.4 अमृत मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाऐ एवं उनकी प्रगति का विवरण **परिशिष्ट–चार** पर है

3. प्रधानमंत्री आवास योजना

3.1 भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ दिनांक 25.06.2015 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया गया है, इस योजना के अंतर्गत (भारत सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकाय एवं हितग्राही के सहयोग से) शहरी गरीबों को वर्ष 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराना है।

3.2 योजनातंर्गत शहरी गरीबों को निम्न 4 घटकों के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जानी है:–

- "स्व स्थाने" स्लम पुर्नविकास ("In Situ" Slum Redevelopment).
- क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम् से किफायती आवास (Affordable Housing through Credit Linked Subsidy).
- भागीदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership).
- लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिये सब्सिडी (Subsidy for beneficiary-led individual house construction).
-

3.3 नगरीय निकाय अथवा राज्य की अन्य निर्माण एजेंसियां उक्त चारों में से एक या एक से अधिक सभी विकल्पों पर योजना तैयार कर सकती है।

3.4 योजना अंतर्गत निम्नलिखित आय वर्ग के लोगों को लाभ दिया जाना है:–

- आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिये परिवार की वार्षिक आय राशि रू. 3.00 लाख तक।
- निम्न आय वर्ग के लिये परिवार की वार्षिक आय राशि रू. 3.00 लाख से अधिक राशि रू. 6.00 लाख तक।

3.5 योजना अंतर्गत निम्नानुसार हितग्राहियों को वित्तीय सहायता दिया जाना है:–

क्रं.	योजना के विकल्प	केन्द्रांश	राज्यांश	पात्र हितग्राही
1	"In-Situ" Slum Redevelopment with participation of private developers using land as a resource.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) हितग्राहियों को राशि **रु. 1.00** लाख प्रति आवासीय इकाई	केवल भूमि उपलब्ध कराई जाएगी ।	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)
2	Affordable Housing through Credit Linked Subsidy.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) एवं निम्न आय वर्ग (LIG) के हितग्राहियों को 20 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए राशि रु. 6.00 लाख तक के गृह ऋण पर 6.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) मध्यम आय वर्ग–1 (MIG-1) के लिए हितग्राही को 20 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए राशि रु. 9.00 लाख तक के गृह ऋण पर 4.00 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) मध्यम आय वर्ग–2 (MIG-2) के लिए हितग्राही को 20 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए राशि रु. 12.00 लाख तक के गृह ऋण पर 3.00 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy)	.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG)

3	Affordable Housing in Partnership with Public & Private sectors.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) आय–वर्ग के हितग्राहियों को राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई	केवल मलिन बस्तियों में निवासरत हितग्राहियों के लिए : राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)
4	Subsidy for Beneficiary -Led Individual House Construction.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) आय–वर्ग के हितग्राहियों को राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई	राशि रु. 1.00 लाख प्रति आवासीय इकाई	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)

3.6 भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रदेश के 378 नगरीय निकायों को योजना में सम्मिलित किया गया है।

3.7 योजना के अंतर्गत प्रदेश के 264 शहरों के हाउसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन (HFAPOA) भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन, मंत्रालय को प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

3.8 प्रदेश के समस्त 378 शहरों की 658 परियोजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए 511230 आवासीय इकाई कुल लागत राशि रू. 30298.45 करोड़ की भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से स्वीकृत किये जा चुके हैं।

3.9 योजनांतर्गत भारत सरकार से राशि रू. 1246.92 करोड़ प्राप्त हो चुकी है, जिसमें राज्यांश सम्मिलित करते हुए कुल राशि रू. 2224.46 करोड़ निकायों को आवंटित किया जा चुका है।

3.10 स्वीकृत योजनाओं में 2.50 लाख आवासीस इकाईयां निर्माणाधीन हैं जिसमें से पूर्व में संचालित आवासीय योजनाओं की आवासीय इकाईयों को सम्मिलित करते हुए 71043 आवासीय इकाईयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका हैं।

3.11 इस योजनांतर्गत प्रदेश में यह प्रयास किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए निर्मित की जा रही आवासीय इकाईयों के साथ कमजोर आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग उच्च आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए भी आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जाये, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के सामाजिक स्तर में भी सुधार तथा निर्मित किये जाने वाले परिसर का संचालन, संधारण भी नियमित रूप से हो सके । मध्यम एवं उच्च आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए निर्मित की जा रही आवासीय इकाईयों से होने वाले आय से आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों को भी क्रॉस सब्सिडी के विकल्प को भी ध्यान में रखा गया है ।

4 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) मध्यप्रदेश

4.1. भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नगरीय स्वच्छता को उन्नत करने के लिये स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया है। जिसके उद्‌देश्य निम्नानुसार हैं :–

4.1.1 खुले में शौच से मुक्त करना

4.1.2 हाथ से मैला उठाने वाले की प्रथा समाप्त करना

4.1.3 शहरी ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रबंधन

4.1.4 स्वच्छता प्रयासों के संबंध में व्यवहारिक बदलाव लाना

4.1.5 स्वच्छता हेतु लोगों को जागरूक करना एवं लोक स्वास्थ्य से जोडना

4.1.6 नगरीय निकायों को क्षमतावर्धन बनाना

4.1.7 कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) और ओपेक्स (संचालन और संधारण) में निजी क्षेत्रों की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाना

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वर्ष 2014–19 तक कार्ययोजना निम्नानुसार हैं :–

राशि रु करोड़ में

समस्त घटकों में प्रावधान अनुदान	वर्ष 2014–2019 तक कार्ययोजना	
	कुल योजना अनुमानित	केन्द्रांश
कुल	5209.14	1428.10

निर्धारित लक्ष्य		
क्र.	**विवरण**	**वर्ष 2014–2019 तक अनुमानित भौतिक लक्ष्य**
1.	व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण	7,31,971
2.	सामुदायिक शौचालयों का निर्माण (1 सीट/25 महिलायें एवं 1 सीट/35 पुरूष के मान से)	1200
3.	सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण (1 सीट/25 महिलायें एवं 1 सीट/35 पुरूष के मान से)	500
4.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	378
5.	क्षमतावर्धन	378
6.	जन–जागरूकता एवं सूचना, शिक्षा–संप्रेषण	378

4.2 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण :–

4.2.1 परिभाषा :–व्यक्तिगत शौचालय से आशय ऐसे शौचालय जो एक परिवार के सदस्यों के उपयोग को उनके आवास सीमा में निर्मित किये जाये, व्यक्तिगत शौचालयों के रूप में नामांकित किये जायेगे।

4.2.2 वित्तीय प्रावधान :–योजना की इकाई लागत के लिये निम्नलिखित वित्तीय प्रावधान होंगे :–

राशि रु. में

क्र	इकाई लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंशदान	हितग्राही अंशदान
1	13600/–	4000/–	6880/–	1360/–	1360/–

प्रगति :– वर्ष 2017–18

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	**निकायों की संख्या**	**व्यक्तिगत शौचालय**		**कुल राशि निकायो को प्रदान की गयी**	
		कुल स्वीकृत	**कुल निर्मित फरवरी माह तक**	**केंद्रांश**	**राज्यांश**
कुल	378	638215	501331	25528.60	43902.76

राज्य को स्वच्छ करने के संकल्प अन्तर्गत 02 अक्टूबर, 2017 को समस्त 378 नगरीय निकाय खुले में शौच की समस्या से मुक्त हेतु क्वालिटी काउन्सिल आफ इण्डिया से प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुकी है।

प्रस्तावित :– वर्ष 2018–19

1. 93756 व्यक्तिगत शौचालय हेतु स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. 230640 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा।

4.3 सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालयों का निर्माण :–

4.3.1 परिभाषा :–सामुदायिक शौचालय से आशय ऐसे शौचालय से है, जिन्हें गंदी बस्ती क्षेत्रों, अल्प आय वर्गों को लक्षित कर तैयार किया गया है एवं उसके उपयोगकर्ता अधिकतम गंदी बस्ती क्षेत्र के निवासी हों, सामुदायिक शौचालय के रूप से नामांकित किये जायेगें। नगरीय निकायों को प्रस्ताव के साथ इस हेतु प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

4.3.2 वित्तीय प्रावधान :– सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार हैं:– स्वच्छ भारत मिशन के प्रावधान अंतर्गत प्रति सीट (डब्ल्यू.सी.) केंद्रांश की अधिकतम राशि रु. 39200.00 का प्रावधान हैं। इस आधार पर अधिकतम प्रति सीट (डब्ल्यू.सी.) लागत निम्नानुसार होगी। प्रति सीट राशि से अधिक व्यय की स्थिति में वित्तीय भार निकाय द्वारा वहन किया जायेगा:–

क्र.	निकाय	केन्द्रांश	राज्य शासन अनुदान	निकाय अंशदान
1	नगर परिषद	39200	32500	6500
2	नगर पालिका परिषद	39200	32500	6500
3	नगर निगम (भोपाल एवं इन्दौर को छोड़कर)	39200	29250	9750
4	नगर निगम (भोपाल एवं इन्दौर के लिये)	39200	26000	13000

प्रगति :–

क्र.	स्वीकृत शौचालय की संख्या	फरवरी 2017 तक निर्मित सीट	स्वीकृत सीट का निर्माण शेष
1	**24233**	**12150**	**12083**

4.3.3 राज्य स्तर पर भ्रमणशील जनसामान्य जैसेः– तीर्थ यात्री आदि के लिये मोबाईल टायलेट नगरीय निकायों को प्रदान किये गये है जिसके अंतर्गत कुल 118 इकाई मोबाईल टॉयलेट प्रदान कर नदियों एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्यवाही की गयी है। जिससे खुले में शौच की समस्या को स्थाई रूप से समाप्त किया जा सके।

1. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :–**निकाय स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु निजी जन भागीदारी के माध्यम से क्षेत्रीय आधार पर लेण्डफिल साईट एवं प्रसंस्करण इकाई का गठन करने हेतु राज्य स्तर पर निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार आगामी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना निजी जन भागादारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से बनाई जायेगी। जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रावधानित भारत सरकार से 20 प्रतिशत व्ही.जी.एफ. का लाभ लिया जा सकेगा। राज्य शासन की तरफ से इस हेतु 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त व्ही.जी.एफ. दिया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त 30 प्रतिशत तक आसान ऋण 5 प्रतिशत ब्याज पर देने का

प्रावधान राज्य के मद से किया जाएगा। राज्य द्वारा देय अनुदान अधिकतम 20 प्रतिशत तक सीमित रहेगा तथा फिजिबिलिटी स्टडी के आधार पर निजी जन भागीदार का अंशदान बढाये जाने पर राज्य द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋण में कमी की जा सकेगी। इस हेतु स्वच्छ भारत मिशन में राज्य की भागीदारी की व्ही.जी.एफ. एवं ऋण मिलाकर 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगी।

घर–घर कचरा संग्रहण हेतु नगरीय निकायों को 2296 छोटा कचरा वाहन, 63 बुक हुक लोडर 17 काम्पेक्टर हेतु अनुदान प्रदान किया गया है।

प्रगति

क्रं.	क्लस्टर का नाम	संलग्न निकाय	कार्ययोजना लागत (करोड़)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रकार	वर्तमान स्थिति
1	कटनी	5	35.39	कचरे से खाद	इकाई प्रारंभ
2.	सागर	11	70.54	कचरे से खाद	कार्य आरंभ
3.	जबलपुर	1	178	कचरे से विद्युत	इकाई प्रारंभ
4.	भोपाल	8	465.76	कचरे से विद्युत	कार्य आरंभ
5.	रीवा	28	158.67	कचरे से विद्युत	कार्य आरंभ
6.	इंदौर	8	470.00	कचरे से विद्युत	अनुबंध हस्ताक्षरित
7.	ग्वालियर	16	259.00	कचरे से विद्युत	अनुबंध हस्ताक्षरित

प्रस्तावित :– वर्ष 2017–18

शेष क्लस्टरो हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कन्सेसनायर के साथ अनुबंध संपादित, कार्य प्रारंभ सुनिश्चित करना ।

2. **सूचना, शिक्षा, संप्रेषण तथा प्रचार–प्रसार** :–स्वच्छ भारत मिशन के विहित प्रावधानों के अनुसार जन सामान्य के स्वच्छता व्यवहार में परिवर्तन एवं योजना के प्रचार–प्रसार हेतु प्रावधान किये गये है। जैविक कचरे को स्थानीय स्तर पर कम्पोस्ट तैयार करने के लिये पृथक्कीकृत कचरा एकत्र करने की प्रक्रिया आरंभ की गई जिससे नाडेफ के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की कम्पोस्ट खाद का उत्पादन किया जाकर किसानों को उपलब्ध कराया गया है । स्वच्छता को जनआंदोलन से जोड़ने के लिये रहवासी संघों, स्कूली छात्र–छात्राओं, व्यापारी संघों एवं स्थानीय रहवासियों को साथ लेकर स्वच्छता का वातावरण तैयार किया गया है । जिसमें स्थानीय रहवासियों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है । स्थानीय नागरियों में स्वच्छता की भावना के विकास के लिये मैराथन दौड़ का आयोजन एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । स्वच्छता की स्थिति को संवहनीय बनाने के लिये स्वच्छाग्रहियों की नियुक्ति निकाय स्तर पर की गई, साथ ही स्थानीय ब्रांड एम्बेसडर बनाकर स्वच्छता का नेतृत्व स्थानीय निकायों को सौंपा गया । निकाय स्तर पर नागरियों को प्रेरित कर स्वच्छता श्रमदान की गतिविधियों को संचालित किया गया । निकायों को नेतृत्व देने का परिणाम यह निकला कि नगरों में स्वच्छता के प्रति संवेदनाशीलता दिखाई गई है ।

जनसामान्य के व्यवहार हेतु सभी नगरीय निकायों को सूचना शिक्षा संप्रेषण के प्रचार–प्रसार, व्यवहार परिवर्तन हेतु नगरीय निकायों को राशि रू. 59.00 करोड़ प्रदान किये गये है। जिसके सकारात्मक परिणाम स्थानीय स्तर पर दिखने लगे है।

5 दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

5.1 दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना शहरी गरीबों के उत्थान के लिये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर अक्टूबर, 2013 से लागू की गई है।

5.2 यह योजना वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश के 70 शहरों में लागू की गई है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जनसंख्या	शहर का नाम
1	10 लाख से अधिक	इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर
2	05 लाख से 10 लाख	उज्जैन
3.	03 लाख से 05 लाख	सागर
4.	01 लाख से 03 लाख	देवास, सतना, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, खण्डवा, मुरैना, भिण्ड, बुरहानपुर, गुना, विदिशा, छतरपुर, शिवपुरी, मंदसौर, छिंदवाड़ा, खरगौन, नीमच, दमोह, होशंगाबाद, सिवनी, बैतूल, दतिया, इटारसी, नागदा, पीथमपुर एवं डबरा
5.	01 लाख से कम (जिला मुख्यालय शहर)	शहडोल, बालाघाट, अशोकनगर, टीकमगढ़, श्योपुर, शाजापुर, हरदा, नरसिंहपुर, सीधी, सिहोर, मण्डला, रायसेन, पन्ना, बड़वानी, झाबुआ, उमरिया, राजगढ़, अलीराजपुर, अनूपपुर, डिण्डौरी, धार एवं आगर
6.	50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले शहर	मण्डीदीप, आष्टा, सिरोंज, गंजबासौदा, गोहद, सेंधवा, गाडरवारा, मैहर, बीना, खुरई, जावरा, राघेगढ–विजयपुर, मकरोनिया, शुजालपुर एवं सारणी

- **वित्तीय वर्ष 2017–18 में शेष शहरों में योजनाओं का विस्तार किया जायेगा ।**

5.3 मिशन के प्रमुख घटक निम्नानुसार है :–

5.3.1 **सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास** : इस घटक के अंतर्गत राज्य स्तर पर एक त्रिस्तरीय संगठनात्मक संरचना परिकल्पित की गयी है, इसके अंतर्गत जहां बस्ती स्तर पर स्व–सहायता समूह बनाए जायेंगे वहीं 10–20 स्व सहायता समूह आपस में मिलकर क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन (Area Level Federation) तथा 10–20 क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन मिलकर एक नगर स्तरीय फेडरेशन (City Level Federation) का गठन करेंगे। इस संघीय संरचना से बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण, मार्केटिंग, ऋण, मूल्यांकन, हितग्राहियों की पहचान एवं भागीदारी तथा समूहों के निर्माण में सहायता मिलेगी। इस प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए स्त्रोत संगठनों का चयन किया गया है। इन कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक शहर में शहरी आजीविका केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित की गई है। इन केन्द्रों का संचालन समुदाय आधारित संस्थाओं, एनजीओ, स्व–सहायता समूह के फेडरेशन आदि के द्वारा होगा। वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर, 2017 तक 6246 स्व सहायता समूहों का गठन, 120 क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन (Area Level Federation) का गठन किया गया है एवं 2158 स्व सहायता समूहों तथा 21 क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन (Area Level Federation) को आवर्ती निधि प्रदान की गई ।

5.3.2 **कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार** : इस घटक के अंतर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षणों के द्वारा उन्नत रोजगार से जोडा जाएगा। घटक के उद्देश्य पूर्ति हेतु निम्नानुसार गतिविधियॉ संचालित की जाएंगी :–

- बाजार की मांग के अनुसार दक्षता की कमी का विश्लेषण तथा रोजगारोन्मुख व्यवसायों की सूची तैयार करना।
- गरीब तथा कमजोर वर्गों के अकुशल प्रशिक्षणार्थियों का चयन।
- प्रशिक्षण संस्थाओं का पारदर्शी तरीके से चयन।
- पाठ्यक्रम निर्धारण।
- प्रमाणीकरण।
- प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा छः माह तक सतत् संपर्क।
- प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम 200 घण्टे की होगी ।

वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर, 2017 तक 4899 हितग्राहियों को प्रशिक्षित किया गया है एवं 21850 हितग्राही प्रशिक्षणरत् है। 2389 का प्रमाणीकरण एवं 697 प्राशिक्षणार्थियों का नियोजन किया गया है ।

5.3.3 **स्वरोजगार कार्यक्रम** : इस घटक के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं समूह उद्यम के लिए ऋण द्वारा वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाएगा।

- व्यक्तिगत (रूपये 2.00 लाख) एवं समूह (रूपये 10.00 लाख अधिकतम) ऋण पर बैंकों द्वारा प्रचलित ब्याज दर की जगह मात्र 7 प्रतिशत ब्याज दर देय होगी तथा शेष ब्याज का वहन योजनांतर्गत किया जाएगा। महिला स्व–सहायता समूहों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाएगा। ऋण अवधि 5–7 वर्ष के लिए प्रावधान है।
- इस कार्यक्रम के द्वारा 18 वर्ष या अधिक आयु के हितग्राहियों की पहचान नगरीय निकायों के द्वारा प्रस्तावित है। हितग्राहियों को 3–7 दिन तक उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (ओरिएन्टेशन) प्रदान किया जायेगा।

वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर, 2017 तक 11,770 हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापना हेतु ऋण आवंटित किया गया है एवं 1241 स्व सहायता समूहों का बैंक लिंकेज किया गया है ।

5.3.4 **क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण** : इस घटक के अंतर्गत राज्य तथा निकाय स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाई का गठन किया जायेगा, जिसमें राज्य स्तर पर 6 प्रबंधकों को सम्मिलित किया जाएगा तथा निकाय स्तर पर 2–4 प्रबधंक जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। राज्य स्तर पर 5 तथा निकाय स्तर पर 109 प्रबंधक कार्यरत हैं ।

5.3.5 **शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता** : इस घटक में पथ विक्रेताओं की पहचान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा, कौशल उन्नयन (1–2 दिन के प्रशिक्षण), बैंक लिंकेज एवं ऋण सुविधा, पहचान–पत्र, विक्रेता हेतु सुनिश्चित स्थान आदि सुविधाओं से लाभांवित किया जाएगा। इस घटक पर आवंटन की 5 प्रतिशत राशि व्यय की जाएगी तथा प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति अधिकतम रूपये 750/– का व्यय किया जा सकेगा।

5.3.6 **शहरी गरीबों के लिए आश्रय योजना** : इस घटक के अंतर्गत सामुदायिक आश्रय भवन का निर्माण कर गरीबों एवं बेघर लोगों के (50–100 व्यक्तियों के लिए) रहने का स्थान एवं मूलभूत सुविधायें (किचन, पानी, शौचालय, बिजली, मनोरंजन आदि) उपलब्ध करायी जायेगी। आश्रय भवन सभी मिशन नगरों में रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, मण्डी, अस्पताल आदि के समीप निर्मित किए जाएंगे। आश्रय भवनों एवं सुविधाओं का संचालन एवं प्रबंधन, इस कार्य हेतु गठित प्रबंधन समिति/पूर्ण कालिक कर्मचारियों/अन्य के द्वारा किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में एक

लाख से अधिक जनसंख्या वाले 24 शहरों में आश्रयहीन व्यक्तियों के लिये 100 आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है । आश्रय स्थलों में आवश्यक सुविधायें जैसे– बिस्तर, प्रकाश, पेयजल, शौचालय, टेलीविजन, समाचार पत्र, लॉकर, सर्दी में कम्बल एवं अलाव आदि की व्यवस्था उपलब्ध करायी जा रही है । दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजनांतर्गत 33 शहरों में आश्रय स्थल निर्माणाधीन है । जिसमें से 29 शहरों में निर्माण पूर्ण होकर संचालन प्रारंभ किया जा रहा है । आश्रय स्थलों के संचालन एवं संधारण हेतु दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जा रही है ।

6. छोटे एवं मझोले शहरों के लिए शहरी अधोसंरचना विकास योजना (UIDSSMT)

6.1 भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में छोटे एवं मझौले शहरों के अधोसंरचनात्मक विकास के उद्देश्य से यूआईडीएसएसएमटी योजना प्रारंभ की गई है।

6.2 योजना के अंतर्गत परियोजना लागत की 80 प्रतिशत राशि भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होती है, जिसके विरूद्व राज्यांश 10 प्रतिशत एवं निकाय अंश 10 प्रतिशत देय होता है।

6.3 योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के चयन, उनके क्रियान्वियन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण से संबंधित कार्यो के क्रियान्वयन के लिये मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार का गठन किया गया है।

6.4 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को यूआईडीएसएसएमटी योजना के लिये राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी मनोनीत है।

6.5 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2014 तक रू. 2849.36 करोड़ राशि की 114 नगरों की 179 परियोजनायें (पेयजल, सड़क, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) स्वीकृत की गई है। इसमें से 117 परियोजनाओं (71 जलप्रदाय, 42 सड़क एवं 04 सीवरेज) का कार्य पूर्ण हो चुका है।

6.6 योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–पांच** पर है।

(ब) राज्य योजनाएं

1. हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों के कल्याण की योजना, 2009

प्रदेश के शहरों में मुख्यमंत्री हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना वर्ष 2009 में प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान तक 555833 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है। योजना के अंतर्गत प्रसूती सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता एवं जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

2. शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना, 2009

शहरी घरेलू कामकाजी बहनों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई है। योजना में घरेलू कामकाजी महिलाओं का पंजीयन कर आईटीआई एवं अन्य संस्थाओं से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में रूपये 2,000.00 पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। वर्तमान तक 63249 कामकाजी बहनों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रसूती सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता एवं जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

3. मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना, 2012

प्रदेश में शहरी फेरी वालों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना वर्ष 2012 में लागू की गई है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को रोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान तक 32936 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है। योजना के अंतर्गत प्रसूती सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता एवं जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

4. केश शिल्पी कल्याण योजना, 2013

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केश शिल्प का कार्य कर रहे केश शिल्पियों के कल्याण के लिए केश शिल्पी कल्याण योजना, 2013 लागू की गई है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान तक 10550 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है। योजना के अंतर्गत प्रसूती सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता एवं जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

4. मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई–रिक्शा एवं ई–लोडर योजना, 2017

राज्य शासन द्वारा शहरी गरीबों के शारिरिक श्रम को न्यूनतम कर उच्च आय अर्जित करने के युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जनवरी, 2017 से मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई–रिक्शा एवं ई–लोडर योजना प्रारंभ की गई है । उक्त योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत अतिरिक्त घटक के रूप में वित्त पोषित होगी । वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर, 2017 तक 565 सदस्यों को ई–रिक्शा एवं ई–लोडर प्रदान किये गये हैं ।

5. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

राज्य शासन द्वारा यह योजना वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत रूपये 50,000.00 तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर में 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर के अंतर की राशि को ब्याज अनुदान के रूप में अधिकतम 7 वर्ष तक दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर, 2017 तक 8835 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है ।

6. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

राज्य शासन द्वारा यह योजना वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को व्यक्तिगत स्वरोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत रूपये 2.00 लाख तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। परियोजना लागत का 20 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा बैक द्वारा प्रचलित ब्याज दर में 7 प्रतिशत से अधिक के अंतर की राशि को ब्याज अनुदान के रूप में अधिकतम 7 वर्ष तक दिए जाने का प्रावधान है। उपरोक्त के अतिरिक्त समूह के लिए रोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत रूपये 10.00 लाख तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। परियोजना लागत 15 प्रतिशत मर्जिन मनी अनुदान तथा बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर में 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर के अंतर की राशि को ब्याज अनुदान के रूप में अधिकतम 7 वर्ष तक दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर, 2017 तक 8766 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है ।

7. दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना

योजना प्रथम चरण में प्रदेश के 51 जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। राज्य के नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय एवं श्रम कार्यो हेतु ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब परिवारों का आगमन होता है । कार्य एवं व्यवसाय की तलाश में आने वाले गरीब परिवारों को भोजन की व्यवस्था हेतु यहॉ वहॉ भटकना पड़ता है साथ ही कई गरीब शहरी परिवारों को भी वर्तमान में सस्ते दर पर पौष्टिक भोजन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसलिए इस योजना के माध्यम से स्वच्छ, सस्ता एवं पौष्टिक भोजन पांच रूपये प्रतिव्यक्ति की दर से दोपहर के समय उपलब्ध कराया जा रहा है ।

8. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना

8.1 प्रदेश के शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना वर्ष 2012 से प्रांरभ की गई है। योजना के अंतर्गत 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 20 प्रतिशत एवं 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 30 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। शेष 80 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है, जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा एवं 25 प्रतिशत नगरीय निकाय द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

8.2 निकायों द्वारा ऋण हुडको से लिया जा रहा है, जिसके लिए राज्य शासन द्वारा रू. 1000.00 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान की गई है । इसी प्रकार बैंको/वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिये जाने हेतु भी रू. 500.00 करोड़ एवं 260.24 करोड़ की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति प्रदान की गई है। इस प्रकार इस योजना हेतु कुल राशि रू. 1760.24 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने की स्वीकृति प्राप्त है। योजना अन्तर्गत वर्तमान में 153 नगरीय निकायों को कुल रू. 2138.19 करोड़ की स्वीकृत प्रदान की गई है।

8.3 योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 54 नगरों की पेयजल योजना के लिये अनुदान राशि रू. 132.25 करोड़, वर्ष 2013–14 में राशि रू. 90.00 करोड़, वर्ष 2014–15 में राशि रू. 139.00 करोड़ एवं वर्ष 2015–16 में राशि रू. 76.00 करोड़ एवं वर्ष 2016–17 में राशि रू. 106.92 करोड़ नगरीय निकायों को जारी किये गये है। वर्तमान तक स्वीकृत 153 नगरीय निकायों में से 60 नगरीय निकायों का कार्य पूर्ण हो चुका है, 98 नगरीय निकायों में योजना का कार्य प्रगति पर है तथा शेष नगरीय निकायों में योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रचलित है । योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **परिशिष्ट–छः** पर है।

9. मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना

9.1 प्रदेश के शहरों में अधोसंरचना विकास के लिये मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में सड़क एवं शहरी यातायात, सौंदर्यीकरण, सामाजिक अधोसंरचना विकास एवं उद्यान धरोहर संरक्षण का कार्य कराया जाता है।

9.2 योजना के अंतर्गत लागत की 30 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है एवं शेष 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है, जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा एवं शेष 25 प्रतिशत नगरीय निकायों द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

9.3 योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 265 नगरीय निकायों को रूपये 1306.75 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं रूपये 428.00 करोड़ का अनुदान विमुक्त किया गया है तथा हुडको द्वारा रूपये 820.00 करोड़ की राशि विमुक्त की गई है।

9.4 मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना का द्वितीय चरण भी रू. 1800.00 करोड़ का वर्ष 2016 में स्वीकृत हुआ है, जिससे वर्तमान तक 378 नगरीय निकायों को योजनांतर्गत शहरी अधोसंरचना विकास के कार्यों के लिए 1421.10 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। योजनांतर्गत 210 नगरीय निकायों को राशि रू. 1139.24 करोड़ की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष नगरीय निकायों द्वारा आवश्यकतानुसार डी.पी.आर. तैयार कराई जा रही है।

10. एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

10.1 इसके अंतर्गत प्रदेश की नगरीय निकायों को विभिन्न परियोजनाओं के लिये एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जाती है, जिसमें परियोजना की 70 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा एवं 30 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

10.2 एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 11 नगरीय निकायों की योजना राशि रू. 157.45 करोड़ की स्वीकृत की गई है तथा इन नगरीय निकायों को कुल राशि रू. 146.30 करोड़ मुक्त की जा चुकी है। 11 निकायों की जलप्रदाय योजनायें सेंधवा, डीकेन, पृथ्वीपुर, दतिया, लटेरी, महेश्वर, अलीराजपुर, सीहोर (बैराज), गरोठ, सैलाना एवं ब्यौहारी पूर्ण हो चुकी है।

11. विशेष निधि से वित्त पोषित नगरों की सीवरेज परियोजना

11.1 नर्मदा एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों में शहरी सीवरेज से होने वाले प्रदूषण को रोकने के दृष्टिगत सीवरेज परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये वित्त व्यवस्था म.प्र. शासन के अंत विशेष निधि अंतर्गत प्रस्तावित की गई है ।

11.2 परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित अधोसंरचना कार्यो में 08 नगरों में मल जल निस्तारण की योजना प्रस्तावित है ।

11.3 प्रस्तावित मल जल निस्तारण एवं उपचार योजनाओं में नर्मदा नदी के किनारे स्थित 7 नगर क्रमशः बुधनी, शाहगंज, नेमावर, अमरकंटक, डिण्डोरी, मण्डलेश्वर, ओंकारेश्वर एवं इनके अतिरिक्त मंदाकिनी नदी के शुद्धीकरण हेतु चित्रकूट नगर सम्मिलित है ।

11.4 परियोजना की कुल लागत रू. 170.10 करोड़ है ।

4.5 नर्मदा नदी के किनारे स्थित 07 नगर एवं चित्रकूट नगर सीवरेज परियोजनाओं में कार्य आरंभ किये जा चुके है ।

11.6 योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलमेंट कंपनी द्वारा किया जा रहा है ।

(स) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

1. एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम

1.1 अन्य वित्तीय स्त्रोतों से छूटे हुए 126 नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः जल प्रदाय तथा पर्यटन/धरोहर की दृष्टि से महत्वपूर्ण 10 नगरों में सीवरेज व्यवस्था एवं उपचार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।

1.2 परियोजना के अंतर्गत कुल 126 नगरों की जल प्रदाय योजनाएं है, जिसमें प्रथम चरण में 64 नगरों की जल प्रदाय योजनाएं तथा द्वितीय चरण में शेष 62 नगरों की जलप्रदाय योजनाएं ली जाएंगी । साथ ही परियोजना के प्रथम चरण में 2 नगरीय निकायों तथा द्वितीय चरण में 8 नगरीय निकायों की मलजल निस्तारण एवं उपचार योजनाएं प्रस्तावित है।

1.3 परियोजना की कुल अनुमानित लागत रू. 5400.00 करोड़ अर्थात् 829 मिलियन यू.एस. डॉलर है। परियोजना में सम्मिलित नगरों को 30 प्रतिशत राज्य तथा 70 प्रतिशत एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।

1.4 एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त ऋणों के 75 प्रतिशत अंश एवं उसके ब्याज का पुर्नभुगतान राज्य शासन द्वारा तथा शेष राशि एवं ब्याज का पुर्नभुगतान संबंधित निकाय द्वारा किया जाएगा।

1.5 योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत 64 नगरीय निकायों की जल प्रदाय योजना की डीपीआर तैयार की गई । एशियन डेवलपमेंट बैंक से अनापत्ति प्राप्त कर 22 पैकेजों के अंतर्गत 62 नगरीय निकायों की जलप्रदाय व्यवस्था हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई । इनमें 15 पैकेजों के कार्यादेश (कुल लागत लगभग रू. 1340.00 करोड़) साधिकार समिति सह कार्यकारी समिति के अनुमोदन उपरांत विभिन्न ठेकेदार फर्मो को जारी कर दिये गये है।

म.प्र. नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यो के पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए पी.एम.सी. (परियोजना प्रबंधन सलाहाकारिता फर्म) फर्म मेसर्स टाटा कन्सलटिंग इंजीनियर्स लिमिटेड का चयन कर फर्म के साथ अनुबंध निष्पादित किया गया है । फर्म के द्वारा अपना कार्यालय स्थापित कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ।

कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अंतर्गत 62 नगरीय निकायों की जल प्रदाय योजना के कार्य किये जाना है, जिसमें से 49 नगरीय निकायों की डी.पी.आर. तैयार की जा चुकी है एवं इन डी.पी. आर. का परीक्षण किया जा रहा है ।

एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ दिनांक 19 जून, 2017 को अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है।

परियोजना का क्रियान्वयन म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रकिया अनुसार किया जा रहा है ।

2. विश्व बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट परियोजना

2.1 नर्मदा एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों में शहरी सीवरेज से होने वाले प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से सीवरेज परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए एवं जलप्रदाय योजनाओं से छूटे हुये नगरों में जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक के वित्त पोषण (ऋण) से मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है।

2.2 परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित अधोसंरचना कार्यों में 9 नगरों में मल जल निस्तारण एवं उपचार तथा 6 नगरों में जलप्रदाय योजना प्रस्तावित है।

2.3 प्रस्तावित मल जल निस्तारण योजनाओं में नर्मदा नदी के किनारें एवं नर्मदा नदी को सीधे प्रभावित करने वाले 4 नगर क्रमशः भेड़ाघाट, नसरूल्लागंज, महेश्वर एवं धरमपुरी तथा 5 अन्य महत्वपूर्ण नगर क्रमशः मंदसौर, शाजापुर, नागदा, छिंदवाड़ा, शहडोल सम्मिलित है।

2.4 जल प्रदाय योजना बुरहानपुर, मुरैना, खरगौन, सेवढ़ा, बड़ामलहरा एवं पटेरा में प्रस्तावित है ।

2.5 परियोजना की कुल लागत रू. 1080.00 करोड़ है। परियोजना में सम्मिलित नगरों को 30 प्रतिशत राज्य सरकार का अनुदान एवं 70 प्रतिशत विश्व बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।

2.6 विश्व बैंक से प्राप्त ऋण का 75 प्रतिशत अंश एवं उसके ब्याज का पुर्नभुगतान राज्य शासन द्वारा तथा शेष राशि एवं ब्याज का पुर्नभुगतान संबंधित निकाय द्वारा किया जाएगा।

2.7 विश्व बैंक के साथ दिनांक 12 जून, 2017 को अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है ।

2.8 बुरहानपुर और खरगौन नगर की जल प्रदाय योजना तथा छिंदवाडा नगर की सीवरेज योजना का कार्य प्रगति पर है। महेश्वर एवं नसरूल्लागंज की सीवरेज योजना की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। शेष सभी योजनाओं की डी पी आर में विश्व बैंक के सुझावों के अनुसार संशोधन किये जा रहे है।

2.9 परियोजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है।

3. केएफडब्ल्यू बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन सेनिटेशन एण्ड एन्वायरमेंट प्रोग्राम

3.1 प्रदेश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने एवं पर्यावरण संरक्षण के लिये सीवरेज परियोजनाओं के लिए केएफडब्ल्यू बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन सेनिटेशन एण्ड एन्वार्यमेंट प्रोग्राम प्रस्तावित किया गया है।

3.2 योजना के अन्तर्गत नर्मदा नदी के किनारे एवं नर्मदा नही को सीधे प्रभावित करने वाले 5 नगरों क्रमशः होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मण्डला, बड़वानी एवं सेंधवा में मल जल निस्तारण एवं उपचार प्रस्तावित है ।

3.3 परियोजना की कुल लागत 525 करोड़ (75 मिलियन यूरो) है। परियोजना में सम्मिलित नगरों को 30 प्रतिशत राज्य सरकार का अनुदान तथा 70 प्रतिशत केएफडब्ल्यू बैंक से ऋण उपलब्ध होगा ।

3.4 केएफडब्ल्यू बैंक के साथ दिनांक 1 दिसम्बर, 2017 को अनुबंध किया जा चुका है ।

3.5 सभी योजनाओं की डीपीआर तैयार की जा चुकी है तथा निविदा आमंत्रित की जा चुकी है ।

3.6 योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलमपेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है ।

(द) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं/कार्यक्रम

1 चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान

1.1 चौदहवें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के लिये दो प्रकार के अनुदानों की अनुशंसा की गई है, जो कि निम्नानुसार है :–

(1)	जनरल बेसिक ग्रांट	–	(वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक)
(2)	परफॉरमेंस ग्रांट	–	(वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक)

1.2 वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार से जनरल बेसिक ग्रांट की राशि रूपये 79480.00 लाख प्राप्त हुई, जिसे नगरीय निकायों को उपलब्ध कराया गया है।

2 नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष निधि

2.1 विभाग के बजट से विभिन्न मदों की राशि सामान्यतः नगरीय निकायों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार अर्जित पात्रता के आधार पर दी जाती है। इस कारण नगरीय निकायों को राज्य शासन द्वारा विशेष आवश्यकताओं, आकस्मिक प्रयोजनों एवं अपूर्ण जल प्रदाय योजनाओं को पूर्ण करने के लिये राशि देने में कठिनाई होती थी। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष निधि का गठन किया गया है।

2.2 इस निधि के परिचालन के लिये ''म.प्र. के नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राशि के उपयोग के नियम, 2006'' बनाये गये हैं।

2.3 वर्ष 2017–18 में माह फरवरी तक इस निधि से विभिन्न विशेष प्रयोजनों के लिये राशि रूपये 18226.36 लाख नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है।

3 मध्यप्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष (MPUIF)

3.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों में बड़ी अधोसंरचना विकास परियोजनाओ के चयन, उनके परियोजना प्रस्ताव तैयार करने, ऐसी परियोजनाओं के लिए शासन सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों/बाजार से पूंजी की व्यवस्था करने आदि के प्रयोजन से म.प्र. शहरी अधोसंरचना कोष का गठन किया गया है।

3.2 राज्य मंत्रि–परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष का गठन भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 16 मई, 2008 को हुआ है।

3.3 ट्रस्ट के अंतर्गत तकनीकी कार्यो के संचालन के लिए ''मध्यप्रदेश नगरीय अधोसंरचना एवं वित्तीय सेवायें मर्यादित'' का गठन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किये जाने की व्यवस्था रखी गई है।

3.4 कोष को भारत सरकार द्वारा लागू ''पूल्ड फायनेंस डेवलपमेंट फंड'' योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर साझा वित्त इकाई के रूप में नामांकित किया गया है।

3.5 विभाग द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रोजेक्ट डेवलेपमेंट कंपनी का गठन हेतु तीन बार ऑफर बुलाये गये थे, परंतु कंपनियों द्वारा इसमें अपेक्षित रूचि प्रदर्शित नहीं की गई, इसे देखते हुए मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में संपन्न बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में शत–प्रतिशत शासकीय अंशधारी कंपनी का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

3.6 उपरोक्तानुसार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में लिए गए निर्णय के परिपेक्ष्य में दिनांक 01 जनवरी, 2015 को **मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड** का गठन किया गया है।

4 मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड

4.1 राज्य शासन की शत प्रतिशत अंश पूंजीधारित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड का गठन 1 जनवरी, 2015 को किया गया है।

4.2 मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड में माननीय मुख्यमंत्री जी को चेयरमेन तथा माननीय मंत्रीजी नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं मुख्य सचिव को कंपनी का वाइस चेयरमेन नियुक्त किया गया है।

4.3 आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को कंपनी का प्रबंध संचालक तथा अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को कंपनी का अतिरिक्त प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है।

4.4 कंपनी के कार्यों को विस्तार देते हुए राज्य शासन द्वारा कंपनी को न केवल नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है, बल्कि बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

4.5 नगरीय निकायों में बाह्‌य वित्त पोषित परियोजनाओं जैसे, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक तथा केएफडब्ल्यू इत्यादि द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार कंपनी के माध्यम से पेयजल, सीवेज परियोजनाओं के कार्यों का क्रियान्वयन किए जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

4.6 इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कंपनी की 13 परियोजना क्रियान्वयन ईकाईयों का गठन किया जा रहा है।

4.7 स्मार्ट सिटी योजना हेतु चयनित नगरों में गठित स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) कंपनियों को मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड की Subsidary Company बनाया गया है।

5 मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी

5.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर शहरों में मेट्रो परियोजना क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। मेट्रो परियोजना क्रियान्वित किए जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जा चुकी है :–

- माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश मेट्रो कंपनी एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मेट्रो कंपनी की कार्यकारी समिति का गठन किया जा चुका है।

- मध्यप्रदेश मेट्रो कंपनी हेतु प्रबंध संचालक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है।
- भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के वित्तपोषण हेतु European Investment Bank (EIB) को तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के वित्तोपषण हेतु Asian Development Bank (ADB) तथा New Development Bank (NDB) को Pose किया गया है।
- भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु DB Engineering and Consulting GmbH in consortium with Louis Burger SAS & Geodata Engineering S.p.A. को जनरल कंसल्टेट चयनित किया गया है।

5.2 उभय शहरों में मेट्रो परियोजना के क्रियान्वयन हेतु डीपीआर का अनुमोदन राज्य शासन द्वारा किया जा चुका है। डी.पी.आर. अनुसार भोपाल में मेट्रो परियोजना हेतु लगभग 95.03 कि.मी. एवं इंदौर में लगभग 104.25 कि.मी. का नेटवर्क प्रस्तावित है। भोपाल मेट्रो परियोजना की लागत लगभग रूपये 22504.25 करोड़ एवं इंदौर मेट्रो परियोजना की लागत लगभग रूपये 26762.21 करोड़ है। इस प्रकार उभय शहरों में प्रस्तावित मेट्रो परियोजना की कुल लागत लगभग राशि रूपये लगभग 49266.46 करोड़ है।

5.3 राज्य शासन द्वारा उभय शहरों में मेट्रो परियोजना का क्रियान्वयन चरणवार किया जाएगा।

5.4 भोपाल के लिए प्रस्तावित मेट्रो परियोजना का प्रथम चरण निम्नानुसार है :–

कॉरिडोर नंबर	कॉरिडोर का विवरण	लगभग लम्बाई (किमी)	लगभग लागत (करोड़ में)
कॉरिडोर नं. 2	करोंद चौराहा–भोपाल टॉकिज–रेल्वे स्टेशन–भारत टॉकिज–पुल बोगदा–सुभाष नगर अंडर पास–डी.बी. मॉल–बोर्ड ऑफिस चौराहा–हबीबगंज नाका– अल्कापुरी बस स्टेंड–एम्स	14.99	4411.18
कॉरिडोर नं. 5	डिपो चौराहा–जवाहर चौक–रोशनपुरा चौराहा–मिंटो हॉल–लिली टॉकिज–जिंसी चौराहा–पुल बोगदा–प्रभात चौराहा–अप्सरा टॉकिज–गोविंदपुरा इन्ड्स्ट्रीयल एरिया–रत्नागिरी तिराहा	12.88	2551.74
	कुल	**27.87**	**6962.92**

5.5 इंदौर के लिए प्रस्तावित मेट्रो परियोजना का प्रथम चरण निम्नानुसार है :–

कॉरिडोर नंबर	कॉरिडोर का विवरण	लगभग लम्बाई (किमी)	लगभग लागत (करोड़ में)
कॉरिडोर नं. 3	ननोद–सुपर कॉरिडोर–भंवरसाला चौराहा–एम.आर टेन फलाईओवर–विजय नगर चौराहा–रेडिसन चौराहा–बंगाली चौराहा–पलासिया चौराहा–राजवाड़ा –बड़ा गणपति–कलानी नगर–एयरपोर्ट–ननोद	31.53	**7522.63**
	कुल	**31.53**	**7522.63**

5.6 परियोजना के प्रथम चरण का वित्त पोषण निम्नवत् होगा :-

स. क्र.	परियोजना का नाम	कुल लागत	विभिन्न संस्थाओं का अंशदान/योगदान			रिमार्क
			भारत सरकार	राज्य सरकार/MP MRCL (यथा प्रयोज्य)	बाह्य एजेंसी	
1	भोपाल मेट्रो रेल परियोजना	रू. 6962.92 करोड़	रू. 1167.33 करोड़	रू. 1853.62 करोड़	रू. 3501.97 करोड़ (EIB ऋण)	रू. 440.00 करोड़ PPP Component
2	इंदौर मेट्रो रेल परियोजना	रू. 7522.63 करोड़	रू. 1279.46 करोड़	रू. 2603.17 करोड़	रू. 3200.00 करोड़ (ADB एवं NDB ऋण)	रू. 440.00 करोड़ PPP Component

5.7 प्रथम चरण वर्ष 2018-19 से प्रारंभ होकर वर्ष 2021-22 तक पूर्ण होगा।

5.8 जबलपुर तथा ग्वालियर शहरों में मास रेपिड ट्रांसिट हेतु प्री-फिजीबिलिटी स्टडी कराई जा रही है। प्री-फिजीबिलिटी स्टडी हेतु M/s Egis Rail India का चयन खुली निविदा के माध्यम से किया गया है।

6 प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध में शासन की पहल

6.1 प्रदेश के शहरों में पार्किंग को व्यवस्थित करने एवं नवीन पार्किंग संस्कृति के विकास हेतु राज्य शहरी पार्किंग नीति तैयार की गई।

6.2 प्रदेश के 04 जेएनएनयूआरएम मिशन शहरो यथा- भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं उज्जैन में Organized City बस सेवा संचालित है। प्रदेश के अमृत मिशन शहरों में से 20 शहरों जिसमें भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं उज्जैन के साथ-साथ अन्य 16 प्रमुख शहरों यथाः- ग्वालियर, देवास, मुरैना, सतना, सागर, रतलाम, रीवा, कटनी, खण्डवा, बुरहानपुर, सिंगरौली, छिन्दवाड़ा, भिंड, गुना, शिवपुरी एवं विदिशा में शहरीय एवं अर्तशहरीय सेवा संचालन का कार्य प्रचलित है।

6.3 प्रदेश के शहरो में लोक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु राज्य स्तरीय Dedicated Urban Transport Fund (S-DUTF) गठित किया जा चुका हैं। वर्ष 2017-18 में दिसम्बर, 2017 तक निम्नानुसार शहरों को राशि प्रदान की जा चुकी है :-

स.क्र.	शहर का नाम	राशि (लाख में)
1.	भोपाल	100.00
2.	इन्दौर	187.00
3.	जबलपुर	200.00
4.	ग्वालियर	100.00
5.	उज्जैन	100.00
6.	विदिशा	100.00
	कुल योग	**787.00**

6.4 प्रदेश के शहरों में व्यवस्थित विज्ञापन प्रबंधन सुनिश्चित करने तथा भूमि उपयोग, लोक परिवहन नियोजन एवं विज्ञापन प्रबंधन में समन्वय किये जाने हेतु शहरों के लिये विज्ञापन नियम एवं विज्ञापन कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है।

6.5 प्रदेश के शहरों में सुव्यवस्थित नगर नियोजन सुनिश्चित किये जाने हेतु Transit Oriented Development (TOD) नीति तैयार की जा रही है।

6.6 प्रदेश के शहरों में लोक परिवहन को शहर स्तरीय स्वरूप प्रदान किये जाने हेतु शहर स्तरीय यूनिफाईड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथोरिटी (C-UMTA) के गठन हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

6.7 विभाग के प्रस्ताव के आधार पर देश के विभिन्न शहरों में से विश्व बैंक द्वारा GEF-5 अंतर्गत Modernization of Bus Service हेतु भोपाल शहर का चयन किया गया है, जिसके अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा राशि रूपये 13.20 करोड़ के अनुदान से भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के माध्यम से संचालित बस सेवा का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

6.8 विभाग के प्रस्ताव के आधार पर विश्व बैंक द्वारा Global Environment Facility (GEF) अंतर्गत इन्दौर शहर में BRTS कॉरिडोर पर Intelligent Transport System (ITS) संस्थान हेतु राशि रूपये लगभग 71.88 करोड़ की परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

6.9 शहरी लोक परिवहन व्यवस्था हेतु Automatic Fare Revision (AFR) Policy का क्रियान्वयन प्रस्तावित है। पॉलिसी के माध्यम से शहरी लोक परिवहन के टिकिट की दरों को ईधन के मूल्य, थोक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि इत्यादि घटकों से जोड़ा गया है। इससे शहरी लोक परिवहन की वित्तीय संवहनीयता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही आवश्यकतानुसार राज्य शासन को Viability Gap Funding (VGF) हेतु राशि निर्धारण में भी सहायता प्राप्त होगी।

6.10 विभाग द्वारा Passenger Fault System (PFS), Automatic Fare Revision (AFR) Policy, शहरों में DUTF गठन एवं शहरी परिवहन हेतु अन्य आवश्यक सुधारों के क्रियान्वयन हेतु रोडमैप तैयार किया गया है, जिससे शहरी लोक परिवहन की संवहनीयता में वृद्धि होगी।

6.11 प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर शहर में त्वरित एवं स्तरीय लोक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से Bus Rapid Transit System (BRTS) का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे शहर की लोक परिवहन व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है एवं आम नागरिकों को स्तरीय लोक परिवहन सुविधा प्राप्त हो रही है।

6.12 प्रदेश के 20 शहरों में अमृत योजना अंतर्गत बस सेवा संचालन के द्वारा बसों में यात्रियों की सुविधाओं के लिए ITLS उपकरण (GPS, कैमरा, यात्री सूचना तंत्र एवं महिलाओं की सूचना के लिए पैनिक बटन इत्यादि) लगें होंगे एवं कन्ट्रोल कमाण्ड सेंटर द्वारा सभी बसों की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। यात्री बस की टिकट ऑनलाईन माध्यम से भी खरीद सकेंगे, जिसके लिए विभाग द्वारा वेबसाईट एवं मोबाईल एप बनाने का कार्य प्रस्तावित है।

6.13 अमृत योजना अंतर्गत बस सेवा संचालन हेतु सरकार द्वारा यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए हब एवं स्पोक शहरों में बस स्टेंड नवीनीकरण/उन्नयन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

6.14 प्रदेश के शहरों में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़, सुरक्षित एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु शहरों में पदस्थ ट्रंस्पोर्ट कंपनी के सी.ओ.ओ. (चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर) एवं नोडल अधिकारियों को समय–समय पर वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से संचालनालय में प्रशिक्षण/कार्यशाला के माध्यम से शहरी परिवहन के संबंध में दिशा निर्देश एवं नवीन जानकारी प्रदाय की जाकर शहरी परिवहन के प्रभावी क्रियान्वयन को मूर्तरूप दिया जा रहा है।

6.15 भारत सरकार शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा हैदराबाद में आयोजित Urban Mobility India Conference - 2017 में अमृत योजना अंतर्गत हब एण्ड स्पोक मॉडल क्लस्टर बेस्ट बस सिस्टम को PPP Mode के अंतर्गत "Best Urban Mass Transit Project" का पुरूस्कार प्राप्त हुआ है।

6.16 भारत सरकार भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली द्वारा Faster Adoption of Manufacturing of (Hydbird &) Electric Vehicle in India (FAME India) योजना अंतर्गत जीवाश्म ईधन का उपयोग कम करने हेतु 10.00 लाख से अधिक अबादी वाले शहर में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इंदौर शहर का चयन किया गया।

7 मध्यप्रदेश प्रापर्टी टैक्स बोर्ड

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा नगरीय निकायों को दी जाने वाली परफार्मेंस ग्राण्ट के लिये निर्धारित शर्त क्रमांक 6.4.9 के क्रियान्वयन के प्रयोजन से प्रदेश की नगरीय निकायों में संपत्ति कर के आरोपण/वसूली की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और इस संबंध में नगरीय निकायों को मार्गदर्शन/सहायता प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश प्रापर्टी टैक्स बोर्ड का गठन किया गया है।

8 आश्रय स्थल (रैनबसेरा)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में बाहर से आने वाले शहरी गरीबों के विश्राम के लिये 100 रैनबसेरों के निर्माण कर संचालन किया जा रहा है। रैनबसेरों में पुरूष एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग रहने की व्यवस्था है। रैनबसेरों मे आवश्यक बुनियादी सुविधायें जैसेः– बिस्तर, प्रकाश, पानी, शौचालय, टेलीविजन, सामाचार पत्र, लाकर, सर्दी में कंबल एवं अलाव आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त 33 NULM शहरों में आश्रय स्थल निर्माणाधीन है, जिसमें 29 शहरों में निर्माण पूर्ण होकर संचालन प्रारंभ हो गया है, तथा आश्रय स्थलों का संचालन एवं वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

9 शहरी सुधार कार्यक्रम

प्रदेश के नगरीय निकायों की प्रणाली में सुधार कर पारदर्शिता लाने तथा कार्यक्षमता में वृद्धि करने हेतु ''शहरी सुधार योजना'' लागू की गई है। जिसे परियोजना परीक्षण समिति द्वारा दिनांक 12.12.2013 को स्वीकृति प्रदान की गई हे । योजना के अंतर्गत सम्मिलित प्रमुख घटक तथा उनकी प्रगति निम्नानुसार हैः–

1.	नगरीय निकायों की लेखा प्रणाली के संभूति आधारित द्विप्रविष्टीय लेखा प्रणाली में परिवर्तन करना।	56 निकायों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 98 निकायों में कार्य प्रगति पर है। 94 निकायों में कार्य हेतु विशेषज्ञ फर्मो का चयन कर लिया गया है तथा शेष 130 निकायों में पुनः निविदाएं आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।
2.	नगरीय निकायों में ई–प्रशासन स्थापित करना।	प्रदेश के समस्त शहरों में ई–नगरपालिका पद्धति लागू कर दी गई है जिसके अंतर्गत नगर निगम के समस्त मुख्य कार्यप्रणालियों को ऑनलाइन कर दिया गया है।
3.	जीआईएस आधारित नक्शे तैयार कर संपत्तिकर के दायरे तथा वसूली में वृद्धि किया जाना।	32 नगरीय निकायों में सम्पत्ति सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 67 नगरीय निकायों में GIS आधारित मानचित्र का कार्य पूर्ण, साथ ही 145 नगरीय निकायों में कार्य प्रगतिरत है, शेष नगरीय निकायों के GIS कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।
4.	शहरी गरीबों के लिये मूलभूत सेवाओं का प्रावधान।	इस हेतु नगरीय निकायों के बजट में 25 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया जा रहा है।
5.	प्रशासनिक एवं संरचनात्मक सुधार	1. नगर निगमों तथा नगर पालिका/परिषदों के लिये आदर्श कार्मिक संरचना लागू की गई है । 2. नगरीय निकायों के लिये नवीन राज्य स्तरीय ''म.प्र. नगरीय वित्त सेवा'' गठित की गई है । 3. पूर्व से प्रचलित म.प्र. नगरीय प्रशासनिक, यांत्रिकी तथा स्वास्थ्य सेवा का पुनर्गठन किया गया है । 4. संचालनालय एवं संभागीय कार्यालयों का पुनर्गठन किया गया है ।

10 करों के संग्रहण हेतु प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों को राजस्व संग्रहण के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना प्रारंभ की गई है। तद्नुसार राजस्व संग्रहण के लिये नगर निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषदों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के लिये प्रोत्साहन पुरूस्कार प्रदान किये जाते हैं ।

(इ) कर्मचारी कल्याण योजनाएं

1. नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना

1.1 विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिये **मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (पेंशन) नियम, 1980** बनाये गये हैं, जिसमें वर्णित प्रावधानों एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।

1.2 योजना का संचालन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास पदेन ''नियंत्रक पेंशन, स्थानीय निकाय'' नामांकित हैं। योजना के संचालन के लिये संचालनालय स्तर पर ''कंट्रोलर ऑफ पेंशन फार लोकल बाडीज मध्यप्रदेश'' के नाम से एक पृथक बैंक खाता खोला गया है, जिसमें पेंशन अंशदान की राशि जमा की जाती है।

1.3 योजना के संचालन के लिये वर्तमान में नगरीय निकायों द्वारा उनकी निकायों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान का अधिकतम के 12 प्रतिशत की दर से अंशदान पेंशन निधि में जमा किया जा रहा है। साथ ही नगरीय निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान से भी अतिरिक्त राशि काटकर पेंशन निधि में जमा की जा रही है।

1.4 प्रदेश की नगरीय निकायों के पेंशनरों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्तमान में नगरीय निकायों के कुल 14,597 सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिस पर रूपये 15.40 करोड़ प्रतिमाह वित्तीय भार आ रहा है।

1.5 नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उपदान की राशि का भुगतान भी उपरोक्त निधि से ही किया जा रहा है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजना के अंतर्गत पेंशन के कुल 1344 प्रकरण निराकृत किये गये हैं, जिसमें उपदान के रूप में रूपये 39.57 करोड़ का भुगतान किया गया है। साथ ही नियमित पेंशन भुगतान पर कुल रूपये 194.48 करोड़ का व्यय हुआ है।

1.7 वर्तमान में प्रदेश की नगरीय निकायों के पेंशनरों को भारतीय स्टेट बैंक की भोपाल स्थित शाखा लिंक रोड़–1 के माध्यम से पेंशन का नियमित रूप से वितरण किया जा रहा है। पेंशन वितरण की उक्त प्रक्रिया को और अधिक लाभदायक एवं पारदर्शी बनाए जाने के उद्देश्य से संचालनालय द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के Central Pension Proccessing Center के माध्यम से पेंशन वितरण करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, जिसके अंतर्गत भी पेंशन का वितरण किया जा रहा है।

1.8 प्रदेश के नगर पालिक निगम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं रतलाम अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये स्वयं के स्तर पर पेंशन योजना संचालन कर रहे हैं।

2. परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (NPS)

2.1 विभाग द्वारा राज्य शासन के शासकीय कर्मचारियों के समान ही प्रदेश की नगरीय निकायों/अधीनस्थ कार्यालयों में दिनांक 01.01.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए ''परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना'' लागू की गई है।

2.2 योजना का संचालन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत NSDL (National Securities Depository Limited) मुम्बई द्वारा संचालनालय के अधीनस्थ सभी संभागीय कार्यालयों/ नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर परिषदों/जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिये पृथक–पृथक DDO Registration Number आवंटित किये गये हैं।

2.3 अधीनस्थ कार्यालयों/नगरीय निकायों को आवंटित DDO Registration Number के अंतर्गत NSDL मुम्बई द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को Permanent Retirement Account Number (PRAN) आवंटित किये जा रहे हैं।

2.4 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 1026 अधिकारियों/कर्मचारियों को PRAN आवंटित किये गये हैं एवं योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 5611 कर्मचरियों को PRAN आवंटित हो चुके हैं। जिन कर्मचारियों को PRAN आवंटित हो चुके हैं, उनके संबंध में अधीनस्थ कार्यालयों/नगरीय निकायों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उनके Data & Fund NSDL मुंबई को अंतरित किये जा रहे हैं।

3. मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवक कर्मचारी–बीमा–सह–बचत योजना, 2014

3.1 विभाग द्वारा प्रदेश के नगरपालिका सेवकों के लिए पूर्व से लागू की गई परिवार कल्याण निधि योजना, 1987 का पुनरीक्षण किया जाकर इसे अधिक लाभकारी बनाते हुए प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के समान ही मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवक कर्मचारी–बीमा–सह–बचत योजना अक्टूबर, 2014 से लागू की गई है।

3.2 योजना का संचालन परिवार कल्याण निधि योजना, 1987 की भांति पूर्वानुसार ही संचालनालय द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत यूनिट के आधार पर अधिकारियों/ कर्मचारियों को मासिक अंशदान देना होता है। इस योजना के अंतर्गत अंशदान तथा बीमा मूल्य निम्नानुसार हैः–

अधिकारी/ कर्मचारी की श्रेणी	यूनिट की संख्या	यूनिट का मूल्य	अंशदान की राशि	बीमा मूल्य	बीमा धन	बचत राशि
1	2	3	4	5	6	7
चतुर्थ श्रेणी	1	100	100	1,25,000	35	65
तृतीय श्रेणी	2	100	200	2,50,000	70	130
द्वितीय श्रेणी	4	100	400	5,00,000	140	260
प्रथम श्रेणी	6	100	600	7,50,000	210	390

3.3 योजना के अंतर्गत सदस्य कर्मचारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर परिवार के नामांकित सदस्य/वैध उत्तराधिकारी को बीमा राशि के साथ–साथ बचत निधि में जमा राशि भी ब्याज सहित भुगतान की जाती है, परन्तु कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/सेवा से निकाले जाने/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा त्याग पत्र देने पर उसे केवल बचत निधि में जमा राशि भुगतान की जाती है।

3.4 वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजना के अंतर्गत कुल 1094 प्रकरण स्वीकृत किये गये, जिनमें कुल राशि रूपये 6.08 करोड़ का भुगतान किया गया है।

4. सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना, 1988

4.1 प्रदेश की नगरीय निकायों में कार्यरत नियमित सफाई कामगारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समूह बीमा योजना दिनांक 01.04.1988 से प्रारंभ की गई है।

4.2 वर्तमान में उक्त योजना के अंतर्गत प्रति हितग्राही रूपये 120.00 और राज्य शासन का अंशदान प्रति हितग्राही रूपये 360.00 वार्षिक निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सफाई कामगारों की सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु की स्थिति में रूपये 50,000.00 और दुर्घटनाजनित मृत्यु पर रू. 1,00,000.00 सफाई कामगारों द्वारा नामांकित व्यक्तियों को भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

4.3 वित्तीय वर्ष 2017–2018 में कुल 76 प्रकरणों में कर्मचारी की मृत्यु उपरांत नामांकित व्यक्तियों को कुल राशि रूपये 33.70 लाख का भुगतान किया गया है।

भाग–चार

अन्य प्रशासनिक विषय

1 विभाग एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन एवं प्रबोधन कार्यक्रम

1.1 74 वे संविधान संशोधन में अंतर्निहित समावेशी शहरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समतामूलक अभिशासन आवश्यक है। प्रशिक्षण उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रभावी साधन है। इस महत्पूर्ण कार्य को संपादित करने के लिए विभाग द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान का गठन किया गया है।

1.2 संस्थान की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 10.12 हेक्टेयर भूमि राजाभोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के समीप ग्राम भौंरी में प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा भी संस्थान के वित्तीय सहयोग के लिए रूपये 60.00 करोड़ का अनुदान उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया गया है। संस्थान के सभी कार्य शासी–परिषद् के मार्गदर्शन में संपन्न होते हैं तथा दैनंदिनी के प्रशासनिक मामलों से संबंधित निर्णय कार्यकारी परिषद् द्वारा लिये जाते है। शासी–परिषद् एवं कार्य परिषद् में केन्द्र तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि, नगरीय विकास से सरोकार रखने वाले विषय विशेषज्ञ, उद्यमी, सामुदायिक संगठनों एवं शहरी निकायों के जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है।

1.3 नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नवस्थापित राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान द्वारा नगरीय निकायों के लोकसेवकों, नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं कर्मियों तथा नगरीय विकास से सरोकार रखने वाले प्रतिनिधियों के लिये व्यवस्थित उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन विभागीय वार्षिक प्रशिक्षण पंचाग अनुसार किया जाता है । संस्थान के सभी कार्य, कार्य परिषद के मार्गदर्शन में संपन्न होते हैं । संस्थान द्वारा एक स्थल समावेशी अभिशासन के लिये आवश्यक प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

1.4 संस्थान द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 25 जनवरी, 2018 की स्थिति में कुल 64 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन स्थानीय सहयोगी प्रशिक्षण संस्थाओं यथाः आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, आपदा प्रबंध संस्थान एवं अखिल भारतीय स्थानीय शासन संस्थान भोपाल के माध्यम से किया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम संभागीय स्तर संभागीय संयुक्त संचालकों के माध्यम से भी आयोजित किये गये हैं ।

1.5 आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नगरीय निकायों के विभिन्न स्तरों के लोक सेवकों एवं नवनियुक्त मुख्य नगरपालिका अधिकारियों एवं उपयंत्रियों को सम्मिलित करते हुए कुल 2740 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है । इससे स्पष्ट होता है कि, प्रति प्रशिक्षण में लगभग 43 प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण में भाग लिया गया है ।

1.6 राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए विभागीय प्रशिक्षण की आवश्यकताओं एवं वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर कार्य निष्पादन में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत नगरीय विकास एवं प्रबंधन के महत्वपूर्ण 7 क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कुल 59 विषयों जिसमें राष्ट्रीय एवं प्रदेशिक योजनाएं भी सम्मिलित है पर लगभग 152 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है । इस वर्ष के प्रशिक्षण पंचाग में नव नियुक्त उपयंत्रियों एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों के लिये भी व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन पूर्व वर्ष की भांति स्थानीय सहयोगी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रस्तावित किया गया है ।

1.7 इस वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नगरीय निकायों के नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों, शासकीय लोकसेवकों एवं नव नियुक्त कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित करते हुए लगभग 4500 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य है ।

2. सूचना प्रौद्योगिकी

2.1 विभाग द्वारा अपनी वेबसाईट भी प्रारंभ की गई है, जिसका यूआरएल www.mpurban.gov.in है। वेबसाईट पर विभाग द्वारा नगरीय निकायों से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी ''स्टेटिक'' और ''डायनेमिक'' रूप में उपलब्ध है।

2.2 ई–नगर पालिका–

- म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (MAS)के सफल क्रियान्वयन को देखते हुए विभाग द्वारा समस्त नगरीय निकायों मे ERP आधारित E-Nagar Palika एप्लीकेशन का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है। डिजिटल इंडिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां कि प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों को एक ही Application पर लाया गया है। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत नगरीय निकायों के द्वारा प्रदत्त समस्त नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। नागरिक Mobile App द्वारा भी समस्त नगरीय निकायों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की मांग कर सकते हैं। इससे निकायों में नागरिक सेवाओं की पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ी है।
- नगरीय निकायों की आंतरिक व्यवस्था को भी ई–नगर पालिका अन्तर्गत सम्पूर्ण रुप से कम्प्यूटराईज्ड किया गया है। समस्त प्रकार के भुगतान डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं तथा समस्त भुगतान नेटबैंकिंग द्वारा किये जाने की सुविधा है। सभी निकायों को नागरिक से ऑनलाईन भुगतान प्राप्त करने हेतु Payment Gateway से जोड़ा गया है।
- निकाय अधीन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के डाटा को कम्प्यूटराईज्ड किया गया है तथा आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है।
- 1 अप्रैल 2017 से आज दिनांक तक कुल 179316 प्रकरणो हेतु राशि रुपये 3280 करोड़ के भुगतान विभिन्न वेन्डरों को ऑनलाईन किये जा चुके हैं।

2.3 **ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन एंड अप्रूवल सिस्टम** (ABPAS)–

- वर्तमान में प्रदेश के 14 नगर निगमों मे नागरिकों को पारदर्शी तरीके से भवन अनुज्ञा जारी करने हेतु Automated Building Permission Approval System लागू किया गया है।
- इसके अन्तर्गत बिना निकाय में आये हुए ही ऑनलाईन भवन अनुज्ञा का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया बिना किसी मानव हस्तक्षेप के प्रोसेस की जाती है। यहां तक Building Inspector द्वारा Site Visit के दौरान भी Mobile App द्वारा ही जानकारी प्राप्त कर सीधे सिस्टम में अपलोड कर दी जाती है।
- फीस मेमो सिस्टम द्वारा स्वतः ही Generate किया जाता है तथा भुगतान भी ऑनलाईन ही स्वीकार किया जाता है। इस वर्ष के अन्त तक प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में ABPAS सिस्टम लागू कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 4300 मॉडल नक्शे सिस्टम में अपलोड किये गये है। जिसके द्वारा नागरिक अपने प्लाट के क्षेत्रफल एवं FARके आधार पर स्वयं ही मॉडल ड्राईंग का चयन कर ऑनलाईन भुगतान करने की सुविधा है तथा ऐसे प्रकरणों में नागरिक द्वारा जमा की गई फीस की रसीद को ही Provisional भवन अनुज्ञा माना जाता है। इसमें नागरिक को Architect से नक्शा बनवाने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के प्लाट में Architect को भवन अनुज्ञा जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई है।
- आज दिनांक तक इस सिस्टम के द्वारा 60,311 से अधिक भवन अनुज्ञा स्वीकृत किये गये है।
- अप्रैल 2018 से Automated Building Permission Approval System प्रदेश के समस्त नगरीय निकायो में लागू किया जा रहा हैं।

3. **वीडियो कांफ्रेसिंग**

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के प्रशासकीय भवन में विभाग का स्वयं का वीडियो कांफ्रेसिंग रूम विकसित किया गया है। नगरीय निकायों के अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों तथा संभागीय अधिकारियों से माह में दो बार वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा की जा रही है।

4. **ऑन लाईन फंड ट्रांसफर**

4.1 प्रदेश स्तर से नगरीय स्थानीय निकायों को विभिन्न मदों में वित्तीय सहायता मुक्त की जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं गति लाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा ऑन लाईन फंड ट्रांसफर की व्यवस्था सशक्त रूप से लागू की गयी है। इस प्रक्रिया में नगरीय निकायों को मुक्त की जाने वाली विभिन्न मदों की राशि सीधे बैंकों के माध्यम से ''इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर'' द्वारा संबंधित निकाय के बैंक खाते में जमा कराई जाती है।

4.2 ऑन लाईन फंड ट्रांसफर की व्यवस्था प्रारंभ करने से राशि के अंतरण में लगने वाले धन तथा समय दोनों की बचत हुई है। इस प्रक्रिया से कुछ ही समय में राशि निकाय के खाते में जमा हो जाती है। वर्तमान में कोषालय के माध्यम से भी राशि सीधे नगरीय निकायों के बैंक खातों में अंतरित हो रही है।

5. **मध्यप्रदेश राज्य सफाई कामगार आयोग**

प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के हितों तथा अधिकारों को बढ़ावा देने तथा सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सफाई कामगार आयोग का गठन किया गया है । राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन किया गया हैं।

6. **मध्यप्रदेश राज्य सिलाई कला मण्डल**

प्रदेश के परम्परागत वस्त्र सिलाई करने वाले जन समुदाय के जीवन स्तर के उन्नयन एवं कौशल विकास के लिये मध्यप्रदेश राज्य सिलाई कला मण्डल का गठन किया गया है । राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान मण्डल में अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन किया गया हैं।

7. **मध्यप्रदेश राज्य केश शिल्पी मण्डल**

प्रदेश के परम्परागत केश शिल्प करने वाले जन समुदाय के जीवन स्तर के उन्नयन एवं कौशल विकास के लिये मध्यप्रदेश राज्य केश शिल्पी मण्डल का गठन किया गया है । राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान मण्डल में अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन किया गया हैं।

8. **मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र स्वच्छता मण्डल**

प्रदेश के परम्परागत वस्त्र प्रक्षालन करने वाले जन समुदाय के जीवन स्तर के उन्नयन एवं कौशल विकास के लिये मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र स्वच्छता मण्डल का गठन किया गया है । राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान मण्डल में अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन किया गया हैं।

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश

भाग – एक

1.1 विभागीय संरचना

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी । आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश जिसके विभागाध्यक्ष है । जिनका मुख्यालय वर्तमान में भोपाल में ''पर्यावरण परिसर'' ई–5, अरेरा कालोनी में स्वयं के कार्यालय भवन में दिनांक 23.9.2001 से कार्यरत है। विभाग का मुख्य गतिविधियॉ, उद्देश्य एवं दायित्व नगरों को सुसंगठित एवं सुनियोजित रूप से बसाने के लिये उनकी विकास योजनाएं तैयार करना होता है, एवं एक नियमित अंतराल पर उनका नगर की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षण करना एवं प्रादेशिक विकास योजना बनाना है । जिसकी वर्तमान संरचना निम्नानुसार हैः–

1.2 अधीनस्थ कार्यालय

वर्ष 1999 में जिला सरकार की अवधारणा एवं वर्ष 2000 में राज्य पुनर्गठन होने के पश्चात संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के अधीनस्थ संचालनालय के समस्त संभागीय कार्यालयों को जिला कार्यालय में तब्दील किया गया, जिसके अनुसार वर्तमान में संचालनालय के अतिरिक्त 28 जिला कार्यालय जिसमें **7** संयुक्त संचालक कार्यालय, यथा– भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन, **10** उप संचालक कार्यालय– होशंगाबाद, छिन्दवाड़ा, रतलाम सिंगरौली शहडोल,खण्डवा, सतना, नीमच, देवास, गुना एवं **11** सहायक संचालक कार्यालय–बैतूल, राजगढ़, विदिशा, कटनी, मण्डला, भिण्ड छतरपुर, झाबुआ. अनूपपुर, श्योपुर, खरगौन वर्तमान में कार्यरत है ।

1.3 अमला

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के लिये स्वीकृत अमला निम्न तालिका अनुसार है–

स. क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
1.	आयुक्त सह संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	01
2.	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	02
3.	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	11
4.	उप संचालक(नियोजन)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	15
5.	उप संचालक(सर्वे)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (सर्वे में योग्यताधारी)	02
6.	उप संचालक(रिसर्च)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (रिसर्च में योग्यताधारी)	01
7.	उप संचालक(स्था)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (विभागीय सेवा)	01
8.	सहायक संचालक(योजना)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	26
9.	सहायक संचालक (सर्वे/प्रोजेक्ट)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (सर्वे/प्रोजेक्ट में योग्यताधारी)	07
10.	सहायक संचालक (रिसर्च)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (रिसर्च में योग्यताधारी)	05
11.	सहायक संचालक(स्था)	द्वितीय श्रेणी (विभागीय सेवा)	01
12.	लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति से)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का)	01
13.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति से)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का)	01
14.	संपरीक्षक(आडीटर) (प्रतिनियुक्ति से)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का)	01
15.	सूचना प्रोद्योगिक अधिकारी(प्रोग्रामर)	संविदा सेवा पर	01

स. क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
16.	सहायक सूचना प्रोद्योगिकी अधिकारी	संविदा सेवा पर	02
17.	मानचित्रकार	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	45
18.	सहायक मानचित्रकार	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	50
19.	अनुरेखक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	73
20	उपयंत्री	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	40
21.	वरिष्ठ भू–मापक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	21
22.	कनिष्ठ भू–मापक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	30
23.	वरिष्ठ रिसर्च सहायक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	13
24.	रिसर्च सहायक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	13
25.	अन्वेषक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	26
26.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–1 (स्टाफ आफिसर)	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	02
27.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2 (निज सचिव)	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	04
28.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3 (निज सहायक)	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	11
29.	स्टेनो टायपिस्ट	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	22
30.	अधीक्षक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	10
31.	सहायक अधीक्षक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	10
32.	सहायक ग्रेड–1	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	25
33.	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	46
34.	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	66
35.	स्टोर कीपर	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	10
36.	कोडर / केडआपरेटर फोटोग्राफर / मॉडलर / सहा. मॉडलर / कलाकार / नीलमुद्रक के पदो को डाइंग केडर घोषित कर इनकी सेवा निवृत्ति के बाद कम्प्यटूर अपरेटर के नवीन पद	डाईंग केडर घोषित होने के बाद कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर संविदा सेवा नियुक्ति	41
37.	ग्रन्थपाल	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	01
38.	दफ्तरी	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	13
39.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी–12 (संविदा पर 09)	21
40.	प्रेसमेन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02
41	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	29
42.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–57 (संविदा सेवा पर–41)	98
43.	चैनमैन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–28 संविदा सेवा पर–06	34
44.	वाटरमैन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
45.	स्वीपर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश विभागीय सेटअप का 2012 में पुनरीक्षण किया जाकर विभिन्न संवर्गो के स्वीकृत 525 पदो के स्थान पर 836 पद स्वीकृत किये गये हैं।

1.4 विभाग के अंतर्गत आने वाली संस्थायेः–

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी आते हैं, जिनका गठन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत किया गया है । जो वर्तमान में निम्नानुसार कार्यरत हैंः–

नगर विकास प्राधिकारी		विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी	
1	भोपाल विकास प्राधिकरण	1	ग्वालियर, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (ग्वालियर काउंटर मेग्नेट)
2	इंदौर विकास प्राधिकरण	2	पचमढ़ी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
3	ग्वालियर विकास प्राधिकरण	3	खजुराहो (पर्यटन क्षेत्र) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
4	जबलपुर विकास प्राधिकरण	4	महेश्वर–मंडलेश्वर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
5	उज्जैन विकास प्राधिकरण	5	ओरछा, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
6	देवास विकास प्राधिकरण		
7	रतलाम विकास प्राधिकरण		
8	कटनी विकास प्राधिकरण		
9	अमरकंटक विकास प्राधिकरण		
10	सिंगरौली विकास प्राधिकरण		

2. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के दायित्व :

2.1 मुख्य कार्यकलाप–संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के मुख्य कार्यकलाप मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत संचालित किये जाते हैं, जिनमें प्रमुख कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :–

2.2 प्रादेशिक विकास योजना तैयार करना–मध्य प्रदेश राज्य को 8 विभिन्न निवेश प्रदेशों (रीजन) में विभक्त किया गया है, जो कृषि, उद्योग, खनिज संपदा, वन संपदा आदि के बाहुल्य पर आधारित है जिसमें बीना पेट्रोकेमीकल्स प्रदेश की प्रादेशिक विकास योजना (रीजनल प्लान) तैयार कर प्रकाशित की जा चुकी हैं एवं भोपाल केपीटल रीजन (रीजनल प्लान) 1:50,000 पर तैयार कर प्रकाशन हेतु तैयार है, तथा ग्वालियर चंबल एग्रो रीजन की प्रादेशिक योजना का कार्य आई.टी.पी.आई. द्वारा किया गया है। इस वर्ष इंदौर एग्रो रीजन की योजना तैयार की जा रही है, जो अंतिम चरण में है।

2.3 नगर विकास योजना तैयार करना–राज्य के नगरों की विकास योजनायें बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, जिसमें विभिन्न श्रेणी के नगरों के अतिरिक्त पवित्र नगर, पर्यटन, ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्योगिक महत्व के नगरों की विकास योजना तैयार की जाती है। अभी तक कुल 96 नगरों की विकास योजनायें प्रकाशित की जा चुकी हैं, जिसमें से 83 विकास योजनायें अंगीकृत की गई हैं, तथा पुनरीक्षित विकास योजनाएं 38 प्रकाशित की जा चुकी है जिसमें से 26 अंगीकृत होकर प्रभावशील हैं। विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	कियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
1	2	3	4	5	6	7.
1	इंदौर	10.06.1974	01.03.1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
2	भोपाल	19.11.1974	25.08.1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
3	उज्जैन	20.05.1975	28.10.1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय / धार्मिक
4	खजुराहो	26.10.1975	11.10.1977	नगर पंचायत	1991	पर्यटक
5	जबलपुर	26.08.1977	28.09.1979	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
6	ग्वालियर	09.03.1979	21.10.1980	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय / पर्यटक
7	देवास	04.09.1979	10.03.1986	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय / औद्योगिक
8	शिवपुरी	25.04.1987	05.08.1988	नगर पालिका	2001	जिला मुख्यालय / पर्यटक
9	चंदेरी	27.06.1987	24.01.1989	नगरपालिका	2001	पर्यटक / हतकरघा औघोगिक
10	रतलाम	24.06.1985	28.05.1990	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय / औद्योगिक
11	रीवा	28.03.1987	27.11.1990	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय
12	सतना	29.08.1986	18.04.1991	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय /औघोगिक
13	बुरहानपुर	26.02.1993	08.06.1995	नगर निगम	2005	जिला मुख्यालय / हथ करघा औघोगिक
14	नव हरसूद	23.01.1995	14.02.1997	साडा	2011	तहसील मुख्यालय
15	दमोह	04.07.1994	19.03.1998	नगर पालिका	2005	जिला मुख्यालय
16	चित्रकूट	06.09.1994	03.08.1998	नगर पंचायत	2005	पवित्र/धार्मिक
17	बीना	15.04.1999	14.01.2000	नगरपालिका	2011	तहसील मुख्यालय / औघोगिक
18	सागर	05.06.1999	03.03.2000	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय
19	सांची	01.11.1999	11.07.2000	नगर पंचायत	2011	पर्यटक
20	नीमच	25.10.1999	05.07.2000	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
21	पन्ना	21.10.1999	17.05.2000	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
22	ग्वालियर साडा	22.10.1999	24.04.2000	साडा	2011	साडा
23	इटारसी	22.02.2000	09.03.2001	नगरपालिका	2011	तहसील मुख्यालय
24	खण्डवा	29.02.2000	09.03.2001	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय
25	मैहर	18.09.2000	31.08.2001	नगरपालिका	2011	पवित्र/धार्मिक
26	मांडव	24.01.2001	02.11.2001	नगर पंचायत	2011	पर्यटक
27	छिंदवाड़ा	14.02.2001	09.08.2002	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
28	शहडोल	22.01.2001	05.12.2002	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
29	खरगौन	16.03.2002	05.12.2002	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
30	जावरा	25.03.2002	16.12.2002	नगर पालिका	2011	तहसील मुख्यालय
31	विदिशा	10.08.2001	21.01.2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
32	मंदसौर	29.09.2002	12.05.2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
33	पाण्ढुर्ना	21.01.2003	29.08.2003	नगरपालिका	2011	तहसील मुख्यालय
34	गुना	29.03.2003	29.08.2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
35	झाबुआ	05.05.2003	10.10.2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
36	सीहोर	27.06.2001	31.05.2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
37	भिण्ड	04.09.2003	28.05.2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय

क्र.	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	कियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
38	टीकमगढ़	28.02.2004	17.12.2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
39	सिहोरा	23.06.2004	28.01.2005	नगरपालिका	2011	तहसील
40	बड़वानी	06.07.2004	17.12.2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
41	सिंगरौली	20.08.2004	20.05.2005	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय / माइनिंग
42	अमरकंटक	30.10.2004	20.05.2005	नगर पंचायत	2015	पवित्र नगर / धार्मिक
43	बैतूल	10.12.2004	30.08.2005	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
44	महेश्वर	22.03.2005	12.09.2005	नगर पंचायत	2015	पवित्र नगर / धार्मिक
45	होशंगाबाद	27.04.2005	03.02.2006	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
46	बालाघाट	29.6.2005	26.05.2006	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
47	शाजापुर	06.09.2005	12.05.2006	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
48	ओंकारेश्वर	18.11.2005	11.08.2006	नगर पंचायत	2021	पवित्र नगर / धार्मिक
49.	राजगढ़	16.01.2006	11.08.2006	नगर पंचायत	2021	जिला मुख्यालय
50.	उमरिया	18.03.2006	09.03.2007	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय / माइनिंग
51.	मण्डला	31.05.2006	09.03.2007	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय / पवित्रनगर
52.	ओरछा	03.08.2002	18.05.2007	नगर पंचायत	2011	पवित्र नगर
53.	सीधी	25.09.2006	17.9.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
54	छतरपुर	15.02.2007	17.9.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
55	अशोकनगर	30.06.2007	4.10.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
56	अलीराजपुर	30.08.2007	4.10.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
57	दतिया	05.01.2008	4.10.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
58	रायसेन	21.01.2008	4.10.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
59.	मुरैना	28.3.2008	4.10.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
60.	हरदा	27.03.2006	8.10.2008	नगरपालिका	2015	जिला मुख्यालय
61	बैरसिया	29.07.2006	8.10.2008	नगर पंचायत	2011	तहसील
62.	सिवनी	14.08.2007	8.10.2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
63.	कटनी	31.03.2006	19.6.2009	नगरनिगम	2021	जिला मुख्यालय / औद्योगिक
64.	अनूपपुर	05.09.2008	27.06.2009	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
65.	नरसिंहपुर	29.07.2006	30.03.2010	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
66.	श्योपुर	22.7.2008	16.04.2010	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
67.	धार	12.01.2009	16.04.2010	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
68.	डबरा	07.07.2009	16.04.2010	नगरपालिका	2021	तहसील एवं औद्योगिक
69.	मुलताई	12.10.2009	04.03.2011	नगरपालिका	2021	तहसील / पवित्र नगरी
70.	गोहद	08.03.2013	19.09.2013	नगरपालिका	2031	तहसील
71.	गंजबासौदा	10.05.2013	20.06.2014	नगरपालिका	2031	तहसील
72.	पिपरिया	11.08.2011	01.08.2014	नगरपालिका	2021	तहसील
73.	शुजालपुर	22.02.2014	27.02.2015	नगरपालिका	2031	जिला मुख्यालय
74.	सेंधवा	22.10.2011	16.03.2015	नगरपालिका	2021	तहसील
75.	रामपुर बाघेलान	30.03.2012	26.8.2015	नगर परिषद	2021	तहसील
76.	खुरई	22.10.2009	12.02.2016	नगरपालिका	2021	तहसील

क्र.	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	कियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
77.	भेड़ाघाट	15.09.2011	16.09.2016	नगर पंचायत	2021	पर्यटक
78.	बांधवगढ	17.09.2012	16.09.2016	नगर पंचायत	2031	पर्यटन स्थल
79.	हनुवंतिया	21.4.2016	08.12.2016	नगर पंचायत	2031	पर्यटक
80.	आगर मालवा	29.01.2015	27.03.2017	नगर पंचायत	2041	जिला मुख्यालय
81.	चाकघाट	08.02.2012	18.08.2017	नगर पंचायत	2021	तहसील
82.	सलकनपुर	23.12.2011	22.09.2017	नगर पंचायत	2021	पवित्र नगर
83.	मण्डीदीप	24.05.2013	27.07.2017	नगर पालिका	2031	औद्योगिक
84.	नरसिंहगढ़	29.09.2006	—	नगरपालिका	2021	तहसील
85.	डिंडोरी	31.07.2009	—	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
86.	नौगांव	11.02.2010	—	नगरपालिका	2021	तहसील
87.	गरोठ	10.08.2011	—	नगर पंचायत	2021	तहसील
88.	मढई	5.10.2011	—	नगर पंचायत	2021	पर्यटक
89.	नागदा	10.10.2011	—	नगरपालिका	2021	औद्योगिक
90.	ब्यावरा	22.12.2011	—	नगरपालिका	2021	तहसील
91.	सौंसर	23.12.2011	—	नगरपालिका	2021	तहसील
92.	आमला	22.03.2012	—	नगरपालिका	2021	तहसील
93.	कुक्षी	30.03.2012	—	नगर परिषद	2031	तहसील
94.	आलोट	30.03.2012	—	नगर पंचायत	2031	तहसील
95.	सिरोंज	30.03.2012	—	नगरपालिका	2031	तहसील
96	आष्टा	30.08.2006	—	नगरपालिका	2021	तहसील

2.4 पुनरीक्षित विकास योजना —इसके अंतर्गत प्रभावशील नगर विकास योजना के प्रथम/द्वितीय चरण उपरान्त पुनर्विलोकन एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार उपान्तरण कर पुनरीक्षित विकास योजना तैयार की जाती है। इसके अंतर्गत 38 पुनरीक्षित विकास योजनायें प्रकाशित कर 26 विकास योजनाऐं प्रभावशील की जा चुकी हैं, विवरण निम्नानुसार है —

पुनरीक्षित विकास योजनायें

क्र.	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	क्रियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
1	2	3	4	5	6	7.
1.	भोपाल	17.10.1994	09.06.1995	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय
2.	खजुराहो	04.03.1994	05.06.1995	नगर पंचायत	2011	पर्यटक
3.	ग्वालियर	29.10.1995	19.03.1998	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय/ पर्यटक
4.	जबलपुर, (प्रथम चक्र)	29.12.1995	08.12.1998	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय
5.	देवास	18.03.2002	17.12.2002	विकास प्राधि.	2011	जिला मुख्यालय/ औद्योगिक
6.	उज्जैन	13.08.2005	06.06.2006	विकास प्राधि.	2021	जिला मुख्यालय/ पवित्र नगर
7.	इंदौर	13.07.2006	01.01.2008	विकास प्राधि.	2021	जिला मुख्यालय
8.	जबलपुर (द्वितीय चक्र)	09.02.2007	01.10.2008	विकास प्राधि	2021	जिला मुख्यालय
9.	रीवा	21-01-2009	30-03-2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
10.	सतना	30-06-2009	30-03-2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय

क्र.	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	क्रियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
1	2	3	4	5	6	7.
11.	बुरहानपुर	02-07-2009	30-03-2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
12.	रतलाम	22-10-2009	14-6-2013	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
13.	बैतूल	13-01-2013	19-09-2013	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
14.	दमोह	15-03-2013	19-09-2013	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
15.	होशंगाबाद	14-06-2013	20-06-2014	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय एवं धार्मिक नगर
16.	ग्वालियर	12-08-2011	12-09-2014	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय/ पर्यटक
17.	मैहर	28-2-2014	16-03-2015	नगर पालिका	2031	धार्मिक नगर
18.	सिंगरौली	21-2-2014	27-03-2015	विकास प्राधिकरण	2031	औद्योगिक
19.	शहडोल	28-01-2014	31-03-2015	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
20.	खंडवा	05-09-2012	11-11-2016	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
21	सीहोर	28-6-2014	11-11-2016	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
22.	इटारसी	5-3-2015	28-10-2016	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
23	नीमच	7-2-2014	27-03-2017	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
24.	ओंकारेश्वर	30-09-2016	02-05-2017	नगर पंचायत	2021	धार्मिक नगर
25	सागर	28-02-2014	28-07-2017	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
26	टीकमगढ़	28-12-2016	08-09-2017	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
27	शिवपुरी	18-11-2011	-	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय/ पर्यटक
28	बीना	2-12-2011	-	नगर पालिका	2021	औद्योगिक
29	विदिशा	25-01-2012	-	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
30	देवास	09-10-2012	-	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
31	गुना	28-2-2014	-	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
32	हरदा	27-8-2015	-	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
33	पांढुर्ना	28-12-2016	-	नगर पालिका	2031	तहसील
34	मांडव	17-02-2017	-	नगर परिषद्	2031	पर्यटक नगर
35	चंदेरी	27-02-2017	-	नगरपालिका	2031	पर्यटक/ हथकरघा उद्योग
36	भिण्ड	23-03-2017	-	नगरपालिका	2031	जिला मुख्यालय
37	छिंदवाड़ा	31-05-2017	–	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
38	जावरा	22-07-2017	-	नगरपालिका	2031	तहसील

3. नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारियों के कृत्यों से संबंधित दायित्व :–

3.1 नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों द्वारा तैयार की जाने वाली नगर विकास योजनाओं (स्कीम) का तकनीकी एवं विधिक परीक्षण।

3.2 नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों के वार्षिक बजट परीक्षण।

3.3 नव गठित विकास प्राधिकरणों को स्वीकृत अनुदान की राशि को मुक्त कर उपयोगिता प्रमाण पत्रों की शासन एवं महालेखाकार, ग्वालियर को भेजना।

3.4 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम एवं भूमि विकास नियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वयन संस्थाओं से अनाधिकृत विकास पर नियंत्रण करना।

4. अन्य दायित्व –

अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों में नगर विकास योजनाओं के कियान्वयन में विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को तथा अन्य विकास से संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शन देना तथा शासन की भूमि विकास एवं प्रबंधित नीतियों में सहायता करना । संचालनालय के अंतर्गत आने वाले जिला कार्यालयों के अधिकारियों को संचालक की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं ताकि विकास योजना प्रस्तावों का कियान्वयन सुचारू रूप से हो सके । भवन निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधीन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में भवन अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। यह प्रावधान स्थानीय संस्थाओं के अधिनियमों के अतिरिक्त है ।

4.1 <u>विशेषतायें</u>

नगरों के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना एवं पुनरीक्षित विकास योजना बनाना, प्रादेशिक योजना बनाना तथा वित्तीय प्रबंधन करना संचालनालय के विशिष्ट दायित्व हैं ।

4.2 <u>बेबसाईट प्रदर्शन</u>

राज्य के विभिन्न नगरों की प्रभावशील विकास योजनाओं की जानकारी बेबसाईट www.mptownplan.nic.in / www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रस्तावित है। इसमें मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये अन्य नियम जैसे मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012, म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं का व्ययन नियम, 1975 आदि भी शामिल किये गये हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा सिटीजन चार्टर के साथ–साथ संचालनालय से संबंधित समय–समय पर जारी किए गए परिपत्रों, विकास अनुज्ञाओं तथा विकास योजनाओं की जानकारी भी बेबसाईट पर उपलब्ध कराई जाती है ।

4.3 <u>महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ</u> :

क्र.	गतिविधियां	उपलब्धि (नगर)
1.	निवेश क्षेत्र का गठन	158
2.	विशेष क्षेत्र का गठन	05
3.	भूमि उपयोग मानचित्र अंगीकृत	101
4.	विकास योजना प्रकाशित /प्रभावशील	96/83
5.	जिला मुख्यालय नगर/विकास योजना प्रकाशित	51/51
6.	पुनरीक्षित विकास योजना प्रकाशित/प्रभावशील	38/26
7.	मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 प्रभावशील	145
8.	नगर विकास प्राधिकरण	10

नगर विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के कुल 96 नगरों की विकास योजनायें तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की लगभग 76 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या लाभान्वित हुई है।

भाग – दो

1. <u>बजट</u>

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश को विगत वर्षों में "आयोजना" बजट के अंतर्गत निम्नानुसार राशि आवंटित एवं व्यय हुई :–

वर्ष	आयोजना बजट आवंटन (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)
2017–18	401.00	163.12 (31 दिसम्बर 2017 तक)

भाग – तीन

1. राज्य प्रवर्तित योजना :

क्र.	योजना का नाम	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (रू.लाख में)	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	विकास योजना बनाना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण	2015–16	6 नगरों की वि.यो.	6 नगरों की विकास योजना तैयार	394.00	194.58
		2016–17	12 नगर	8 नगरों की प्रारूप एवं 8 नगरों की अंतिम विकास योजना तैयार	180.00	84.34
		2017–18 8 कार्या. 8 नगर (31 दिसम्बर, 17 तक)	12 नगर	6 नगरों की विकास योजना प्रारूप प्रकाशित 2 नगरों की योजना प्रगति पर 8 नगरों की विकास योजना शासन से अनुमोदित	129.72	78.03
2.	प्रादेशिक योजना	2015–16	1 रीजन	भोपाल केपिटल रीजन 1:50,000	100.00	23.56
		2016–17	1 रीजन	ग्वालिर एग्रो रीजन	96.79	0.13
		2017–18 (31 दिसम्बर 17)	1 रीजन	इंदौर केपिटल रीजन	97.30	1.80
3.	सूचना प्रौद्योगिकी	2015–16	8 कार्या./8 नगर	8 कार्यालय	296.99	126.68
		2016–17	4 कार्या./4 नगर, 4 कार्या. जीआईएस में उन्नयन	4 कार्या./4 नगर, 4 कार्या. जीआईएस में उन्नयन	168.30	19.62
		2017–18 (31 दिसम्बर 17)	23 नगरों हेतु जीआईएस वेवबेस्ट एप्लीकेशन तैयार किए जाने हेतु कार्य प्रगति पर है।	सागर, रीवा, उज्जैन की विकास अनुज्ञा एवं भूमि उपयोग ऑनलाईन दिए जाने की	18.69	7.45

				प्रक्रिया प्रगति पर है।		
4	विकास प्राधिकरण को अनुदान	2015–16	7 नगर	7 नगर	574.00	574..00
		2016–17	7 नगर	7 नगर	574.00	454.60
		2017–18 (31 दिसम्बर 17)	7 नगर	7 नगर	155.87	75.57

टीप :– सूचना प्रोद्योगिकी अंतर्गत संचालनालय एवं इसके समस्त 28 कार्यालय को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है, इस योजना हेतु शासन द्वारा मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। राज्य नगर नियोजन संस्था (सिटोप) द्वारा 3 नगरों की वेवबेस्ट जीआईएस एप्लीकेशन तैयार की जा रही है। इसके साथ ही आम जनता की सुविधा को देखते हुए सायबर ट्रेजरी के माध्यम से ऑनलाईन शुल्क जमा कराया जाकर सभी अनुमतियां ऑनलाईन जमा करने के सॉफ्टवेयर विकसित किए जा रहें।

वर्ष 2017–2018 (दिसम्बर 2017 तक) की उपलब्धियॉ :

भौतिक उपलब्धियॉ		
(अ)	प्रारुप विकास योजना प्रकाशित (6 नगर)	1. छिंदवाड़ा 2. जावरा 3. चंदेरी 4. भिण्ड 5. मांडव 6. सिरोंज
(ब)	प्रारूप विकास योजना प्रगति पर (2 नगर)	1. राजगढ़, 2. दतिया
(स)	अनुमोदित विकास योजनाऐं (8 नगर)	1.ओंकारेश्वर 2. सागर 3. चाकघाट 4. टीकमगढ़ 5. सलकनपुर 6. मण्डीदीप 7. नीमच 8. आगर मालवा

भाग – चार

1 **न्यायालयीन कार्यों की स्थिति** :

वित्तीय वर्ष 2017 की अवधि में नगर तथा ग्राम निवेश से संबंधित कुल 131 प्रकरण विभिन्न स्तर के न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये, जिसमें से 91 प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये तथा 13 प्रकरणों में जबाव दावे प्रस्तुत किये जा चुके हैं, जिसमें 3 प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया ।

1.1 **प्रशासकीय गतिविधियॉ** –

(अ) विशेष अभियन में 3 कर्मचारियों की नियुक्ति एवं 2 कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई।

(ब) कुल स्वीकृत 836 पदों के विरूद्ध 385 पद भरे हुए है जिसमें 81 महिलायें कार्यरत हैं।

1.2. **विधायी से संबंधित कार्यकलाप :–**

विधानसभा में उठाये गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर, दिये गये आश्वासनों तथा प्राप्त याचिकाओं की जानकारी यथासमय दी जाती रही है ।

इसके अतिरिक्त विधानसभा की लोक लेखा समिति, आश्वासन समिति आदि द्वारा चाही गई जानकारी यथासंभव उपलब्ध कराई जाती है ।

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम/नियम में संशोधन

1. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधि मान्यकरण) अधिनियम, 2016 द्वारा संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ, धारा 2 का संशोधन, धारा 20 का संशोधन, धारा 50 का संशोधन एवं धारा 56 का संशोधन, विधि मान्यकरण, निरसन तथा व्यावृति। (राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 11.01.2017)
2. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, 2017 में धारा 1, 2, 16, 23–क एवं धारा 23–ग, 23–घ का अंतःस्थापन एवं धारा 34 का लोप किया गया (राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 20. 04.2017)
3. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 में नियम 15(13)(क) की प्रतिस्थापना एवं 15(13)(ख) का विलोपन (राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 22.09.2017)

भाग – पांच

1. **प्रकाशन** :

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नियमित रूप से विभिन्न नगरों की विकास योजनाओं के प्रारूप एवं अनुमोदित विकास योजनाओं का प्रकाशन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है ।

भाग – छः

1. **राज्य की महिला नीति का क्रियान्वयन**

राज्य की महिला नीति के क्रियान्वयन हेतु उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल नोडल अधिकारी नियुक्त हैं। कार्यालय में महिला कर्मियों की मूलभूत सेवा–सुविधाओं की पूर्ति हेतु अलग से व्यवस्था स्थापित की गई है। वर्तमान में विभाग में कुल 74 महिलाएं कार्यरत है, जो कार्यरत पदों का लगभग 18 प्रतिशत है।

भाग – सात

सारांश :

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा 158 नगरीय केन्द्रों के निवेश क्षेत्रों का गठन किया गया है तथा 101 नगरों के वर्तमान भू–उपयोग मानचित्र का प्रकाशन एवं अंगीकरण किया जा चुका है । 96 नगरों की विकास योजनाओं का प्रकाशन किया जा चुका है जिनमें से 83 विकास योजनाएं अंगीकृत है, जिसमें प्रदेश की लगभग 76 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या का नियोजन निहित है। 38 नगरों की पुनरीक्षित विकास योजना का प्रकाशन किया गया है। जिसमें से 26 नगरो की योजनाऐं शासन द्वारा प्रभावशील की जा चुकी है ।

———

राजधानी परियोजना प्रशासन

भाग – एक
संरचना

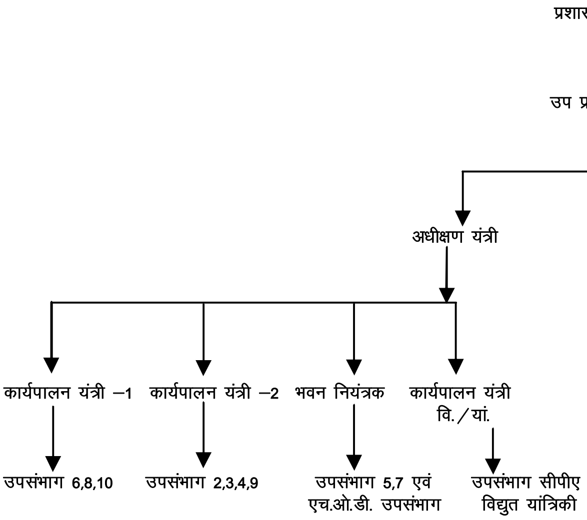

दायित्व

वर्ष 1956 में राज्य पुर्नगठन के उपरान्त जब भोपाल को मध्यप्रदेश की राजधानी बनाया गया तब यह प्रतीत हुआ कि भोपाल प्रदेश की राजधानी बनने के साथ–साथ प्रदेश की प्रशासकीय राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का केन्द्र बनने जा रही है। इसके अनुक्रम में भोपाल नगर तथा उसके आसपास के ग्रामों का शहरीकरण क्रमशः होना प्रारम्भ हुआ। राजधानी के सुनियोजित एवं त्वरित विकास हेतु राजधानी परियोजना प्रशासन का गठन किया गया।

राजधानी परियोजना द्वारा तत्समय से ही उच्च गुणवत्ता का कार्य सम्पादित कराया गया। राजधानी परियोजना प्रशासन की स्थापना होने के समय का भोपाल शहर आज जनसंख्या के अनुसार 10 – 11 गुना बढ चुका है। और क्षेत्रफल/विस्तार में भी शहर पूर्व की अपेक्षा 12–14 गुना बढ चुका है। क्रमशः भोपाल महानगर के रुप में परिवर्तित हो गया है। भोपाल में राजधानी परियोजना की स्थापना हुई तब से उसका आगे कार्य करना राजधानी में विभिन्न आधारभूत/मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना, विभिन्न कार्यों हेतु समन्वयक के रुप में कार्य करना तथा राजधानी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरुप शासकीय भवन/कार्यालयों/आवास गृहों एवं सौन्दर्यीकरण हेतु बडे पैमाने पर वृक्षारोपण बाग बगीचों का विकास आदि कार्य। उस समय जितना प्रारम्भिक कार्य आवश्यक था उसकी प्रासंगिकता आवश्यकता आज 10–15 गुना बढ़ी ही है, भोपाल में राजधानी परियोजना प्रशासन की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता तथा उपयोगिता पूर्व की अपेक्षा कई गुना अधिक आज है।

राजधानी परियोजना प्रशासन के अंतर्गत मुख्यतः दो शाखाओं द्वारा कार्य संपादित किए जा रहे हैः–

1– मण्डल कार्यालय, राजधानी परियोजना

मण्डल कार्यालय, राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र के विभिन्न शासकीय भवनों का निर्माण कार्य, मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण कार्य, डिपाजिट मद के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण/विकास कार्य तथा अन्य विकास कार्य सम्पादित किये जा रहे। साथ ही परियोजना क्षेत्र में स्थित महत्वपूर्ण शासकीय भवनों तथा मंत्रालय सतपुड़ भवन/विन्ध्याचल भवन नई एवं पुरानी विधान सभा भवनों का रख–रखाव संबधी कार्यों के साथ ही बाग– बगीचों का विकास एवं संधारण कार्य तथा मार्गों का चौडीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा विद्युतीकरण संबधी अनकों कार्य किये जा रहे है। इसके अन्तर्गत एक अधीक्षण यंत्री कार्यालय, चार कार्यपालन यंत्री के संभागीय कार्यालय एवं नौ उपसंभागीय कार्यालय एवं अधिनस्थ अमला लोक निर्माण विभाग के मेन्युअल अनुसार स्वीकृत होकर कार्यरत है।

2– वनमण्डल राजधानी परियोजना

राजधानी परियोजना के अन्तर्गत वनमंडल कार्यालय का गठन दिनांक 21.2.1986 को निम्नलिखित उदेद्श्यों हेतु किया गया। भोपाल शहर पहाडी एवं पथरीले होने के कारण यहां की भूमि को बडे ही सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित कर शोभायमान, फलदार एवं छायादार वृक्षों का रोपण किया गया है और पर्यावरण महत्व के पौधों का रोपण करके आस–पास के खुले एवं वीरान क्षेत्रों में हरा–भरा कर सौन्दर्यीकरण करना एवं उसका रख–रखाव करना भी मण्डल का प्रमुख दायित्व रहा है। अवंछिनीय खरपतवार का उन्मूलन करना, शासकीय रिक्त भूमि के अवैध उत्खन्न एवं अतिक्रमण से बचाने हेतु आवश्यकता अनुसार फेंसिग तथा उपयुक्त भूमि पर पौधों का रोपण करना, नालों के आस–पास वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुधारना एवं भूमि के कटावों को भू–संरचना उपायों से रोकना।

भाग – 2

बजट प्रावधान–लक्षय व्यय (योजनावार)

राशि रू लाख में

क्र	योजना का नाम	2015–2016		2016–2017		2017–2018	
		प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय 12/2017
1	3115 भूमि भूअर्जन हेतु मुआवजा (भारित)	73.73	73.73	0.00	0.00	1000.00	0.00
2	0284 अरिहायसी भवन	152.38	152.37	422.39	422.39	800.00	130.60
3	3763 रिहायसी भवन	350.43	350.39	51.40	51.40	1.00	0.00
4	4339 सड़क एवं पुल	1230.79	1230.77	2000.00	1991.86	3500.00	2187.77
5	1021 क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण आदि	727.50	727.50	696.00	696.00	700.00	545.79
6	5872–64 वार मेमोरियल का निर्माण(सर्वेक्षण अन्वेक्षण रूपाकन)	750.00	750.00	237.26	32.48	234.44	86.14
7	2217–1021 क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण (अनुरक्षण कार्य)	599.14	599.39	533.13	533.13	600.00	517.46
8	3414 मशीन एवं उपकरण	0.01	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
9	7218–मंत्रालय का विस्तार	9657.31	9657.31	12962.75	12962.75	17691.00	14899.66
10	6793 लोकायुक्त कार्यालय भवन	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
11	7715 –नवीन विधायक विश्राम गृहों में (बृहत निमार्ण कार्य)	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
12	2059–6720–32 कार्यालय भवनों का लघु निर्माण कार्य	87.60	89.52	0.00	0.00	10.00	0.00
13	2059–6720–33 कार्यालय भवन का अनुरक्षण कार्य	1728.30	1654.79	1418.61	1377.10	1903.29	668.81
14	2059–5464–33 सतपुड़ा/विन्ध्याचल भवनों का रख रखाव	475.00	473.75	299.00	299.00	350.00	276.90
15	2059–5465–33 गैस राहत चिकित्सालयों का अनुरक्षण कार्य	180.00	140.82	117.92	117.92	175.00	52.75

क्र	योजना का नाम	2015–2016		2016–2017		2017–2018	
		प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय 12/2017
16	2216–6218–32 सरकारी रिहायसी भवनों का लघु निर्माण कार्य	9.26	9.75	0.00	0.00	0.01	0.00
17	2216–6218–33 सरकारी रिहायसी भवनों का अनुरक्षण कार्य	114.10	113.57	260.97	260.97	250.00	178.85
18	2216–5486–33 गैस चिकित्सालयों का आवास गृहों का अनुरक्षण कार्य	15.42	10.48	9.73	9.72	11.00	5.59
19	2216–6989–33 विधायक विश्राम गृहों का अनुरक्षण कार्य	550.00	543.80	559.63	570.79	700.00	288.76
20	4216–6989–64 नवीन विधायक विश्राम गृह (बृहत निमार्ण कार्य)	10.65	10.65	214.75	214.75	350.00	49.25
21	3054–7320–33 राजधानी में सड़कों का अनुरक्षण कार्य	1440.00	1438.13	2065.00	2064.23	1955.00	1432.32
22	2059–9083–33 शौर्य स्मारक का संचालन एवं संधारण (अनुरक्षण)	60.00	60.00	143.00	143.00	211.71	95.00
23	9061–51 शौर्य स्मारक हेतु प्रादर्शों का एकत्रीकरण एवं प्रस्तुतीकरण	00.00	00.00	00.00	00.00	1.00	0.00

भाग – तीन

अ. राज्य योजनायें

वर्ष 2017–18

मांग संख्या 22 शीर्ष 4217 आयोजना के अन्तर्गत राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल हेतु वर्ष 2017–18 के लिये रुपये 30944.45 लाख का आवंटन प्रदाय किया गया जिसके अन्तर्गत निम्न लिखित कार्य कराये गये एवं प्रस्तावित है।

<u>संचालित कार्य :–</u>

1. ऋषिपुरम फेस –1 से विवेकानन्द विद्यापीठ रोड तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य ।
2. मछली घर से पीएचक्यू तक सड़क चौड़ीकरण, उन्नयनीकरण एवं तालाब के किनारे का विकास कार्य।
3. छत्रसाल नगर (फेस–1) से जुबली गेट आयोध्या बायपास तक सड़क का निर्माण।
4. हबीबगंज अंडर ब्रीज से दानापानी ढाबे तक सड़क चौड़ीकरण, उन्नयनीकरण।
5. जे.के. रोड़ से बीएचईएल जुबली गेट एवं सोनागिरी चौराहे इंद्रपुरी को जोड़ने वाली मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।
6. जे.के. रोड़ से बीएचईएल गेट नंबर 1 एवं भारत नगर रोड़ चौराहे इंद्रपुरी (सेक्टर–1) को जोड़ने वाली मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।

7. छत्रसाल नगर (सम्राट कॉलोनी) से भवानी धाम तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।

8. दुर्गाधाम मंदिर के पास एशबाग कॉलोनी में ब्रिज एवं एप्रोच रोड़ का निर्माण कार्य।

9. विधायक विश्राम गृह परिसर में नवीन रेस्टोरेंट का निर्माण कार्य।

10. विधानसभा भवन एवं विधायक विश्राम गृहों का नियमित संधारण कार्य।

11. विधानसभा सचिवालय एवं विधायक विश्राम गृहों में विधानसभा सचिवालय की निर्देशानुसार तथा प्रदान की गई अनुमति/सहमति के आधार पर विभिन्न सिविल/विद्युत संबंधी कार्य।

12. बावड़ियाकलां क्षेत्र में ट्रायवल हॉस्टल से इंडस गार्डन तक मार्ग निर्माण।

13. मंदाकनी शिर्डीपुरम से दानिशकुंज चौराहे तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य।

14. होशंगाबाद से रजक बिहार, भेल शिक्षा संगम होते हुए बागमुगालिया मार्ग का निर्माण।

15. दानिश हिल्स से वाल्मी हिल्स को जोड़ने वाली मार्ग में कलियासोत नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य।

16. मुख्य मार्ग क्रमांक 3 स्थित डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी पार्क में माउंटेशन साईकिल ट्रेक का निर्माण।

17. मंत्रालय वल्लभ भवन के समने स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में बाउण्ड्री ग्रिल लगाने का कार्य।

18. कोलार रोड जंक्शन विशाल मेघा मार्ट से अमरनाथ कॉलोनी होते हुए जागरण कॉल कलियासोत बैराज तक 24 मीटर चौड़े को आर्डीनेशन मास्टर प्लान सड़क निर्माण (लम्बाई 3. 15 कि0मी0 चौड़ाई 24 मीटर) 1. प्रथम चरणके अन्तर्गत मात्र दो लेन सड़क का निर्माण अमरनाथ कालोनी से जागरण कालेज जंक्शन तक (2.40कि0मी0)

19. बाणगंगा चौराहे से के.एन. प्रधान चौराहे (2 लेन से 4 लेन) तक चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य।

20. बाग मुंगलिया से जाटखेड़ी तक का मार्ग (4लेन) (लम्बाई 1.50 कि.मी.)।

21. नेहरू नगर चौराहे से शाहपुरा कोलार रोड़ को जोड़ने वाले मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य ।

22. बैरागढ़ मेन रोड़ काली मंदिर से अययपा मंदिर सी.टी.ओ. वाया रेल्वे क्रासिंग में रोड़ का निर्माण कार्य।

23. माता मंदिर क्षेत्र में 36 नग 'एफ' टाईप आवास गृहों का निर्माण कार्य।

24. वर्ष 2017–18 में 63898 पौधों का रोपण/रख–रखाव के साथ ही वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक 168931 पौधों का रख–रखाव, पार्क एवं नगर वन का रख–रखाव 4 नग वनरोपणियों का रख–रखाव।

(ii) भोज वेट लैण्ड परियोजना अंतर्गत वर्ष 2013–14 तक रोपित 1768038 पौधों तथा वर्ष 1986 से 2013–14 तक रोपित 1371200 पौधों का सुरक्षा कार्य।

(iii) वर्ष 2017–18 में उक्त कार्यों हेतु रू. 118066000.00 का आवंटन प्राप्त हुआ जिसके विरूद्ध माह फरवरी 2018 तक रू. 108301911.00 का व्यय हुआ।

प्रस्तावित कार्य (नवीन)

1. नरेला गोविन्दपुरा विधानसभा अंतर्गत स्थित खुले मैदान में पार्क का विकास कार्य।
2. नवीन नगर अशोकागार्डन भोपाल स्थित खुले मैदान में पार्क का विकास कार्य।
3. एकतापुरी अशोकागार्डन भोपाल स्थित खुले मैदान में पार्क का विकास कार्य।
4. अयोध्या नगर चौराहे एवं अवधपुरी तिराहे का विकास कार्य एवं सौंदर्यीकरण।
5. स्व. श्री एम.एन. बूच की स्मृति में कोलार रोड़ स्थित पार्क का निर्माण कार्य।
6. एच. 3/154, 1100 क्वा. के सामने पार्क का निर्माण विकास कार्य।
7. वार्ड क्र. 26 स्थित ग्राम बरखेड़ी खुर्द के अंदर कच्च नाला का निर्माण।
8. श्यामला हिल्स कच्चे बंगले के पास पार्क का निर्माण कार्य।
9. जे.के. रोड़ से इंद्रपुरी होते हुए सोनागिरी सड़क पर डी.के. टावर के समीप स्लेप कल्वर्ट का निर्माण।
10. मास्टर प्लान रोड़ इंद्रपुरी होते हुए सोनागिरी से अयोध्या बायपास वाया रजत नगर तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।
11. गौरा गाँव से डी.पी.एस. तक मस्टर प्लान सड़क का निर्माण।
12. हरदेव अस्पताल से सीहोर नाके को जोड़ने हेतु एक बायपास मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।
13. अयोध्या नगर फेस–5 से अरहेड़ी तक सड़क का निर्माण।
14. खेजड़ा बरमाद से ग्राम सेवनिया ओमकारा तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।
15. कलियासोत छोटी नहर (शाहपुरा पुलिस थाने की ओर) से रोहित नगर फेस–1 तिराहा (ग्राम सलैया मार्ग) बावड़िया कला में 18 मीटर चौड़ी कोऑर्डिनेशन मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।
16. एक्सटॉल कॉलेज तिराहे से चंद्रिका चौराहे (ग्राम सलैया को जोड़ने वाले मार्ग पर) बावड़ियाकला भोपाल तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।
17. होशंगाबाद रोड़ से एन.एच.12 के निकट निर्माणाधीन 60 मीटर चौड़ी रोड़ जंक्शन से जे.एन.यू. आर.एन. कॉलोनी जंक्शन (निरूपम रॉयल पॉप जंक्शन) होते हुए मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।
18. ग्राम सलैया से हिनोतिया आलम तक 24 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।
19. बैरागढ़ में इंडोर मल्टीपरपस हाल का निर्माण कार्य।
20. बैरागढ़ हलालपुरा स्थित स्वीमिंग पूल हेल्थ क्लब नाला एवं पार्किंग का निर्माण कार्य।
21. विधायक विश्राम गृह परिसर में माननीय सदस्यों हेतु सर्वसुविधा युक्त नवीन विधायक विश्राम गृह के रूप में 102 नवीन आवास गृहों का निर्माण कार्य।
22. मध्यप्रदेश विधानसभा के परिसर में विधायक विश्राम गृह क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय स्टाफ हेतु 40 स्टाफ क्वाटर्स (20 'एच' एवं 20 'आई' टाईप) का निर्माण कार्य।
23. मंत्रालय वल्लभ भवन विस्तार परियोजना का निर्माण कार्य।
24. विंध्याचल भवन स्थित विधि एवं विधायी कार्य विभाग का आंतरिक नवीनीकरण कार्य।
25. बागमुगालिया से जाटखेड़ी तक मार्ग निर्माण कार्य।
26. दानिश हिल्स से वाल्मी हिल्स तक मार्ग एवं पुल निर्माण कार्य।
27. आनन्द नगर बायपास से शान्ति नगर होते हुए बैरसिया मार्ग तक मार्ग निर्माण कार्य।
28. मुख्य मार्ग क्र. 3 स्थित डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी पार्क में माउण्टेन साईकिल ट्रेक का निर्माण कार्य।
29. मुख्य मार्ग क्र. 3 स्थित डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी पार्क में स्केटिंग रिंग का निर्माण कार्य।
30. अशोका गार्डन में नर्मदा पार्क के समीप विवेकानंद थीम उद्यान का निर्माण कार्य।

31. शाहपुरा पहाड़ी पर मोरवन का विकास कार्य।

32. स्वर्ण जयंती पार्क का विकास कार्य।

33. वर्ष 2018–19 में 60000 पौधे रोपण/रख–रखाव, वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक 101502 पौधों का रख–रखाव।
    (ii) भोज वेट लैण्ड परियोजना में रोपित 1768038 पौधों तथा वर्ष 1986 से 2013–14 तक रोपित 1371200
    (iii) वर्ष 2018–19 में उक्त कार्यों हेतु प्रस्तावित आवंटन रू. 148878000.00 की आवश्यकता होगी।

ब. केन्द्र प्रवर्तित योजना : – निरंक

स. विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं : – निरंक

द. विदेशी सहायता प्राप्त योजनाऐं/परियोजनाऐं : – निरंक

ई. अन्य योजनाऐं

हिन्दी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य, नेशनल इन्टीटयूट आफ फैशन टेक्नोलाजी भवन का निर्माण कार्य, वाणिज्यिक कर भवन का निर्माण कार्य एवं सूचना केन्द्र भवन का निर्माण, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अकादमी भवन (7 & 8), लायब्रेरी ब्लॉक एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य एवं खेल गतिविधियों से संबंधित केन्द्रीय खेल छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

1. **विभागीय पदोन्नति** :– **– निरंक –**
2. **नियुक्ति** :– **– निरंक –**
3. **विभागीय जांच** :– **– निरंक –**
4. **न्यायालयीन प्रकरण** :–

राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न न्यायलयीन प्रकरणों की स्थिति संतोषजनक है तथा जवाब –दावे प्रस्तुत कर दिये गये है।

भाग – पाँच

अभिनव योजना

अभिनव योजनाओं में वर्तमान में वल्लभ भवन के विस्तार की योजना रू. 499.74 करोड़ पूर्णता पर है जो कि शीघ्र ही सामान्य प्रशासन विभाग को कार्यालय उपयोग हेतु सौंपा जायेगा।

NIFT:- राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान का भवन भी बड़े खूबसूरत तरीके से बनकर पूर्ण होने की स्थिति में है।

भाग – छः

– निरंक –

भाग – सात

महिला नीति

महिला नीति के अन्तर्गत राजधानी परियोजना मण्डल, राजधानी परियोजना प्रशासन में कार्यरत महिलाओं के लिये विश्राम अवकाश में विश्राम कक्ष आवंटित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त कामकाजी महिलाओं पर रोकथाम एवं यौन उत्पीडन आदि शिकायतों पर कार्यवाही करने हेतु महिला कर्मचारियों के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

भाग – आठ

सारांश

राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा पूर्व में नवीन विधान सभा भवन, सतपुड़ा/विन्ध्याचल भवन, मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी, शासकीय गीतांजली कन्या महाविद्यालय, भारत भवन, संस्कृति भवन, इत्यादि अतिमहत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य कराया गया है एवं इसका संधारण संबधी कार्य भी किया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य जन जाति संग्रहालय भवन का निर्माण कार्य, सुशासन नीति एवं विश्लेषण भवन का निर्माण कार्य, वाणिज्यिक कर भवन का निर्माण कार्य एवं सूचना केन्द्र भवन का निर्माण, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अकादमी भवन (7 & 8), लायब्रेरी ब्लॉक एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य एवं खेल गतिविधियों से संबंधित केन्द्रीय खेल छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राजधानी के विकास में मास्टर प्लान के अनुरुप आवश्यकताओं के अनुसार कई सडकों का निर्माण/चौड़ीकरण भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया जा रहा हैं एवं इसके अतिरिक्त मास्टर प्लान 2005 की प्रमुख 24 सड़कों के सर्वे एवं सीमांकन का कार्य पूर्ण किया जाकर नवीन मास्टर प्लान सड़को के प्रस्ताव तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे भविष्य में राजधानी परियोजना वासियों को सुगम मार्ग एवं स्वच्छ पर्यावरण का लाभ होगा, इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणी के लगभग 6000 शासकीय आवास गृहों का निर्माण कार्य भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा कराया गया है एवं अनेक शासकीय आवास गृहों निर्माण कार्य प्रस्तावित है। राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय पार्कों का विकास किया गया है तथा श्री गुरु गोविन्द सिंह पार्क, मयूर पार्क, चिनार पार्क, प्रियदर्शिनी पार्क, शाहपुरा के किनारे पार्क, 5 नं पर जवाहर बाल उद्यान, स्वराज पार्क श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क एवं बोरवन पार्क इत्यादि के संधारण कार्य भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। शहर में चौतरफा वृक्षारोपण कर सुन्दर तथा हरा भरा बनाने का पूरा श्रेय भी राजधानी परियोजना प्रशासन को ही है।

———

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग

(राज्य नगर नियोजन संस्थान)

भाग–एक

विभागीय संरचनाः –

अध्यक्ष	–	श्रीमती माया सिंह, मंत्रीजी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग
महानिदेशक	–	श्री विवेक अग्रवाल, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग
कार्यपालन संचालक	–	श्रीमती स्वाती मीणा नायक, आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश

अधीनस्थ कार्यालयः – निरंक

विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओ का विवरण : – निरंक

सदस्य संस्थाऐं – प्रदेश में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत गठित –10 **विकास प्राधिकरण** – भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, ग्वालियर जबलपुर, रतलाम, कटनी, सिंगरौली तथा अमरकंटक 05–**विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण** –पचमढी, ग्वालियर काउन्टर मैग्नेट, खजुराहो, ओरछा एवं महेश्वर मण्डलेश्वर सदस्य संस्थायें हैं तथा 03 नगरीय निकाय खजुराहो, धनपुरी एवं गढ़ाकोटा संस्थान की एसोसिएट सदस्य हैं।

उद्देथ्य एवं लक्ष्य :–

1. मध्य प्रदेश शासन तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग की शहरी/ग्रामीण नियोजन से संबंधित विषयों में सहायता तथा परामर्श प्रदान करना।
2. विकास योजनाओं, क्षेत्रीय योजनाओं, पारिक्षेत्रीय योजनाओं, नगर विकास योजनाओं तथा योजनाओं के कियान्वयन हेतु संसाधनों के संग्रहण, अनुश्रवण तथा इनसे संबंधित कियान्वयन विषयों में योजनाऐ तैयार करना, सूक्ष्म परीक्षण तथा मूल्यांकन में सहायता।
3. विभिन्न राज्यों के साथ–साथ देश के विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनाई गई नगर नियोजन नीतियों तथा प्रक्रियाओं का तुलनात्मक विश्लेषण तैयार करना जिसके आधार पर नियोजित तथा एकीकृत नगर तथा निवेश विकास के माध्यम से पर्यावरण के क्षेत्र में अध्ययन तथा अनुसंधान तथा इन क्षेत्रों में परामर्शी सेवाऐं प्रदान करना।
4. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23 (ख) के अंतर्गत भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों का परीक्षण।
5. डाटा बेस का सृजन तथा अद्यतन करना व ई–सुशासन।
6. मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षैत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण ।
7. पुनर्सघनीकरण परियोजनाओं का परीक्षण ।
8. क्रमांक 8(क) तथा (ख) के लिये नगर विकास प्राधिकरणों द्वारा हाथ में ली जा रही परियोजनाओं के कियान्वयन पर पर्यावरणीय प्रभावी के आकलन का अध्ययन ।
9. इन– हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा क्षमता निर्माण हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं के सहयोग से आयोजन करना– (प्रशिक्षण, विचार गोष्ठियों कार्यशालाओं, विभिन्न विषयों पर व्याख्यान, प्रकाशन तथा प्रचार)।
10. हाल ही में सम्पन्न गतिविधियों से सदस्यों तथा अधिकारियों को अद्यतन रखे जाने के उद्देंश्य से न्यूजलेटर जारी करना।

11. अपने मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थाओं से मेल–जोल विकसित करना।

12. तत्कालीन मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के जारी कार्यक्रमों तथा गतिविधियों का निष्पादन करना ।

13. ऐसे समस्त दायित्वों तथा कृत्यों जैसा कि कार्यकारिणी समिति तथा साधारण सभा द्वारा विहित किया जाए,का निष्पादन करना।

14. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आवश्यक सेवायें उपलब्ध कराना।

साधारण सभा :–

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्यूलेशन के प्रावधानों के अनुसार संस्था के साधारण सभा का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष माननीय मंत्रीजी, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं अध्यक्ष, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग है। साधारण सभा में महानिदेशक एवं कार्यपालन संचालक सहित कुल 35 सदस्य शामिल है।

कार्यकारिणी समिति :–

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्यूलेशन के प्रावधानों के अनुसार संस्था के दैनंदिनीय कार्यो के निष्पादन हेतु एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग है। कार्यकारिणी समिति में कार्यपालन संचालक, सदस्य सचिव तथा अन्य 07 सदस्य शामिल हैं। वर्ष 2017–18 में कार्यकारिणी समिति की बैठक अपरिहार्य कारणों से आयोजित नहीं की जा सकी।

विभाग से संबंधित जानकारी :–

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग, जिसका पूर्व नाम म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ था, प्रदेश की नगर विकास संस्थाओं का एक पंजीकृत संगठन है । वर्ष 2013 में म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ के साधारण सभा द्वारा संस्था के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्युलेशन में व्यापक संशोधन किए गए तथा संस्था का नाम परिवर्तित कर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग किया गया। संस्था के नये नाम स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग का पंजीयन 1 मई, 2013 को म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत किया गया है, जिसका मुख्य कार्य प्रदेश की विकास संस्थाओं/नगरीय निकायों संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश एवं अन्य संस्थाओं के कार्यो में सलाहकार की भूमिका निभाते हुये सहयोग प्रदान करना तथा नगरीय निकायों की योजनायें तैयार करने तथा तकनीकी सहयोग, प्रशासनिक एवं लेखा प्रबंधन आदि क्षेत्र में मार्गदर्शन व अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें आयोजित की जाती है।

सामान्य या प्रमुख विशेषताऐं :–

(अ) भारत शासन द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रसारित पुनरीक्षित मार्गदर्शिका अगस्त 1995 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ को नोडल ऐजेन्सी घोषित किया गया था। प्राधिकरण संघ द्वारा इन योजनाओं हेतु समन्वयक एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य किया जा रहा है। राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा अधिकतर तकनीकी परामर्श संबंधी कार्य 'इन हाउस' किया जा रहा है। साथ ही संस्थान में वास्तुविदों, इंजीनियरों, नियोजकों का पेनल ऑफ कंसलटेंट बनाया गया है, जिनकी आवश्यकतानुसार सेवायें ली जाती है। वर्ष 2005 में आई.डी.एस.एम.टी. योजना को यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना में समाहित कर इस संस्थान को नोडल एजेन्सी बनाया गया। वर्ष 2009 तक योजना इस संस्थान में रही। वर्ष 2010 में योजना संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को हस्तांतरित की गई।

(ब) म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र.एफ–6–9/10/32 भोपाल दि. 18.02.10 द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के सूचना प्राद्योगिकी कार्य को संपादित करने हेतु स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग, भोपाल को नोडल एजेन्सी घोषित किया गया है जिसके प्रथम चरण में 04 नगरों का जी.आई.एस एप्लीकेशन का कार्य किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

भाग–दो

बजट सिंहावलोकन, आय के स्त्रोत :–

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग की आय के मुख्य स्त्रोत, सदस्य संस्थाओं से प्राप्त सदस्यता शुल्क तथा योजनाओं के वास्तुविदीय परामर्श कार्य/तकनीकी परीक्षण/सर्वेक्षण कार्यो से प्राप्त शुल्क ही है। शासन से वर्तमान में संस्थान को कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है ।

बजट प्रावधान, लक्ष्य/व्यय एवं अंकेक्षण :–

वर्ष 2016–2017 के प्रस्तावित आय रू. 546.55 लाख तथा व्यय रू. 618.15 लाख अनुमानित था, जिसके विरूद्ध वास्तविक आय रू. 335.83 लाख व व्यय रू. 426.70 लाख रहा। वर्ष 2017–18 के आय व्यय क्रमशः रू. 917.84 लाख व रू. 679.67 लाख अनुमानित है। वर्ष 2018–19 के वार्षिक बजट तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के वर्ष 2016–17 तक के आय–व्यय का अंकेक्षण कार्य संपन्न हो चुका है। वर्ष 2017–18 के अंकेक्षण का कार्य प्रगति पर है। संस्थान द्वारा लेखा/अंकेक्षण कार्यों हेतु पेनल ऑफ चाटर्ड अकाउंटेन्ट तैयार किया गया है। आवश्यकतानुसार निजी सलाहकार (चाटर्ड अकाउडटेंट) की सेवायें ली जाती है।

संसदीय कार्य, विधि विषय कार्य एवं न्यायालयीन कार्यः– निरंक

स्वीकृत सेट अप :–

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के स्वीकृत सेटअप में विभिन्न श्रेणी के 80 पद स्वीकृत है। इनमे से 24 कर्मचारी तकनीकी संवर्ग तथा 54 गैर तकनीकी संवर्ग के है। संस्थान में 01 कर्मचारी संविदा सेवा में कार्यरत है तथा शेष सभी अधिकारी/कर्मचारी नियमित सेवा में है। 06 अधिकारी/कर्मचारी विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है तथा 07 कर्मचारी मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों में संलग्नीकरण में पदस्थ है। संस्थान में राज्य शासन के नियमानुसार कर्मचारियों के लिये समयमान वेतनमान योजना लागू है। रिक्त पदों पर पदोन्नति अथवा पात्र कर्मचारियों को समयमान वेतनमान हेतु शासन के नियमानुसार विभागीय पदोन्नत समिति की बैठके नियमित अंतराल में आयोजित की जाती है।

भाग–तीन

अ एवं ब राज्य योजनाऐं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं :–

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग को प्रदेश में संचालित दो प्रमुख योजनाओं हेतु नोडल एजेन्सी घोषित किया गया था। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा इन योजनाओं मे से वर्तमान में आई.डी.एस.एम.टी. योजना एवं सूचना प्राद्योगिकी योजना का संचालन किया जा रहा है ।

(1) छोटे तथा मझोले नगरों की एकीकृत विकास योजना (आईडीएसएमटी) वर्ष 1995–96 में लागू की गई तथा वर्ष 2004–05 तक अनुदान योजनान्तर्गत 97 नगरों की योजनाऐं जिनकी स्वीकृति लागत रू. 14370.49 लाख है, का कियान्वयन किया जा रहा है ।

इन 97 नगरों में संभागवार नगरों की संख्या है:– (1)चंबल संभाग–3 नगर, (2) ग्वालियर संभाग–6 नगर, (3) उज्जैन संभाग–16 नगर,(4) इंदौर संभाग–9 नगर, (5) होशंगाबाद संभाग–2 नगर, (6) सागर संभाग–15 नगर, (7) रीवा संभाग– 18 नगर, (8) जबलपुर संभाग– 12 नगर,(9) भोपाल संभाग –16 नगर

वर्ष 1995–96 से वर्तमान वित्त वर्ष तक कुल मुक्त राशि रू. 8614.81 लाख (केन्द्राश रू. 4501.19 लाख +राज्यांश 4133.62 लाख) है। वर्तमान वित्त वर्ष में अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु बजट में कोई राशि प्रावधानित नहीं की गई है। योजनान्तर्गत नगरीय निकायों द्वारा 94 नगरों हेतु कुल सूचित व्यय रू. 8484.52 लाख है, जो कि 98.48 प्रतिशत है । वर्ष 2005 मै आईडीएसएमटी योजना यूआईडीएसएसएमटी योजना में समाहित की गई है ।

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा आईडीएसएमटी योजनान्तर्गत स्वीकृत नगरों की योजना घटकों का विस्तृत वास्तुविदीय कार्य किया गया इसके अन्तर्गत वाणिज्यिक, बस स्टैण्ड, आवासीय, उद्यान, कम्यूनिटी हॉल, स्टेडियम, ऑफिस काम्पलेक्स, सब्जी मार्केट जैसे अन्य विकास कार्य शामिल है। योजनानतर्गत विगत वर्षो में उपयोगिता केवल 98.82 प्रतिशत थी जो गत एक वर्ष में बढ़कर लगभग 99.39 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

वर्ष 2016–17 में आईडीएसएमटी योजनान्तर्गत धनपुरी, उदयपुरा, कानड नगरों की लगभग रू. 100.00 लाख आईडीएसएमटी योजना घटकों का वास्तुविदीय कार्य तथा रिवाल्विंग फंड के अंतर्गत पनागर, गोविंदगढ़, उदयपुरा नगरों की लगभग रू. 90.00 लाख योजनाओं का विस्तृत वास्तुविदीय कार्य संपादित किया गया। वर्ष 2016–17 में आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अंतर्गत रिवॉल्विंग फंड की कुल 8 नगरों के 10 योजना घटकों की रू. 362.10 लाख की योजनायें तैयार कर संस्थाओं को प्रेषित की गई।

5 नगरों के उपयोगिता प्रमाण पत्र कुल केन्द्रांश रू. 94.643 लाख तथा राज्यांश रू. 60. 269 लाख कुल रू. 154.912 लाख के केन्द्र सरकार को भेजे गये एवं 3 नगरों के उपयोगिता प्रमाण पत्र रू. 130.99 लाख के तैयार किये गये।

(2) सूचना प्राद्योगिकी :–

म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग को नोडल एजेन्सी घोषित किये जाने के फलस्वरूप संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के लिये सूचना प्राद्योगिकी के अंतर्गत प्रथम चरण मे 04 नगरों को सम्मिलित किया गया है जो निम्नानुसार है :–

1. इंदौर, 2. ग्वालियर, 3. भोपाल, 4. जबलपुर

संचालनालय द्वारा योजना के कियान्वयन हेतु वर्ष 2015–16 में कुल राशि **रू. 9.34 लाख** अभी तक उपलब्ध कराया गया है।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की web based Application का कार्य मैसर्स वायमटेक प्रा.लि. को दिया गया है । उनके द्वारा एस आर एस प्रस्तुत किया गया है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन के साफ्टवेयर को विकसित कर कियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 में किये गये प्रमुख कार्य निम्नानुसार है :–

- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर जिला कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन (भू–उपयोग प्रमाण पत्र एवं विकास अनुज्ञा) लिया जाना प्रारंभ किया गया। (अल्पास साफ्टवेयर के द्वारा)।

- एम.पी.डी.सी. डाटा सेंटर में संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश का सर्वर स्थापित कर प्रारंभ किया गया।
- भोपाल में हुजूर तहसील तथा इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर नगर के निवेश क्षेत्र का डिजिटल खसरा मेप (मोजाइक तथा जियोरिफरेंस कर) तैयार कराया गया।
- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर नगरों के जिला कार्यालय में वर्ष 1990 से मार्च, 2013 तक जारी की गई विकास अनुज्ञा के स्केनिंग का कार्य पूर्ण कर संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है
- इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर नगरों के डिजिटल भू–उपयोग मेप तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर जिला कार्यालय (नगर तथा ग्राम निवेश) में जारी विकास अनुज्ञाओं को जियोरिफरेंस कर डिजिटल भू–उपयोग मेप में सुपर इम्पोज कराया जा रहा है।
- नगर तथा ग्राम निवेश के 2 मेप थ्री डी साफ्टवेयर को अपग्रेड कराकर 1 सर्वर में तथा जिला कार्यालय भोपाल में स्थापित किया गया है।
- संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के आर्क जी.आई.एस. साफ्टवेयर को अपग्रेड कराकर संचालनालय में स्थापित किया गया।

(स) विश्व बैंक की सहायता से चलायी जाने वाली योजनाऐं :– निरंक

(द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाऐं/परियोजनाऐं:– निरंक

(ई) अन्य योजनाऐं /राज्य शासन द्वारा सौपे गये कार्य :–

1. स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा कई नगरीय निकायों की स्व वित्तीय योजनाऐं भी तैयार की जा रही है ।

2. वर्ष 2013–14 में आई.डी.एस.एम.टी.योजनान्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों की रिवाल्विंग फण्ड में जमा पूँजी से विभिन्न योजनाऐं तैयार करने का कार्य भी हाथ में लिया गया है, 29 नगरों द्वारा योजना तैयार करने के प्रस्ताव संस्थान को प्राप्त हुये है।

3. योजनांतर्गत 14 नगरों के विभिन्न घटकों का कार्य 10 निजी वास्तुतिदों को दिया गया है योजना तैयार करने हेतु आवश्यक जानकारी/कार्यवाही की जा रही है।

4. वर्ष 2014–15 में संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा 10 नगरों क्रमशः चित्रकुट, झाबुआ, खरगोन, खजुराहों, नेपानगर, कैमोर, अमरपाटन, धनपुरी, ओबेदुल्लागंज एवं आष्टा नगरों की विकास योजना तैयार करने का कार्य संस्थान को सौपा गया है। इस हेतु संचालनालय द्वारा वर्ष 2015–16 में रू. 7.50 लाख संस्थान को उपलब्ध कराया गया है। संस्थान द्वारा विकास योजना का कार्य निजी सलाहकारों के माध्यम से कराया जा रहा है। चित्रकुट एवं खजुराहो का प्रारूप विकास योजना नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित कर दिया गया है तथा खरगोन व झाबुआ नगरों के Inception रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। शेष नगरों की विकास योजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

5. राजधानी परियोजना प्रशासन डिवीजन क्रमांक–1, विधानसभा कंट्रोलर तथा खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग से प्राप्त विभिन्न योजनाओं के वास्तुविदीय कार्यो के संपादन हेतु अनुबंध किये जा चुके हैं। यह कार्य संस्थान के पेनल ऑफ कंसलटेंट में शामिल निजी सलाहकारों के माध्यम से कराये जा रहे हैं। अभी तक लगभग रू. 22.00 लाख के शुल्क कार्य संपन्न किये जा चुके हैं।

6. ग्वालियर चम्बल एग्रो रिजल प्लान तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

7. राज्य शासन द्वारा स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के कार्यकलापों/आय में वृद्धि के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कार्य संस्थान को सौपे गये है :–

I प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर शासन को अग्रेषित करना तथा नवगठित विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट तैयार करना। वर्ष 2016–17 में संस्थान द्वारा 09 विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर राज्य शासन की ओर प्रेषित किये गये। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान नवगठित विकास प्राधिकरणों को कार्य संचालन के लिये संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के माध्यम से राशि **रू. 139.98 लाख** सहायता अनुदान स्वीकृत कराया गया।

II विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की समस्त योजनाओं का तकनीकी परीक्षण कर शासन को प्रेषित करना। इसके अंतर्गत भोपाल विकास प्राधिकरण की एफोर्डेवल योजना का परीक्षण किया गया कुछ संस्थाओं की योजनाओं का परीक्षण किया जा रहा है। कटनी विकास प्राधिकरण की 8.5 हेक्टेयर योजना हेतु अभिन्यास तैयार किया गया। कई नवगठित विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में आवासीय एवं वाणिज्यिक योजना तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

III Aनगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत उपान्तरण की योजनाओं का परीक्षण करना। 31 दिसम्बर, 2016 तक कुल 121 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 113 प्रकरणों का विधि अनुसार परीक्षण कर सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किये गए तथा 8 प्रकरण विचाराधीन है।

III B राज्य शासन द्वारा विकास अनुज्ञा हेतु धारा 16 के अन्तर्गत प्रकरणों के परीक्षण का कार्य इस संस्थान को सौपा गया है। 31 दिसम्बर, 2016 तक संस्थान में कुल प्राप्त प्रकरणों की संख्या 63 थी जिनमें से 24 प्रकरणों को पूर्ण किया गया तथा 39 प्रकरण विचाराधीन है।

IV विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/म.प्र. गृह निर्माण मण्डल/ राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा तैयार की गई योजनाओं के Environmental Impact Assessment का परीक्षण करना। इसके अंतर्गत ई.आई.ए. कंसलटेंट के इम्पेनलमेंट का पेनल बनाया गया है। अभी तक इंदौर विकास प्राधिकरण की 3 योजनाओं, भोपाल विकास प्राधिकरण की 2 योजनाओं म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की 6 योजनाओं तथा राजधानी परियोजना की योजनाओं हेतु सलाहकारों को नियुक्त कर LoA जारी किये गये हैं।

भोपाल विकास प्राधिकरण की नवीबाग अर्फोडेबल हाउसिंग योजना को SEAC के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यू एम.एल.ए. रेस्ट हाउस की योजना की रिपोर्ट SEIAA में जमा की गई, नवीन वन भवन की रिपोर्ट SEIAA में ऑनलाईन जमा की गई। साथ ही गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मंडल की 450 बिस्तरों का अस्पताल, उज्जैन एवं अयोध्या एक्सटेंशन योजना हेतु **एसेन्सों इन्वायरो** को कार्यादेश दिया गया। भोपाल विकास योजना की ऐरो सिटी योजना की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हुई। वन विभाग के वन भवन योजना की जल तथा वायु सहमति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई। म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल की बैरागढ़ चीचली एफोर्डेबल हाउसिंग योजना की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हुई। म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल की कटारा हिल्स आवासीय योजना की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हुई एवं म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल की अफोर्डेबल योजना महाबड़िया को ऑनलाईन SEIAA में आवेदन किया गया।

V सिंहस्थ, 2016 के अभिन्यास/नियोजन तैयार किये जाने एवं प्रस्तावित मेला क्षेत्र में भूखंडो के आवंटन ले–आउट कार्य प्रारंभ करने तथा भूखंडो के अंदर वास्तुविदीय नियोजन कार्य किया गया है। इस कार्य में माह नवम्बर, 2015 से संस्थान के 6 अधिकारी/कर्मचारी निरंतर कार्यरत रहे तथा उज्जैन में रहकर कार्य संपादित किया गया।

VI संस्थान के 12 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान के अंतर्गत प्रथम/द्वितीय उच्चतर वेतनमान स्वीकृत करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किया गया तथा समिति की अनुशंसाओं के अनुसार कर्मचारियों को पात्रता के दिनांक से समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया तथा 1 कर्मचारी की विभागीय जॉच का निराकरण किया गया तथा 2 कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण के निराकरण की कार्यवाही की गई।

VII वर्ष 2016–17 में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम के कार्य हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार संस्थान के 20 कर्मचारी निरंतर बी.एल.ओ. के कार्य हेतु संलग्न है।

VIII नगर तथा ग्राम निवेश की नगर विकास योजनान्तर्गत नगरों की विकास योजना /जोनल प्लान तैयार करना।

IX विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण/क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करना तथा विभिन्न विषयों पर कार्यशालायें आयोजित करना।

संस्थान द्वारा प्राप्त प्रस्तावों अनुसार उपरोक्त कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है।

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय :–

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा पूर्व में यूआईडीएसएसएमटी योजनान्तर्गत आयोजित किये गये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन से यह अनुभव किया कि संस्थाओं के कुशल कार्य संचालन तथा योजनाओं के सफल कियान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि विकास प्राधिकरणों में क्षमता वृद्धि के लिये प्रतिवर्ष विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिये एक प्रशिक्षण मॉडयूल तैयार किया जाना अति आवश्यक है। इसी क्रम में स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा विकास प्राधिकरणों के लिये विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार किया गया है, जिसके अनुसार विगत वर्षो में विभिन्न विषयों पर कुल 09 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये तथा प्रदेश के विकास प्राधिकरणों तथा संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आगामी वर्ष में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना प्रस्तावित है।

भाग–पांच

अभिनव योजना :– स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के लिये सलकनुपर विकास योजना तैयार करने का कार्य पूर्ण किया गया। इसके अलावा 10 नगरों की विकास योजना तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ग्वालियर काउंटर मेग्नेंट की योजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

भाग–छः

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा सदस्य संस्थाओं को तकनीकी मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से EXECUTION, OPERATION & MAINTENANCE OF WATER SUPPLY पर मार्गदर्शिका मुद्रित कर नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है जो यू.आई.डी.एस.एस.एमटी. योजना के कियान्वयन में सहायक सिद्ध होगी। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा वर्ष 1977 से वर्ष 2012 तक विकास प्राधिकरणों के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों का संकलन किया जाकर राज्य शासन तथा सभी विकास प्राधिकरणों को उपलब्ध कराया गया है।

भाग–सात

राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना

राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर संस्थान द्वारा अमल किया जा रहा है। महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 एवं नियम 2013 के क्रियान्वयन के संबंध में म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 11.2.2014 के परिपालन में संस्थान द्वारा आदेश दिनांक 26.2.2014 द्वारा एक पॉच सदस्यीय "**आतरिक परिवाद समिति**" का गठन किया गया है। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग में कार्यरत महिलाओं के लिये समुचित प्रसाधन व्यवस्था की गई है। उनके बैठने के लिये पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान निर्धारित है ।

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग में महिला उत्पीडन से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं है। संस्थान में महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये एक महिला अधिकारी श्रीमती वर्षा जैन, सहायक वास्तुविद को "**आतरिक परिवाद समिति**" का पीठासीन अधिकारी नामांकित किया है । वर्तमान में संस्थान में कुल– 13 महिला कर्मी कार्यरत है ।

भाग–आठ

सारांश– आगामी वर्ष की योजनाऐं व कार्यक्रम

1. आगामी वर्ष में राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा आईडीएसएमटी योजनान्तर्गत नगरों के शेष योजना घटकों के वास्तुविदीय कार्य।
2. नगरीय निकायों की स्वयं वित्तीय योजनाओं का वास्तुविदीय कार्य किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही 4 नगरों की सूचना प्रौद्योगिकी का कार्य।
3. प्रदेश के 10 विकास प्राधिकरणों तथा 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर शासन को अग्रेषित करना तथा नवगठित विकास प्राधिकरणों के लिये वित्त प्रबंधन।
4. विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की समस्त योजनाओं का तकनीकी परीक्षण कर शासन को प्रेषित करना। इसके अन्तर्गत प्राधिकरणों को ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी आवास बनाने के लिये रियायती दर पर शासकीय भूमि के संबंध में योजनाओं का परीक्षण करना तथा योजनाओं का ले–आउट तैयार करना।
5. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत उपान्तरण हेतु प्राप्त होने वाले प्रस्तावों/योजनाओं का परीक्षण करना।
6. विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/म.प्र. गृह निर्माण मण्डल/ राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा तैयार की गई योजनाओं के Environmental Impact Assessment का परीक्षण करना। इसके अंतर्गत इंदौर विकास प्राधिकरण की 5, भोपाल विकास प्राधिकरण की 2 योजनाओं, राजधानी परियोजना प्रशासन की 2 वन विभाग की 1 तथा म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मंडल की 6 योजनाओं का कार्य पूर्ण करना भी शामिल है।
7. नगर तथा ग्राम निवेश की नगर विकास योजनान्तर्गत नगरों की विकास योजना /जोनल प्लान तैयार करना। इसके अंतर्गत 10 नगरों जिनका कार्य प्रगति पर है, को पूर्ण करना भी शामिल है।
8. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा–16 के अंतर्गत प्रकरणों का परीक्षण किया जाना।
9. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की वेब बेस्ड एप्लीकेशन के साफ्टवेयर का कार्य। इसके अंतर्गत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर नगरों हेतु विकास अनुज्ञा/विकास अभिमत एवं भू–उपयोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन ऑनलाईन लेना, जारी करना एवं साफ्टवेयर के माध्यम से अभिन्यास का परीक्षण।

10. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर जिला कार्यालयों के डिजिटल भूमि उपयोग तैयार करने का कार्य।

11. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर जिला कार्यालयों के वर्ष 1990 से 2013 तक जारी की गई विकास अनुज्ञा के स्केनिंग तथा कम्प्यूटरीकरण का कार्य।

12. विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण हेतु तैयार किये गये प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करना तथा विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशाला आयोजित करना।

13. वर्ष 2012–13 में आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों की रिवाल्विंग फण्ड में जमा पूँजी से विभिन्न योजनाऐं तैयार करने का कार्य भी हाथ में लिया गया है, इसके अंतर्गत 30 नगरों की 40 योजना घटक तैयार करने का प्रस्ताव है।

आगामी वर्ष में नगरीय निकायों पर संस्थान की विभिन्न मदों में देय बकाया राशि जो कि लगभग रू. 1.00 करोड़ से अधिक है, की अधिकतम वसूली का लक्ष्य है।

संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार उपरोक्त कार्य के निष्पादन तथा योजनाओं को तैयार करने/परीक्षण हेतु निजी सलाहकारों की सेवायें ली जाना प्रस्तावित है। इस हेतु पैनल ऑफ कन्सल्टेंट बनाया गया है। सलाहकारों की नियुक्ति/चयन हेतु एक निश्चित प्रक्रिया तथा सुस्पष्ट नीति तैयार की गई है। संस्थान का प्रयास यह है कि अधिकांश कार्य ''इन हाउस'' किये जाये।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा भू–उपयोग उपांतरण, विकास योजना, सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य इस संस्थान के माध्यम से कराये जा रहे हैं। विगत माहों में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, भूमि विकास नियम 1984 में किये गये व्यापक संशोधनों के परिपेक्ष्य में कई कार्य स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव है। इससे संचालनालय को कार्य संचालन में सहायता तथा विकास प्राधिकरणों के मध्य समन्वय स्थापित हो सकेगा व स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के कार्य संचालन में आ रही कठिनाईयों का निदान संभव हो सकेगा।

उक्त वर्णित स्थितियों के प्रकाश में स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के मेमोरेन्डम में संस्था का नाम, पता, लक्ष्य तथा उद्देश्यों एवं विनियमों में परिभाषा, लक्ष्य व उद्देश्य, सदस्यता, एसोसिएशन के पदाधिकारी, साधारण सभा/कार्यकारिणी समिति के गठन संबंधी कण्डिकाओं में यथोचित संशोधन किया गया है।

———

म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

आवास मानव की मूलभूत आवश्यकता है। राज्य शासन का यह सदैव प्रयास रहा है कि प्रदेश के हर नागरिक के पास अपना स्वयं का घर हो। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल प्रदेश में आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासहीन हितग्राहियों को विभिन्न श्रेणी के भवन एवं विकसित भूखण्ड, आवश्यक सुविधाओं सहित उपलब्ध कराने की दिशा में सतत् प्रयासरत हैं। मंडल द्वारा अपनी स्थापना वर्ष से दिसम्बर 2017 तक विभिन्न आय वर्ग के लिये 173528 आवास का निर्माण तथा 158804 भूखण्डों का विकास किया गया है। प्रदेश में शासकीय परिसरों के समुचित भूमि उपयोग हेतु शासन द्वारा जारी पुर्नघनत्वीकरण नीति अंतर्गत योजनाएं मण्डल द्वारा प्रारम्भ की गई हैं।

भाग – एक

अधीनस्थ कार्यालय

(1) उपायुक्त (वृत्त कार्यालय) – सिविल (8)/विद्युत (1)
(2) संभागीय कार्यालय सिविल – (29)/विद्युत (3)
(3) उप संभागीय कार्यालय सिविल (66)

दृष्टिकोण

1 मंडल का हितग्राहियों के प्रति दृष्टिकोण :

अ सुन्दर, सदृढ़ व किफायती मूल्य पर आवासीय भवनों का निर्माण।
ब आधुनिक एवं कम लागत के निर्माण की तकनीक से निर्माण करना।
स परियोजना समय पर एवं बिना मूल्य वृध्दि के पूर्ण करना।
द योजनाओं में आवंटियों को पूर्ण संतुष्टि देना।

2 मंडल का शासन के प्रति दृष्टिकोण :

अ शासन की नीति के अनुसार निम्न आय वर्ग, कमजोर आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के लिये आवासीय योजनाओं का क्रियान्वयन तथा शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति।
ब शासन पर वित्तीय भार को शून्य करना और यथासंभव पूरे ब्याज का भुगतान करना।
स शासन की नीति, निर्देशों अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन।

3 मंडल का अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति दृष्टिकोण :

अ मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति निष्पक्ष एवं स्वच्छ, पारदर्शी वातावरण सुनिश्चित करना। प्रशिक्षण देकर उत्थान के अवसर प्रदान करना।

ब मानव संसाधन विकास की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को लागू करना।

स. अच्छे कार्य करने वाले कर्मियों को पुरूस्कृत करना।

मण्डल के उद्देश्य

1 वर्ष वार कार्य योजना निर्धारित कर क्रियान्वित करना, प्रशासकीय व्यय कम करना, किफायती मूल्य के भवन निर्माण के मार्गदर्शी सिद्धांतो को अमल में लाना।

2 भवन निर्माण में फ्लाई ऐश ईंटो एवं पर्यावरण अनुकूल नवीन तकनीकी एवं किफायती मूल्य के भवनों का निर्माण एवं विकास कार्य सुनिश्चित करना।

3 समाज के सभी वर्गों हेतु आवास एवं भूखण्ड का निर्माण/विकास।

4 अन्य विभागों/संस्थाओं हेतु निक्षेप योजनान्तर्गत निर्माण कार्य संपादित करना।

5. शासन की पुनर्धनत्वीकरण योजनाओं में मार्गदर्शी सिद्धांत अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

6 वेब साइट के माध्यम से मण्डल कर्मियों,आवंटियों एवं जनता हेतु महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराना।

1 स्थापना

म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्थापना वर्ष 1960 में हुई। आवास स्थान की आवश्यकता के संबंध में कार्यवाही करने तथा उस आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु तथा अधोसंरचना विकास का दायित्व लेने हेतु उपाय करने के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश राज्य में गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मण्डल का गठन कर मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संशोधन अधिनियम 1972 के अंतर्गत मण्डल कार्यरत है। मण्डल की स्थापना प्रदेश की आवासीय समस्याओं के निराकरण, आवासहीन व्यक्तियों के लिये आवास गृहों के निर्माण एवं आवासीय भूखंडों को विकसित कर नागरिक सुविधाओं सहित उपलब्ध कराने के उददेश्य से की गई है। नागरिकों की आवासीय सुविधा के साथ—साथ बोर्ड द्वारा केन्द्र सरकार, मध्यप्रदेश शासन, अर्द्धशासकीय संस्थाओं, निगमों, मण्डलों, बैंकों, सहकारी समितियों के भवन निर्माण संबंधी कार्य डिपाजिट कार्य के अन्तर्गत संपन्न कराये जाते हैं। मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवासों के आवंटन में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जाता है।

2 निर्माण एवं विकास कार्य

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्थापना से दिसम्बर 2017 तक विभिन्न आय वर्ग श्रेणियों के लिये 173526 आवास गृह तथा 158804 भूखण्डों का निर्माण एवं विकास किया गया है। भूखंड एवं भवनों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति जैसे आफिस काम्पलेक्स, शापिंग सेन्टर, वाणिज्यिक क्षेत्र तथा लोकोपयोगी भवन का निर्माण भी किया गया है।

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल आवासीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ—साथ केन्द्र शासन, राज्य शासन एवं उनके उपक्रमों हेतु निक्षेप योजनाओं अंतर्गत निर्माण कार्य सम्पादित करता है। इस क्रम में मण्डल द्वारा केन्द्र शासन हेतु केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इसरो एवं राज्य शासन हेतु धर्मस्व विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, स्वास्थ विभाग आदिमजाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, प्रदेश के विभिन्न विश्व विद्यालयों हेतु निर्माण कार्य निष्पादित किये हैं। शासन की पुनर्धनत्वीकरण योजना अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन भी मण्डल द्वारा किया जा रहा है।

भाग – दो

मण्डल की विगत पाँच वर्षों की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है :—

(1) भवन निर्माण

(निर्मित भवनों की संख्या)

क्र.	विवरण	2012—13	2013—14	2014—15	2015—16	2016—17 (दिसम्बर 2017 तक)
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	1048	910	885	1066	1150
2.	एल.आई.जी.	570	640	571	566	454
3.	एम.आई.जी.	265	340	344	319	339
4.	एच.आई.जी.	271	404	485	246	290
	कुल	2154	2294	2245	2197	2233

2) भूखण्ड विकास

(विकसित भूखण्डों की संख्या)

क्र.	विवरण	2012—13	2013—14	2014—15	2015—16	2016—17 (दिसम्बर 2017 तक)
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	542	887	704	515	722
2.	एल.आई.जी.	472	753	499	643	430
3.	एम.आई.जी.	523	611	335	444	224
4.	एच.आई.जी.	300	288	207	271	112
	कुल	1837	2539	1745	1873	1488

(3) **मण्डल की वित्तीय स्थिति**

(राशि रू.करोड़)

क्र.	विवरण	2013—14	2014—15	2015—16	2016—17	2017—18 (दिसम्बर 2017 तक)
1.	टर्न ओवर	453.72	773.00	790.00	855.80	880.00

(4) **स्वीकृत परियोजनाएँ**

(राशि रू.लाख)

क्र.	विवरण	2013—14	2014—15	2015—16	2016—17	2017—18 (दिसम्बर 2017 तक)
1.	मण्डल द्वारा स्वीकृत परियोजनायें	22890.00 (23)	96734.90 (14)	178451.51 (60)	113672.91 (35)	13153.77 (07)

(5) **प्रशासनिक व्यय**

(राशि रू.लाख)

क्र.	विवरण	2012—13	2013—14	2014—15	2015—16	2016—17	2017—18 (दिसम्बर 2017 तक)
1.	प्रशाासनिक व्यय	8440.00	6809.00	6500.00	8893.00	8066.98	5951.00

कम्प्यूटराईजेशन का कार्य :–

(1) मंडल के ऑनलाईन साफ्टवेयर का NICSI,New Delhi से पंजीकृत संस्था से अंकेक्षण करा कर ISO 9001:2015 Surveillance Audit कराया गया ।

(2) एम.पी. ऑन लाईन के माध्यम से ई–पंजीयन एवं ई–ऑफर की सुविधा प्रारंभ की गई दिनांक 01.04.2017 से 31.12.2017 तक मण्डल को निम्नानुसार पंजीयन राशि प्राप्त हुई।

कुल ई–पंजीयन – प्राप्त आवेदन 1363 राशि प्राप्त – रू 14,50,23,060.00

कुल ई–ऑफर – प्राप्त आवेदन 972 राशि प्राप्त – रू. 22,20,61,644.00

दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2017 तक कुल प्राप्त राशि – रू. 178,89,64,854.00

(3) मंडल की निर्माणाधीन योजनाओ की प्रगति की समीक्षा हेतु Mobile application विकसित कर लोकार्पित किया गया ।

कम्प्यूटराईजेशन के अंतर्गत एवं ऑन लाईन पंजीयन/ऑफर उपलब्धता संबंधी जानकारी बाबत् 1,05,000.00 एस.एम.एस. प्रेषित किये गये।

(4) (i) मण्डल के सभी उप संभागों को कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं इन्टर नेट सुविधा उपलब्ध कराई गई।

(ii) मण्डल मुख्यालय/वृत्त/संभाग कार्यालयों हेतु 40 नये कम्प्यूटर भारत शासन e-Protal GeM के माध्यम से क्रय किये जाकर स्थापित किये गये।

(iii) सायबर सुरक्षा बाबत् मुख्यालय से UTM/Firewall स्थापित की गई।

(iv) मण्डल मुख्यालय में स्थापित lease line को 4 MBPS से 10 MBPS किया गया।

(5) मण्डल वेबसाइट www.mphousing.in को शासन के निर्देशानुसार यूनिकोड तकनीक आधारित हिन्दी में उपलब्ध है।

(6) मण्डल की कार्य प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने एवं सभी कार्यो के समयबद्ध व सुचारू रूप से निष्पादन हेतु कम्प्यूटराईजेशन कार्य को अंतिम रूप देकर समस्त मोड्यूलस को ऑन लाईन किया गया है।

(7) मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों की (Online Software) कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मण्डल द्वारा 50 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

(8) म.प्र. शासन की ई–मेल नीति को मण्डल द्वारा अंगीकार कर मुख्यालय एवं मैदानी कार्यालयो में पदस्थ अधिकारियों हेतु ई–मेल आई,डी, उपलब्ध कराई जाकर इसका सतत उपयोग किया जा रहा है।

(9) ई–मानिटरिंग व्यवस्था :–

मण्डल द्वारा अपने निर्माण कार्यो की Real Time मानिटरिंग हेतु Real Time Online PMIS (Project Monitoring Information System) विकसित किया गया है। इसमें निक्षेपकर्ता विभाग को भी अपने कार्यो की ऑनलाईन Real Time मानिटरिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का विवरण –

अनु. क्र.	न्यायालयों का नाम	प्रकरणों की संख्या	निर्णित प्रकरणों की संख्या
1.	मान. सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली	90	20
2.	मान. राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली	40	08
3.	मान. उच्च न्यायालय जबलपुर	680	41
4.	मान. उच्च न्यायालय ग्वालियर	255	30
5.	मान. उच्च न्यायालय इंदौर	225	12
6.	राज्य उपभोक्ता फोरम भोपाल	230	02
7.	मान. मध्यप्रदेश मध्यस्थम् अधिकरण विंध्याचल भवन भोपाल	02	00

कस्टमर ग्रिवेन्स रिड्रेसल सेल

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल मे कस्टमर ग्रिवेन्स रिड्रेसल सेल की स्थापना जनवरी–2003 में हुई। इसकी स्थापना का उद्देश्य मंडल के हितग्राहियों एवं मंडल से संबंधित जनसामान्य की शिकायतों का त्वरित निराकरण करना है। इस सेल की स्थापना दिनांक से दिसम्बर 2017 तक 4939 शिकायतें मंडल के हितग्राहियों से म.प्र. शासन के जन शिकायत निवारण विभाग से एवं अन्य विभागों से प्राप्त हुई, जिसमें से 4602 (93 प्रतिशत) शिकायतों का निराकरण किया गया है।

गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ

मंडल द्वारा अपने निर्माण कार्यों का निष्पादन निर्धारित गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित हो, इस उद्देश्य से गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन मुख्यालय स्तर पर किया गया है। गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा मंडल के विभिन्न निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य शासकीय विभागों से सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता एवं प्रमुख अभियंता की सेवायें भी मण्डल के निर्माण कार्यों कि गुणवत्ता बनाये रखने हेतु क्वालिटी मानिटर्स के रुप में सूचीबद्ध है। गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा जारी की जाने वाली निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर तत्संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाती है। मुख्य तकनीकी परीक्षक (सर्त.), म.प्र. शासन द्वारा भी निर्माणाधीन योजना का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है, तथा उनकी अनुशंसाओं का पालन मण्डल द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

मंडल द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन

1. दिनांक 01 मई 2017 से प्रदेश में भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण म.प्र. (रेरा) अस्तित्व में आया है। प्राधिकरण के नियमानुसार समस्त निर्माणाधीन। प्रस्तावित रियल स्टेट योजनाओं का नियमानुसार पंजीयन रेरा में कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंध में मण्डल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए समय–सीमा में 62 निर्माणाधीन परियोजनाओं को पंजीयन रेरा में कराया जाकर योजनाओं में पंजीयन आमंत्रण की आगामी कार्यवाही नियमानुसार संपादित की जा रही है।

2 मण्डल द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति एवं जनसामान्य को आवासीय भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस वर्ष 07 योजनायें जिनकी लागत **रूपये 13153.77 लाख** है स्वीकृत की गई हैं।

महत्वपूर्ण आवासीय योजनाओं वर्ष 2017–18 में स्वीकृत निविदाओं की जानकारी (दिसम्बर 2017) तक

क्र.	कार्य का नाम	निविदा राशि (लाख में)
1	2	3
1	वृत्त क्रमांक–1 भोपाल (स्वयं वित्तीय एवं अटल आश्रय योजना)	
अ	देवकी नगर बैरसिया भोपाल में 24 एम.आई.जी. (पी+3), 24 एल.आई.जी. (जी+2), 36 ई.डब्ल्यू.एस. (जी+2), प्रकोष्ठ भवनों एवं विकास कार्य।	1049.84
ब	कोसमी नगर बैतूल में 60 एल.आई.जी., 83 ई.डब्ल्यू.एस. एवं 08 दुकाने का निर्माण कार्य।	943.81
	योग	1993.65
2	इंदौर (स्वयं वित्तीय एवं अटल आश्रय योजना)	
अ	तुलजा विहार कालोनी जवाहरमंडी खण्डवा में 10 एम.आई.जी.–ए, 40 एल. आई.जी.–ए, 50 एल.आई.जी.–बी का निर्माण कार्य।	1215.55
ब.	तुलजा विहार कालोनी जवाहरमंडी खण्डवा में 12 एम.आई.जी.–ए, 12 एल. आई.जी.–ए, 30 एल.आई.जी.–बी, 44 ई.डब्ल्यू.एस.–बी भवन एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	959.30
स.	रेनबो रेसीडेंसी स्नेहनगर इंदौर में 82 नग 2 बी.एच.के., ए–टाईप, 12 नग 2 बी.एच.के.टाईप–बी, 42 नग, 3 बी.एच.के.टाई.ए, 56 नग 3 बी.एच.के. टाईप–बी, 32 दुकाने भूतल, 3333 प्रथम तल, 36 व्यवसायिक ब़ॉल एवं 3.15 भूमि का विकास कार्य	7017.78
	योग	9192.63
3	वृत्त–सागर (स्वयं वित्तीय योजना)	
अ	डॉ0 हरिसिंह गौर नगर सागर में 36 एल.आई.जी.–ए, 25 एल.आई.जी.बी, 46 ई.डब्ल्यू.एस.–ए. 31 ई.डब्ल्यू.एस.बी एवं विकास कार्य।	938.49
	योग	938.49
4.	वृत्त ग्वालियर (अटल आश्रय योजना)	
अ	अटल आश्रय योजना गिरनार परिसर गिरगांव ग्वालियर में 36 ई.डब्ल्यू.एस., 90 एल.आई.जी. एवं विकास कार्य।	1029.00
	स्वयं वित्तीय योजना का योग **अटल आश्रय योजना का योग** **महायोग**	9006.11 लाख 4147.66 लाख **13153.77 लाख**

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्वयं की महत्वपूर्ण निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित आवासीय योजनाओं की जानकारी

मण्डल द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं से प्रदेश में विकास/रोजगार/अधोसंरचना संबंधी सुदृढ़ीकरण होगा जिससे निवेशकर्ता प्रदेश की ओर आकर्षित होगा एवं प्रदेश के सामाजिक स्तर के उन्नयन में सहायक होगा।

प्रदेश के कई शहरों एवं जिला मुख्यालयों पर शासकीय भवन ऐसी भूमि पर स्थित है, जिनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, ऐसी भूमि के उचित उपयोग तथा आवास समस्या हल करने के लिए राज्य शासन द्वारा पुनर्घनत्वीकरण (रीडेन्सीफिकेशन) योजना तैयार की गई है।

प्रमुखता

⇒ म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा निजी भागीदारी के माध्यम से वृहद परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, जिससे शासन पर आर्थिक भार न होते हुए शहर का विकास किया जा सके। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा व्यवसायिक रूप से परिसरों के निर्माण कार्य हेतु प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर की प्रतिष्ठित एवं विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं से योगदान प्राप्त कर निर्माण कार्य पूर्ण किये जावेंगे, जिसके लिए अधोसंरचना का विकास इस प्रकार किया जावेगा कि उनकी भागीदारी स्वतः ही सुनिश्चित हो जावे। इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के प्रमुख शहरों से प्रारम्भ किया जावेगा।

⇒ अटल आश्रय योजनांतर्गत अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	योजनाएं	कुल इकाइयां
1.	पूर्ण योजनाएं	05	943
2.	निर्माणाधीन योजनाएं	17	4766
3.	पंजीयनरत योजनाएं	23	5508
4.	शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित योजनाएं	04	1307
	योग	49	12524

⇒ मण्डल द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि किये जाने वाले कार्यो में न सिर्फ जनभागीदारी सुनिश्चित की जावे, बल्कि निर्माण कार्य भी इस प्रकार हों कि प्रदेश के लोगों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें।

⇒ यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि छोटे शहरों में भी योजनायें प्रारम्भ की जावें, ताकि उनका न सिर्फ विकास हो सके अपितु उन क्षेत्रों की जनसंख्या को बड़े शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति से रोका जा सके।

⇒ मंडल द्वारा विकसित कालोनियों के सुचारू रख–रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2017–2018 में 31/12/2017 तक 3 कालोनियाँ स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित की हैं, जिस हेतु राशि रूपये 72.70 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई ।

शासन के अन्य विभागों हेतु कन्सलटेन्सी :–

मण्डल के द्वारा अपनी परियोजनाओ के सफल क्रियान्वयन के अलावा म.प्र. शासन/केन्द्र शासन के अन्य विभागों के लिये डिपोजिट वर्क एवं कन्सलटेन्सी एजेन्सी के तौर पर भी कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2017–2018 की प्रगतिशील योजनाए निम्नलिखित है :–

शासकीय विभागों हेतु निक्षेप निर्माण कार्य :–

1. <u>तकनीकी शिक्षा विभाग</u> :– निवीन कार्यो के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर छात्रावासों तथा 13 मुख्य भवनों का निर्माण कार्य जिनकी लागत क्रमशः रु. 23.00 करोड तथा रु. 97.18 करोड है। जिसमे से 10 मुख्य भवनों का कार्य पूर्ण कर विभाग को हस्तांतरित किये जा चुके है, शेष 3 मुख्य भवनों का निर्माण कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर विभाग को हस्तांतरित कर दिये जावेगें।

2. <u>कौशल विकास संचालनालय विभाग</u> :– सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के अंतर्गत 20 निर्माण कार्य जिनकी कुल प्रशासकीय स्वीकृति 55.38 करोड है, जिसमें से वामपंथ उग्रवाद जिले के अंतर्गत बालाघाट जिले का एक आई.टी.आई भवन, छात्रावास भवन के निर्माण कार्य को छोडकर सभी निर्माण कार्य पूर्ण कर हस्तांतरित कर दिये गये है। बालाघाट जिले का निर्माणाधीन कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर हस्तांतरित कर दिया जावेगा।

नवीन स्वीकृति के अंतर्गत 10 मेगा आई.टी.आई भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, होशंगाबाद, ग्वालियर, भिण्ड, रीवा, जबलपुर, सागर एवं शहडोल में प्रस्तावित है। नये निर्माण एवं रिनोवेशन कार्य की कुल लागत लगभग रु. 350.00 करोड है। प्रस्तावित कार्यो की डी.पी.आर. तैयार की जा रही है।

3. **स्वास्थ्य विभाग** :— 1. 450 बिस्तर अस्पताल उज्जैन के परिसर में18 नग (एफ) एवं 18 नग (जी) टाईप भवनों के निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति रु. 952.58 लाख है,जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

 2. जिला अस्पताल मुरैना के 300 बिस्तर अस्पताल भवन एवं उन्नयन का निर्माण कार्य जिसकी लागत 60.54 करोड है, जिसके निर्माण कार्य की निविदा आमंत्रित की गयी है।

4. **उच्च शिक्षा विभाग** :—16 महाविद्यालय एवं 11 छात्रावास भवनों की निर्माण लागत रु. 70.25 करोड में से 12 शासकीय महाविद्यालय एवं 10 छात्रावास पूर्ण किये जा चुके है। तथा शेष 4 महाविद्यालय भवनों एवं 1 छात्रावास का निर्माण कार्य फिनीशिंग स्तर पर है, जो इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर हस्तांतरित किये जावेगें।

5. **जनसंपर्क विभाग** :—1. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के निर्माण कार्य रु. 97.61 करोड के कार्य प्रगति पर है।

 2. रीवा में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के लगभग रु. 42.00 करोड के निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

6. **मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि.:—** प्रदेश में सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के विस्तार की दृष्टि से आई.टी.पार्क भोपाल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आई.टी. पार्क इन्दौर एवं जबलपुर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जावेगा।

7. **संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग** :— इस विभाग के लिये कान्हा सैया भोपाल में रु. 1.17 करोड के कार्य पूर्ण कर हस्तांतरित किये जा चुके है। नूराबाद मुरैना में प्रस्तावित रु. 18.54 करोड के कार्य प्रगति पर है, जो इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिये जावेगे।

8. **पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वद्यिालय** :— आधारताल जबलपुर में रु.13.08 करोड का कार्य प्रगति पर है। इन्दौर में नवीन भवन लागत 33.92 लाख की निविदा आमत्रंण की प्रक्रिया प्रगति पर है।

9. **म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड** :— शहडोल, सिंगरौली, एवं सतना में रु. 6.90 करोड के कार्य, जिनमें से शहडोल एवं सतना के कार्य पूर्ण किये जा चुके है एवं सिंगरोली का कार्य फिनीशिंग स्तर पर है, जो इसी वित्तीय वर्ष में हस्तांतरित कर दिया जावेगा।

10. **नापतौल विभाग** :— ग्वालियर, जबलपुर, विदिशा, धार, शाजापुर, एवं मदसौर में जिनकी स्वीकृति रु. 2.00 करोड है, जिनमें से दो कार्य पूर्ण किये जा चुके है।

11. **हस्तशिल्प विकास निगम** :— विभिन्न स्थानों में रु. 457.00 लाख के नवीन भवनों का निर्माण कार्य तथा भवनों के जीर्णोद्धार के रु. 204.41 लाख के कार्य प्रगति पर है।

12. **धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग** :— वित्तीय वर्ष 2016—17 के बजट के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उप योजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों में रु.661.34 लाख के कार्य किये जा रहे। वित्तीय वर्ष 2017—18 बजट के अनुसार विभन्न स्थानों पर रु. 2069.95 लाख के कार्य प्रस्तावित है, जिनकी डी.पी.आर. स्वीकृति उपरांत निविदा आमत्रंण आदि की कार्यवाही प्रगति पर है।

13. **रियल स्टेट रेग्युलेटरी ॲथारिटी भोपाल** :— रु. 267.99 लाख का आंतरिक साजसज्जा का कार्य प्रगति पर है।

14. **उद्योग विभाग** :— भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इन्दौर, सतना जिले में एक्जिविशन सेटर की स्थापना हेतु लागत रु. 10.00 करोड है। निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

15. **महिला एवं बाल विकास विभाग** :— रु. 620.00 लाख का निर्माण कार्य प्रगति पर जिसे इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जावेगा।

<u>पुनर्धनत्वीकरण योजना का विवरण</u>

क्र.	योजना का सक्षिप्त विवरण	व्यय की जाने वाली		प्रस्तावित शासकीय निर्माण		रिमार्क
		भूमि का क्षेत्रफल	अपसेट मुल्य (करोड में)	विवरण	निर्माण लागत (करोड में)	
1	रीवा में एस.पी.बंगले के सामने 4718 व.मी. भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना	4718.45 व.मी.	24.24	आडिटोरियम बी.सी. बंगला 5	18.35	आडिटोरियम केफेटेरिया एम. पी.निर्माण कार्य जारी है। बी. सी.बंगला का हस्तांतरण हो चुका है।
2	जबलपुर में छोटी ओमती स्थित पशु चिकित्सा विद्यालय की 4700 व.मी. भूमि पर पुनर्धनत्वीकरण योजना।	4700 व.मी.	23.527	पशु चिकित्सा हेतु संस्था कार्यालय एवं स्टाफ क्वाटर्स एवं अन्य	15.15	वेटनरी का कार्य प्रारंभ हो चका है। 4700 व.मी. भमि के लिये कन्सलअैन्ट नियुक्त हो चुका है।
3.	रीवा में शासकीय मुद्रणालय की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना	1075 व.मी.	6.5	शासकीय मुद्रणालय भवन एंव विकास कार्य	5.35	निविदा स्वीकृत हो चुकी है। कार्य प्रगति पर।
4.	रीवा में खन्ना चौराहे की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना, बजरंग नगर	10905.47 व.मी.	56	बेहर नदी रिटेनिंग वॉल, 32 स्टाफ क्वाटर्स एवं अन्य	50.09	DPR अनुमोदन हो चुका है। तकनीकी स्वीकृति जारी होना है। निविदा कार्य शेष।
5	सिंगरौली में पुनर्घनत्वीकरण योजना	22000 व.मी.	60	272 स्टाफ क्वाटर्स एवं अन्य निर्माण कार्य	30.98	DPR का अनुमोदन हो चुका है।
6	देवास जिला अस्पताल आवासीय परिसर की 8463 व.मी. भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना	2320 व.मी.	17.35	84 स्टाफ क्वाटर्स	14	DPR प्रस्तुत की जा चुकी है।

7.	उज्जैन राजस्व कालोनी की 2.527 हैक्टे. भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना	7257 व.मी.	64.28	285 स्टाफ क्वाटर्स	45.16	DPR का कार्य प्रगति पर संदक नेम बींदहम करना है।
8.	भोपाल स्थित पुरानी जेल परिसर की 20.94 हैक्टे. भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना	8.78 हैक्टे.	383.3	जेल विभाग के कार्य संस्थागत प्रशा. क्षेत्र	342.26	DPR पुनरीक्षित की जा रही है। कार्य प्रगति पर।
9	बैतुल जिला जेल की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना	54110 व.मी.	57.12	जेल भवन एवं क्वाटर्स	47	लोक निर्माण विभाग से एन. ओ.सी. आपेक्षित
10	भोपाल सामजिक न्याय परिसर एवं निःशक्तजन की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना	220000 व.मी.	61	273 स्टाफ क्वाटर्स एवं अन्य निर्माण कार्य	31.98	वास्तुविद से अनुबंध हो गया है।
11	रीवा में कला मंदिर प्रलिस मोटर वर्कशॉप के सामने की भूमि पर पुर्नधनत्वीकरण योजना	2725 व.मी.	18.00	नवीन कार्यालय भवन , छात्रावास आदि	16.00	DPR प्रस्तुत कर दी है (रीवा में)
12	थाटीपुर ग्वालियर की 30.06 हैक्टेयर भूमि पर पुर्नधनत्वीकरण योजना	7732 व.मी.	45.55	नवीन कार्यालय भवन , छात्रावास आदि	46	DPR तैयार होना है, भूमि का आरक्षण हो चुका है, आवंटन शेष है।
13	सीहोर में तहसील कार्यालय की भूमि पर पुर्नधनत्वीकरण योजना	2500 व.मी.	18.72	नवीन कार्यालय भवन , छात्रावास आदि	10	**DPR** तैयार होना है, भूमि परिवर्तन शेष है।
14	मुरैना जिला मुख्यालय स्थित पुरानी सब्जी मण्डी की 1.21 हैक्टे. भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना	12120 व.मी.	107	180 स्टाफ क्वाटर्स एवं कलेक्टर निवास	38	**DPR** प्राप्त होना शेष है। land use change करना है।
15	सिवनी में चिकित्सालय परिसर, वेयर हाउस, कलेक्टर परिसर, की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना	4560 व.मी.	20.95	कलेक्टर, एस.पी. कार्यालय एवं भूमि विकास कार्य	20.3	**PPR** साधिकार से अनुमादित होना है।

16	झाबुआ में बस स्टेण्ड, तह. कार्यालय, दिलीप क्लब, वाचनालय की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना	4600 व.मी.	17.97	बस स्टेण्ड क्षेत्र का विकास, पार्किंग एवं अन्य कार्य	14.72	VASCOSE का चयन हो चुका है।वास्तुविद चयन हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है।

भाग -तीन

बजट :-

मण्डल एक स्व वित्त पोषित संस्था है। मण्डल को आवासीय भवनों/भूखण्ड की योजनाओं तथा निक्षेप योजनाओं से प्राप्त पर्यवेक्षण शुल्क मण्डल की आय के मुख्य स्त्रोत हैं।

1. मण्डल के अंतिम लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 विधान सभा पटल पर माह जुलाई 2017 को प्रस्तुत किया गया है।
2. मण्डल के इतिहार में पहली बार मण्डल गठन के पश्चात् वर्ष 2015–16 में सर्वाधित शुद्ध लाभ रू. 34.93 करोड़ हुआ है।(आयकर पश्चात्)
3. हितग्राहियों को आवास सुविधाजनक ऋण उपलब्ध कराने हेतु 6 राष्ट्रीयकृत बैंक व 6 वित्तीय संस्थानों (माईक्रो फायनेन्स) के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है।
4. एन.एच.बी. एवं शासकीय ऋण की प्रीमेच्युर ऋण का भुगतान एवं समस्त देयताओं का भुगतान कर ऋणयुक्त संस्थान बन गया।
5. एन.बी.एस. के अंतर्गत वर्ष 2005 के पश्चात के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा काटी गई राशि एन.एस.डी.एल. को जमा की जा रही है।

भाग – चार

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(अ) अटल आश्रय योजना
(ब) पुनर्घनत्वीकरण योजना
(स) पी एम ए वाइ (PMAY)

भाग – पांच

सामान्य प्रशासनिक विषय

(अ) मार्च 2017 से दिसम्बर 2017 तक म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से विधान सभा सचिवालय से कुल 82 प्रश्न प्राप्त हुए (38 तारांकित प्रश्न, 40 अतारांकित प्रश्न, 04 ध्यानाकर्षण, 00 राज्य सभा, शून्य काल सूचना 00 एवं 00 लोक सभा प्रश्न) । मण्डल द्वारा समय–सीमा में उक्त प्रश्नों से संबंधित जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई गई।

(ब) वर्ष 2017–18 में दिसम्बर 2017 तक स्थानांतरण/पदोन्नति/नियुक्ति के प्रकरणों की जानकारी–

क्र.	विवरण	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
1	स्थानांतरण	16	21	55	02
2	पदोन्नति	00	01	00	00
3	नियुक्ति	00	00	08	01

(स) वर्ष 2017–18 में (दिसम्बर 2017 तक) विभागीय जांच प्रकरणों की जानकारी –

1	1.1.18 को शेष प्रकरण	52
2	जांच संस्थित प्रकरण	13
3	निराकृत प्रकरण	04
4	दिसम्बर 2016 तक शेष प्रकरण	35

भाग – छः

राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना

राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर अमल किया जा रहा है। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल में महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये मंडल द्वारा एक महिला अधिकारी श्रीमती स्मिता निगम, वास्तुविद को नामांकित किया है। वर्तमान में मण्डल में कुल 155 महिला कर्मी है।

भाग – सात

पहल 2017–2018

- दरों का युक्ति युक्त करण कर पुरानी संपत्ति का विक्रय
- पुरानी अविकृित संपत्ति का एम एस टीसी (MSTC) के माध्यम से विक्रय
- बैंकों से हितग्राहियों को ऋण प्रदाय हेतु समन्वय
- 5 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्टस् में cost effectiveness परीक्षण अनिवार्य
- कमजोर आय वर्ग को रियायती दर पर संपत्ति का विक्रय
- जन सामान्य की सुविधा हेतु होम शॉप
- मण्डल अधिकारियों को QUALITY CONTROL पर प्रशिक्षण
- मार्केटिंग सैल की स्थापना
- मण्डल में पदस्थ वरिष्ठ सहायको एवं उनके समकक्ष कर्मचारियों को संभागीय लेखापाल का प्रशिक्षण एवं परीक्षा आयोजित करना
- उपयंत्री/सहायक यंत्रीयों को लेखा परीक्षण प्रशिक्षण एवं परीक्षा आयोजित करना।

संरक्षात्मक उपाय

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा अपनी योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति निःशक्तजन तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण रखा जाता है। आरक्षित वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल सके इसकी प्रभावी बनाने के लिये विज्ञापनों में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है।

स्थानीय निकायों को कालोनी हस्तांतरण –

वर्ष 2017–18 (दिसम्बर 2017 तक) में म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की विभिन्न स्थानों पर नगर निकायों को हस्तांतरित कालोनियों की सूची –

क्र.	कालोनी का नाम एवं स्थान	स्वीकृत राशि (रू.लाख में)
1	कसरावद कालोनी जिला खरगौन	15.50
2.	अटल विहार कालोनी बाड़ाबुजूर्ग बुरहानपुर	48.20
3	पशुपतिनाथ विहार कन्नोद जिला देवास	9.00
	योग	72.70

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम

भाग–एक

विभागीय संरचना :–

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का पंजीयन मध्य प्रदेश समिति पंजीयन अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन किया गया है जिसका पंजीयन क्रमांक 18851 दिनांक 01 फरवरी, 1988 है। इस निगम का एकमात्र कार्यालय/मुख्यालय विन्ध्याचल भवन, भोपाल में स्थित है तथा इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश है। इसके अध्यक्ष, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग हैं तथा अपर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग पदेन प्रबंध संचालक होते हैं। वर्तमान में प्रबंध संचालक पद का कार्य अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी देख रहे हैं तथा निगम कार्यालय में 3 तृतीय श्रेणी एवं 3 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं।

अधीनस्थ कार्यालय :–

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का एकमात्र कार्यालय/मुख्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म. प्र.) में स्थित है तथा प्रदेश में इसका कोई अन्य अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

निगम के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाएं :–

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का एक प्रतिष्ठान है तथा इस निगम के अन्तर्गत अन्य कोई संस्था कार्यरत नहीं है।

निगम के दायित्व :–

राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान के लिये इस निगम की स्थापना की गई है।

निगम से सम्बंधित सामान्य जानकारी :–

(1) निगम द्वारा कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान हेतु शासन से भूमि प्राप्त की जाती है तथा आवश्यकतानुसार भूमि अर्जन की कार्यवाही की जाती है।

(2) वित्तीय संस्थाओं जैसे हाउसिंग डेव्हलपमेंट एवं फायनेंस कार्पोरेशन, जीवन बीमा निगम, नेशनल हाउसिंग बैंक आदि से आवश्यकतानुसार उक्त कार्य हेतु ऋण राशि प्राप्त कर, हितग्राहियों द्वारा उसके भुगतान के प्रबंधन का कार्य किया जाता है।

(3) सामान्य रूप से एम. पी. हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं अन्य शासकीय संस्थाओं के माध्यम से आवास निर्माण एवं भू–खण्डों के विकास का कार्य कराया जाता है।

सामान्य या प्रमुख विशेषताएं :–

निगम द्वारा प्रदेश के सम्भागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स के माध्यम से राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को उचित दरों पर आवासीय सुविधा सुलभ कराने का कार्य किया जाता है।

महत्वपूर्ण सांख्यकी :–

क्रमांक	उपलब्धियॉ	हिग्राहियों की संख्या
01.	निर्मित आवास उपलब्ध कराना	238
02.	विकसित भू–खण्ड उपलब्ध कराना	2,868

भाग–दो

बजट :–

निगम एक स्व वित्त पोषित संस्था है। संस्था की आय के स्त्रोत निगम की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित भू–खण्डों/भवनों से प्राप्त एक प्रतिशत स्थापना शुल्क एवं ऋण/जमा आदि पर प्राप्त ब्याज की राशि है।

मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा निगम की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1995–96 से एक निश्चित राशि धनवेष्ठन हेतु निगम को उपलब्ध कराई जा रही थी परन्तु मध्य प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–2005 से कोई राशि इस निगम को धनवेष्ठन हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई है। निगम द्वारा आगामी समय में प्रस्तावित आवासीय योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुये आगामी वर्ष से प्रतिवर्ष 200.00 लाख धनवेष्ठन हेतु तथा निगम के स्थापना व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु भी प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार राशि इस निगम को उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

निगम के वित्तीय वर्ष 2016–2017 एवं 2017–18 के खातों का अंकेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

भाग–तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं :–

(अ) **राज्य योजनाएं :–**

निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–2017 के अन्तर्गत दिसम्बर, 2017 तक ग्वालियर, मन्दसौर, नीमच (भू–खण्डों का विकास एवं भवनों का निर्माण), धार, कटनी, रीवा, दमोह एवं रतलाम, झाबुआ में लगभग रूपए 2,915.20 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भू–खण्डों के विकास एवं भवनों के निर्माण का कार्य गतिशील है तथा निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में इन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के 250 भू–खण्डों तथा विभिन्न श्रेणी के 46 भवनों का आवंटन किया गया तथा इस वर्ष विभिन्न श्रेणी के 168 आवासीय भू–खण्डों का आवंटिन पात्र कर्मचारियों को किया गया है।

महामहिम राज्यपाल महोदय के विगत वर्षों के अभिभाषणों के संदर्भ में दिसम्बर, 2015 तक निगम द्वारा प्रदेश के 03 जिला मुख्यालयों में विभिन्न श्रेणी के 421 आवासीय भू–खण्डों की लगभग रूपए 870.54 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भू–खण्डों के आवंटन हेतु तथा 01 जिला मुख्यालय में विभिन्न श्रेणी के 46 आवासीय भवनों की लगभग रूपए 377.14 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की गई।

(ब) **केन्द्र प्रवर्तित योजना :–** निरंक।

(स) **विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं :–** निरंक।

(द) **विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं :–** निरंक।

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय :–

(अ) जाँच समितियों द्वारा किये गये अध्ययनों, नियुक्तियों तथा स्थानान्तरणों के सम्बंध मे जानकारी निरंक है।

(ब) मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति), नियम, 2002 के क्रम में निगम कार्यालय में की गई पदोन्नतियों के सम्बंध में जानकारी निरंक है।

(स) जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2017 तक मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय से कुल 07 तारांकित, 04 अतारांकित प्रश्न प्राप्त हुये। निगम द्वारा इन प्राप्त प्रश्नों के सम्बंध में वॉछित जानकारी समय–सीमा में विभाग को उपलब्ध कराई गई।

(द) इस निगम द्वारा मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से प्राप्त विधान सभा से सम्बंधित आश्वासनों, विभिन्न याचिकाओं, लोक लेखा समिति, याचिका समिति, प्रश्नोत्तर समिति, प्राक्कलन समिति आदि के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही कर, विभाग को अवगत कराया गया।

(इ) वर्ष 2017–2018 के अन्तर्गत माह जनवरी, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक इस निगम के विरूद्ध कुल 2 न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हुये। निगम द्वारा सभी प्रकरणों के जवाबदावे निर्धारित समय–सीमा में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

भाग–पॉच

अभिनव योजना :– निरंक।

भाग–छः

इस निगम द्वारा कोई प्रकाशन नहीं प्रकाशित किये जाते हैं। अतः जानकारी निरंक है।

भाग–सात

महिलाओं के लिये किये गये कार्यों के सम्बंध में जानकारी :–

निगम द्वारा अपनी आवासीय परियोजनाओं के अन्तर्गत अपनी स्थापना से लेकर वर्ष 2008 तक 353 तथा विगत चार वर्षों में विभिन्न श्रेणी के 15 आवासीय भू–खण्डों, 07 आवासीय भवनों एवं वर्ष 2015–16 में 21 आवासीय भू–खण्डों इस प्रकार कुल 406 पात्र महिला कर्मचारियों को आवासीय भू–खण्डों/भवनों का आवंटन किया गया है।

भाग–आठ

सारांश :–

इस निगम द्वारा शासकीय सेवकों को आवासीय सुविधा सुलभ कराने के परिप्रेक्ष्य में भोपाल एवं नीमच में विभिन्न श्रेणी के 238 निर्मित आवासों तथा ग्वालियर, मन्दसौर, नीमच, धार, कटनी, रीवा, दमोह,रतलाम एवं झाबुआ में विभिन्न श्रेणी के 2868 आवासीय भू–खण्डों का आवंटन पात्र शासकीय सेवकों को किया गया है। निगम का लक्ष्य प्रदेश के समस्त आवासहीन शासकीय कर्मचारियों को आवासीय सुविधा सुविधा सुलभ कराना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आगामी वर्ष में सम्बंधित सम्भागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स द्वारा निर्धारित समयावधि में निगम की आवासीय योजनाओं हेतु प्रस्तावित भूमियों का आवंटन निगम के पक्ष में किया जाकर, आधिपत्य निगम को सौंप दिये जाने पर प्रदेश के चार जिला मुख्यालयों में अनुमानित लागत रूपए 1446.57 लाख की प्रस्तावित आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के 448 आवासीय भू–खण्डों के विकास का कार्य प्रारंभ/पूर्ण किया जाकर, इनका आवंटन पात्र कर्मचारियों को किया गया है।

———

परिशिष्ट—एक

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश का स्वीकृत प्रशासकीय अमला

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद संख्या	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आयुक्त	01	01	00
2	अपर आयुक्त	03	02	01
3	अपर संचालक	03	01	02
4	संयुक्त संचालक	06	04	02
5	उप संचालक	08	03	05
6	सहायक संचालक	12	06	06
7	लेखा अधिकारी	01	01	00
8	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	04	02	02
9	अधीक्षक	09	05	04
10	वरिष्ठ निज सहायक	02	00	02
11	निज सहायक	04	01	03
12	शीघ्रलेखक वर्ग—3	09	06	03
13	सहायक वर्ग—1	19	14	05
14	सहायक वर्ग—1 (सांख्ये.)	01	01	00
15	लेखापाल	07	00	07
16	लेखापाल चुंगी	01	00	01
17	सहायक वर्ग—2	27	18	09
18	सहायक वर्ग—3	52	26	26
19	वाहन चालक	12	04	08
20	दफ्तरी	00	03	03 अधिक
21	भृत्य	16	20	04 अधिक
	योग	**197**	**118**	**86**

————————

संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद संख्या	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संयुक्त संचालक	10	07	03
2.	उप संचालक	03	00	03
3.	सहायक संचालक	10	06	04
4.	शीघ्रलेखक वर्ग–1	02	00	02
5.	शीघ्रलेखक वर्ग–2	05	00	05
6.	शीघ्रलेखक वर्ग–3	10	04	06
7.	अधीक्षक	10	04	06
8.	सहायक वर्ग–1	20	16	04
9.	लेखापाल	10	01	09
10.	सहायक वर्ग–2	30	16	14
11.	सहायक वर्ग–3	40	17	23
12	वाहन चालक	13	01	12
12.	भृत्य	20	10	10
	योग	**183**	**82**	**101**

————————

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद संख्या	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रमुख अभियंता	01	01	00
2.	मुख्य अभियंता	01	01	00
3.	विशेष कर्त्तव्यस्थ अधि.	03	00	03
4.	अधीक्षण यंत्री	03	03	00
5.	कार्यपालन यंत्री	06	06	00
6.	सहायक यंत्री	06	06	00
7.	प्रशासकीय अधिकारी	01	01	00
8.	सहायक संचालक	01	01	00
9.	शीघ्रलेखक वर्ग–1	01	01	00
10.	शीघ्रलेखक वर्ग–2	02	02	00
11.	शीघ्रलेखक वर्ग–3	13	06	07
12.	सहायक अधीक्षक	01	01	00
13.	सहायक वर्ग–1	10	00	10
14.	लेखापाल	01	01	00
15.	सहायक वर्ग–2	10	05	05
16.	मानचित्रकार	02	02	00
17.	स्टेनोटायपिस्ट	01	00	01
18.	अंग्रेजी टायपिस्ट	01	00	01
19.	अनुरेखक (ट्रेसर)	01	00	01
20.	सहायक वर्ग–3	20	18	02
21.	व्यवस्थापक	01	00	01
22.	इलेक्ट्रीशियन	01	00	01
23.	वाहन चालक	17	16	01
24.	भृत्य	11	11	00
25.	चेनेमेन	01	01	00
26.	माली	03	02	01
27.	चौकीदार	08	08	00
28.	मॉडलर	02	00	02
29.	पंप अटेडेंट	01	00	01
30.	वाटर मेन	01	00	01
31.	सफाई कामगार	06	02	04
	योग	**137**	**95**	**42**

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,यांत्रिकी प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1.	अधीक्षण यंत्री	10	0	10
2.	कार्यपालन यंत्री	20	10	10
3.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	2	0	2
4.	सहायक यंत्री	20	9	11
5.	मानचित्रकार	7	7	0
6.	ट्रेसर	7	3	4
7.	सहायक वर्ग–3	14	14	0
8.	वाहन चालक	7	3	4
9.	भृत्य	14	14	0
10.	चौकीदार	8	4	4
	योग	109	64	45

जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	परियोजना अधिकारी	50	38	12	प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं
2	सहायक परियोजना अधिकारी	62	30	32	–"–
3	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	38	0	38	–"–
4	आशुलिपिक / स्टेनो टाइपिस्ट	50	9	41	प्रतिनियुक्ति / संविदा से भरे जाते हैं
5	वाहन चालक	25	15	10	–"–
6	भृत्य	88	20	68	संविदा
7	फर्राश सह चौकीदार	35	12	23	–"–
	योग	**348**	**124**	**224**	

————————

परिशिष्ट–दो

प्रदेश के नगरीय निकायों की संभाग/जिलावार सूची

संभाग का नाम	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर परिषद
1 ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. डबरा	1. पिछोर 2. बिलौआ 3. आंतरी 4. भितरवार 5. मोहना*
	2. शिवपुरी		2. शिवपुरी	6. करेरा 7. कोलारस 8. खनियाधाना 9. पिछोर 10. बदरवास 11. नरवर 12. बैराड
	3. गुना		3. गुना 4. राधोगढ़	13. चाचौडाबीनागंज 14. आरोन 15. कुंभराज
	4. अशोकनगर		5. अशोकनगर 6. चंदेरी	16. मुंगावली 17. ईसागढ 18. शाढौरा
	5. दतिया		7. दतिया	19. भांण्डेर 20. इंदरगढ़ 21. सेवड़ा 22. बड़ोनी
2. चंबल	6. भिण्ड		8. भिण्ड 9. गोहद	23. मेहगांव 24. लहार 25. गोरमी 26. अकोड़ा 27. मिहोना 28. आलमपुर 29. दबोह 30. मौ 31. फूफकलां
	7. मुरैना	2. मुरैना	10. अम्बाह 11. पोरसा 12. सबलगढ़	32. जौरा 33. कैलारस 34. झुण्डपुरा 35. बामौर
	8. श्योपुरकलां		13. श्योपुरकलां	36. विजयपुर 37. बड़ौदा
3. इंदौर	9. इंदौर	3. इंदौर		38. देपालपुर 39. सांवेर 40. गौतमपुरा 41. बेटमा

				42. राऊ 43. हातौद 44. मानपुर 45. महुगांव
	10. धार		14. धार 15. मनावर 16. पीथमपुर	46. राजगढ़ 47. कुक्षी 48. बदनावर 49. धरमपुरी 50. धामनौद 51. सरदारपुर 52. मांडव 53. डही
	11. बड़वानी		17. सेंधवा 18. बड़वानी	54. अंजड़ 55. राजपुर 56. खेतिया 57. पानसेमल 58. पलसूद
	12. झाबुआ		19. झाबुआ	59. थांदला 60. पेटलावद 61. रानापुर 62. मेघनगर
	13. अलीराजपुर		20. अलीराजपुर	63. जोबट 64. भावरा
	14.पश्चिमनिमाड़ (खरगौन)		21. खरगौन 22. सनावद 23. बड़वाह	65. मण्डलेश्वर 66. कसरावद 67. भीकनगांव 68. महेश्वर 69. करही एवं पांडल्याखुर्द
	15. पूर्व निमाड़ (खंडवा)	4. खंडवा		70. मूंदी 71. पंधाना 72. ओंकारेश्वर 73. छनेरा
	16.बुरहानपुर	5. बुरहानपुर	24. नेपानगर	74. शाहपुर
4. उज्जैन	17. उज्जैन	6. उज्जैन	25. बड़नगर 26. महिदपुर 27. खाचरोद 28. नागदा	75. तराना 76. उन्हेल 77. माकडोन
	18 नीमच		29. नीमच	78. मनासा 79. रामपुरा 80. जावद 81. जीरन 82. रतनगढ़ 83. सिंगोली 84. डिकेन 85. कुकड़ेश्वर 86. नयागांव

				87. अठाना 88. सरवनिया महाराज
	19. देवास	7. देवास		89. कन्नौद 90. सोनकच्छ 91. खातेगांव 92. हाटपिपल्या 93. बागली 94. भौरासा 95. करनावद 96. काटाफोड़ 97. लोहारदा 98. सतवास 99. टोंकखुर्द 100. पिपलरंवा 101. नेमावर
	20. शाजापुर		30. शाजापुर 31. शुजालपुर	102. मक्सी 103. अकोदिया 104. पोलायकलां 105. पानखेडी
	21. आगर		32. आगर	106. नलखेड़ा 107. बडौद 108. कानड़ 109. सुसनेर 110. सोयतकलां 111. बड़ागांव
	22. रतलाम	8. रतलाम	33. जावरा	112. ताल 113. सैलाना 114. आलोट 115. नामली 116. बड़ावदा 117. पिपलौदा 118. धामनौद
	23. मंदसौर		34. मंदसौर	119. शामगढ़ 120. सीतामऊ 121. पिपल्यामंडी 122. नारायणगढ़ 123. मल्हारगढ़ 124. भानपुरा 125. नगरी 126. गरोठ 127. सुवासरा 128. भैंसोदा मंडी*
5. भोपाल	24. भोपाल	9. भोपाल	35. बैरसिया	
	25. सीहोर		36. सीहोर 37. आष्टा	129. इछावर 130. बुदनी 131. जावर 132. नसरूल्लागंज

				133. रेहटी 134. कोठरी 135. शाहगंज
	26. रायसेन		38. रायसेन 39. बेगमगंज 40. मण्डीदीप	136. औबेदुल्लागंज 137. सुल्तानपुर 138. बरेली 139. बाड़ी 140. सांची 141. उदयपुरा 142. सिलवानी 143. गैरतगंज
	27. विदिशा		41. विदिशा 42. गंज बासौदा 43. सिरोंज	144. कुरवाई 145. लटेरी 146. शमशाबाद
	28. राजगढ़		44. राजगढ 45. नरसिंहगढ़ 46. सारंगपुर 47. ब्यावरा	147. जीरापुर 148. कुरावर 149. खिलचीपुर 150. तलेन 151. बोड़ा 152. खुजनेर 153. पचोर 154. सुठालिया 155. माचलपुर 156. छापीहेड़ा
6. नर्मदापुरम्	29. होशंगाबाद		48. होशंगाबाद 49. इटारसी 50. सिवनीमालवा 51. पिपरिया	157. बाबई 158. सोहागपुर 159. बनखेड़ी
	30. हरदा		52. हरदा	160. टिमरनी 161. खिड़किया
	31. बैतूल		53. बैतूल 54. आमला 55. सारणी 56. मुलताई	162. बैतूल बाजार 163. भैंसदेही 164. आठनेर 165. चिचोली
7. सागर	32. सागर	10. सागर	57. बीना इटावा 58. खुरई 59. गढ़ाकोटा 60. रेहली 61. देवरी 62. मकरोनिया बुजुर्ग	166. राहतगढ़ 167. बंडा 168. शाहपुर 169. शाहगढ
	33. दमोह		63. दमोह 64. हटा	170. तेंदुखेड़ा 171. पथरिया 172. हिन्डोरिया 173. पटेरा
	34. पन्ना		65. पन्ना	174. अमानगंज 175. देवेन्द्र नगर

				176. अजयगढ़ 177. ककरहटी 178. पवई
	35. छतरपुर		66. छतरपुर 67. नौगांव 68. महाराजपुर	179. धुवारा 180. सटई 181. बारीगढ़ 182. बिजावर 183. गढ़ीमल्हरा 184. बक्सवाहा 185. चंदला 186. बड़ामल्हरा 187. हरपालपुर 188. लवकुशनगर 189. खजुराहो 190. राजनगर
	36. टीकमगढ़		69. टीकमगढ़	191. निवाड़ी 192. पृथ्वीपुर 193. बल्देवगढ़ 194. खरगापुर 195. पलेरा 196. जैरोनखालसा 197. तरीचरकलां 198. जतारा 199. लिधोराखास 200. बड़ागांव 201. कारी 202. ओरछा
8. रीवा	37. रीवा	11. रीवा		203. बैंकुंठपुर 204. मउगंज 205. त्यौंथर 206. हनुमना 207. चाकघाट 208. गोविन्दगढ. 209. नईगढ़ी 210. सिरमौर 211. मनगवां 212. सेमरिया 213. गुढ़
	38. सीधी		70. सीधी	214. चुरहट 215. रामपुरनेकिन 216. मझोली
	39.सिंगरौली	12.सिंगरौली		
	40. सतना	13. सतना	71. मैहर	217. नागौद 218. बिरसिंहपुर 219. जैतवारा 220. कोटर 221. कोठी

				222. अमरपाटन 223. रामपुर–बघेलान 224. उचेहरा 225. चित्रकूट 226. न्यू रामनगर
9. शहडोल	41. शहडोल		72. शहडोल 73. धनपुरी	227. बुढ़ार 228. ब्यौहारी 229. जयसिंहनगर 230. खाण्ड 231. बकहो*
	42.अनूपपुर		74. अनूपपुर 75. कोतमा 76. पसान 77. बिजूरी	232. जैतहरी 233. अमरकंटक 234. वनगवां (राजनगर)* 235. डोला* 236. डूमरकछार*
	43. उमरिया		78. उमरिया 79. पाली	237. चंदिया 238. नौरोजाबाद 239. मानपुर*
	44. डिण्डोरी			240. डिण्डोरी 241. शाहपुरा
10. जबलपुर	45. जबलपुर	14. जबलपुर	80. पनागर 81. सिहोरा	242. बरेला 243. भेड़ाघाट 244. शाहपुरा 245. पाटन 246. मझौली 247. कटंगी
	46. कटनी	15. मुड़वारा कटनी		248. बरही 249. कैमोर 250. विजयराधवगढ़
	47. बालाघाट		82. बालाघाट 83. वारासिवनी 84. मलाजखंड	251. कटंगी 252. बैहर 253. लांजी
	48 छिन्दवाड़ा	16. छिंदवाड़ा	85. पांढुर्ना 86. जुन्नारदेव जामई) 87. डोगर परासिया 88. दमुआ 89. चौरई 90. अमरवाड़ा 91. सौंसर	254. हर्रई 255. लोधीखेड़ा 256. न्यूटन चिखली 257. चांदामेटा बुटारिया 258. मोहगांव 259. बडकुही 260. पिपलानारायणवार 261. बिछुआ 262. चांद
	49 नरसिंहपुर		92. नरसिंहपुर 93. गाडरवारा 94. करेली 95. गोटेगांव	263. तेंदूखेड़ा 264. सालीचौका 265. सांईखेडा 266. चीचली

	50. सिवनी		96. सिवनी	267. लखनादौन 268. बरघाट 269. छपारा*
	51. मंडला		97. मंडला 98. नैनपुर	270. बम्हनीबंजर 271. निवास 272. बिछिया

नगर पालिक निगम	**16**
नगरपालिका परिषद	**98**
नगर परिषद	**272**
योग	**386**

*नव गठित नगर परिषद्।

परिशिष्ट–तीन (एक)

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास
वित्त वर्ष 2017–18 का बजट

(राशि लाख में)

स. क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2017–18 (अनुपूरक सहित)	बजट आवंटन वर्ष 2017–18 (द्वितीय अनुपूरक सहित)	व्यय दिनांक 31.12.2017 तक
1	2	3	4	5	6
	A.	**Centrally Sponsored Schemes**			
		केन्द्र प्रवर्तित			
1	1263	Deen Dayal Antyodaye Yojna (NULM)	10500.00	10150.00	2807.00
2	1264	National River Conservation Plan (NRCP)	0.01	0.01	0.00
3	7705	Smart City	140000.00	133000.00	38400.00
4	7706	Swachchha Bharat Abhiyan	60000.00	54000.00	21707.53
5	1238	Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT)	70000.00	63000.01	57751.63
6	1237	Hosing For All	260800.01	260800.00	138922.40
		Total (A)	**541300.02**	**520950.02**	**259588.56**
	B.	**State Schemes**			
7	6221	UIDSSMT	17000.02	15300.00	564.00
8	7146	Mukhyamantri Shahri Adhosanrachna Vikas Yojna	12000.00	11350.00	2126.86
9	7145	Mukhyamantri Shahri Peyjal Yojna	20000.00	19000.00	67.49
10	7144	Mukhyamantri Shahri Swachhata Mission	1600.00	1570.00	314.43
11	7056	Fire Services	2000.00	1800.00	810.00
12	7147	Lok Parivahan evam Yatayat Survy/Addhyan	200.00	180.00	99.63
13	7357	Jhilon aur Talabon ka sanrakshan aur sanvardhan	100.02	100.02	0.00
14	7029	National Instititute of Governence and urban management	60.01	54.01	37.80
15	6022	Mass Rapid Transport system survey	500.00	450.00	315.00
17	7039	Shahri Sudhar Karyakram	1400.02	1260.02	458.73
18	5726	MP Urban infarstucture fund	800.00	800.00	0.00

19	8163	Nager Vikas Yojana (CDP)	0.01	0.01	0.00
20	7358	Shahri Virasat Sanrakshan evam Samvardhan Yojna	10.00	9.00	0.00
21	6047	Training	22.00	19.80	13.86
22	7172	Path par Vikraya Karne wale Shahri Garibon ki Kalyan Yojna (Infrastructure Developement)	270.02	243.01	170.11
23	0179	Group Insurance Scheme for Sweepers	65.00	58.50	40.95
26	7704	Dedicated Urban Transport Fund (DUTF)	3659.00	3309.00	787.00
27	7707	Mukhyamantri Shahri Swarojgar Yojna	2500.01	4650.01	3075.00
28	7709	Mukhyamantri Shahri Garibon ke liye Arthik Kalyan Yojna	2500.00	2250.00	1575.00
29	2045	Shahri Garibon ko uplabadh karaye jane vale Awas ke hitgrahi ansh me Rajya Sarkar ka byaj Anudan	1700.00	830.00	51.70
30	1425	Panjiyan evam Mudrank Shulk ke Adhibhar se Nagriya Nikayon Dwara athva unki our se liye gaye Rino/Byaj ka pratisandaye	18125.00	20425.00	20425.00
31	0681	Real State Regality authority	450.00	405.00	218.50
32	0852	Deendayal Rasoyi Ghar Yojna ekmusht Sahyata	1000.00	1000.00	465.85
	7400	Sinhast-2016	0.00	0.00	0.00
		Total (B)	**85961.11**	**85063.38**	**31616.91**
	C.	**EAP Schemes**			
32	7711	M.P.Urban Development Project (MPUDP) (World Bank)	16000.00	16000.00	5000.00
33	7336	M.P. Urban Services Improvement Programme (MPUSIP) (EAP) (ADB)	50000.00	50000.00	5000.00
34	1262	M.P.Urban Sanitation and Environment Sector Project (MPUSEP)-EAP (KFW)	1000.00	1000.00	0.00
35	6440	Shahri Parivahan Vyavastha Ka Sudhrikaran (GEF)	500.02	450.01	112.50
36	2043	Metro Rail	100.01	100.01	0.00

		Total (C)	**67600.03**	**67550.02**	**10112.50**
		Total - A	**541300.02**	**520950.02**	**259588.56**
		Total - B	**85961.11**	**85063.38**	**31616.91**
		Total - C	**67600.03**	**67550.02**	**10112.50**
		Grand Total	**694861.16**	**673563.42**	**301317.97**

परिशिष्ट–तीन (दो)

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास
वित्त वर्ष 2017–18 का बजट

(राशि लाख में)

स. क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	लघुशीर्ष	बजट प्रावधान वर्ष 2017–18 (प्रथम अनुपूरक अनुमान सहित)	बजट आवंटन वर्ष 2017–18	व्यय दिनांक 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7
		Central Schemes				
1	1239	14th Finance Commission Genral Basic Grant	64-191	40000.00	36000.00	18774.12
			64-192	21500.00	19350.00	11615.52
			64-193	17980.00	16182.00	9350.36
		Total - 1239		**79480.00**	**71532.00**	**39740.00**
2	1325	14th Finance Commission Performance Grant	64-191	12698.16	11428.35	0.00
			64-192	6079.84	5471.86	0.00
			64-193	4197.00	3777.30	0.00
		Total - 1325		**22975.00**	**20677.51**	**0.00**
		State Schemes				
3	5831	MP Safai kamgar ayog ka gathan		22.86	27.53	6.60
4	6148	sanchalnalye evam sabhagiya karlaya (Stablishment)		1217.17	1222.22	561.89
5	6286	Lok seva garanti adhiniyam ke antargat pratikar ki rashi ka bhugtan		0.10	0.10	0.00
6	7400	Shinhast mele ki vyavasta (mandey)		0.01	0.01	0.00
7	7406	MP Rajya kesh shilpi kalyan mandal		6.15	6.09	0.00
8	7407	MP Rajya Vastra Swacchta Mandal		3.95	3.90	0.00
9	7408	MP Rajya Silai kala Mandal		3.30	3.25	0.00
		Total		**1253.54**	**1263.10**	**568.49**

10	2181	Nagriya Jal Pradaye Yojna	64-191	2950.00	2655.00	1194.75
			64-192	291.00	261.90	117.86
			64-193	60.00	54.00	24.30
		Total - 2181		**3301.00**	**2970.90**	**1336.91**
11	6062	Rajya Vitt Ayog ki Anushasa anusar peyjal yojna ke liye vidhut Vyaye ki purti		1000.00	900.00	0.00
		Total - 6062		**1000.00**	**900.00**	**0.00**
12	6063	Rajya Vitt Ayog ki Anushasa anusar Vishisht Anudan		1000.00	900.00	0.00
		Total - 6063		**1000.00**	**900.00**	**0.00**
13	6602	Sthaniya Nikayon/Panchyati raj sansthao ko kar saghrahan hetu protshahan anudan	64-191	350.00	315.00	0.00
			64-192	275.00	247.50	0.00
			64-193	150.00	135.00	0.00
		Total - 6602		**775.00**	**697.50**	**0.00**
14	7333	Niryatkar Shatipurti	64-191	2700.00	2700.00	1215.00
			64-192	8740.00	8740.00	3933.00
			64-193	600.27	600.27	270.12
		Total - 7333		**12040.27**	**12040.27**	**5418.12**
15	7398	Nagriya Nikayon ke liye Swacchta Puruskar	64-191	110.00	99.00	0.00
			64-192	60.00	54.00	0.00
			64-193	30.00	27.00	0.00
		Total - 7398		**200.00**	**180.00**	**0.00**
16	7668	Sthaniya Nikayon ko moolbhoot sevao hetu ekmusht Anudan	64-191	4000.00	3600.00	1620.00
			64-192	10900.00	9810.00	4414.50
			64-193	12300.00	11070.00	4981.50
		Total - 7668		**27200.00**	**24480.00**	**11016.00**
17	8017	Sadak Marammat	64-191	6814.47	6133.02	2759.86
			64-192	4273.95	3846.56	1730.95
			64-193	2949.71	2654.74	1194.63
		Total - 8017		**14038.13**	**12634.32**	**5685.44**

18	8018	Chungi Shatipurti pravesh kar	64-191	179876.61	161888.95	72850.02
			64-192	98114.52	88303.07	39736.38
			64-193	78733.87	70860.48	31853.92
		Total - 8018		**356725.00**	**321052.50**	**144440.32**
19	8860	Vetkar pradali lagu hone ls iski shatipurti rashi ka nagriya nikayon ko hastantran	64-191	49480.75	44532.68	20039.70
			64-192	30118.72	27106.85	11716.00
			64-193	20975.53	18877.98	8495.09
		Total - 8860		**100575.00**	**90517.51**	**40250.79**
20	9436	Yatri kar Anudan	64-191	2340.36	2106.32	947.85
			64-192	3878.04	3490.24	1570.61
			64-193	2781.60	2503.44	1126.55
		Total - 9436		**9000.00**	**8100.00**	**3645.01**
21	4035	Mudrank Shulk		18125.00	16312.50	9840.62
		Total - 4035		**18125.00**	**16312.50**	**9840.62**
22	5728	peyjal purti ke liye nagriya nikayon ko karj	64-191	450.00	450.00	0.00
			64-192	320.00	320.00	0.00
			64-193	230.00	230.00	103.50
		Total - 5728		**1000.00**	**1000.00**	**103.50**
23	3115	Bhu-Arjan hetu muavza		1.00	1.00	0.00
		Total - 3115		**1.00**	**1.00**	**0.00**
24	1240	Durghatna me mrat karmiyon ko shatipurti anudan		0.20	0.18	0.00
		Total - 1240		**0.20**	**0.18**	**0.00**
		Total		**648689.14**	**585259.29**	**262045.20**

परिशिष्ट–चार

अमृत मिशन के अंतर्गत मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाऐ

(राशि करोड़ में)

क्र.	निकाय का नाम	जल प्रदाय	सीवरेज	स्टार्म वाटर ड्रेन	लोक परिवहन	अन्य एवं हरित क्षेत्र	कुल
1	इन्दौर	325.00	550.00	10.00	40.00	25.00	950.00
2	भोपाल	*316.00*	450.00	100.00	40.00	25.00	931.00
3	जबलपुर	150.00	350.00	0.00	30.00	15.00	545.00
4	ग्वालियर	214.00	350.00	0.00	25.00	10.00	599.00
5	उज्जैन	75.00	225.00	10.00	15.00	7.50	332.50
6	देवास	25.15	25.00	10.00	10.00	5.00	75.15
7	मुरैना	0.00	*134.00*	0.00	8.00	2.00	144.00
8	सतना	*41.50*	*191.56*	20.00	8.00	5.00	266.06
9	सागर	0.00	*299.10*	0.00	10.00	4.50	313.60
10	रतलाम	0.00	*123.85*	10.00	8.00	3.00	144.85
11	रीवा	*35.58*	*199.37*	20.00	10.00	3.12	268.07
12	कटनी	*24.10*	*96.50*	0.00	10.00	3.00	133.60
13	सिंगरौली	*41.51*	102.55	0.00	8.00	3.00	155.06
14	छिन्दवाडा	75.71	0.00	2.00	6.00	2.50	86.21
15	बुरहानपुर	0.00	75.00	6.00	6.00	2.00	89.00
16	खण्डवा	*41.58*	10.00	0.00	6.00	2.00	59.58
17	भिण्ड	0.00	70.00	0.00	4.00	2.00	76.00
18	गुना	*29.88*	*81.09*	0.00	4.00	2.50	117.47
19	शिवपुरी	15.00	25.00	3.66	4.00	2.50	50.16
20	विदिशा	0.00	86.91	0.00	6.00	2.00	94.91
21	छतरपुर	*61.95*	0.00	0.00	0.00	1.75	63.70
22	मंदसौर	*55.26*	0.00	5.52	0.00	2.13	62.91
23	खरगौन	0.00	50.00	0.00	0.00	1.50	51.50
24	नीमच	*16.18*	*62.03*	0.00	0.00	2.00	80.21
25	पीथमपुर	*84.70*	0.00	0.00	0.00	2.00	86.70
26	दमोह	0.00	50.00	10.00	0.00	2.50	62.50
27	होशंगाबाद	*47.67*	0.00	10.22	0.00	1.90	59.79
28	सीहोर	*12.83*	*50.00*	0.00	0.00	1.50	64.33
29	बैतूल	*32.18*	0.00	0.00	0.00	1.50	33.68
30	सिवनी	0.00	35.00	0.00	0.00	1.50	36.50
31	दतिया	*18.66*	*55.24*	0.00	0.00	1.00	74.90
32	नागदा	14.68	25.00	0.00	0.00	1.10	40.78
33	डबरा	40.96	0.00	0.00	0.00	1.00	41.96
34	ओंकारेश्वर	0.00	0.00	0.00	9.00	1.00	10.00
	कुल	**1795.08**	**3772.20**	**217.40**	**267.00**	**149.00**	**6200.66**

योजनांतर्गत प्रगति

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	निविदा में स्वीकृत राशि (रू.करोड़ में)	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक
1	छतरपुर	जल प्रदाय	61.95	05.09.2016
2	दतिया	जल प्रदाय	18.66	20.07.2016
		सीवरेज	55.24	24.07.2016
3	गुना	जल प्रदाय	29.88	25.05.2016
		सीवरेज	81.09	21.11.2016
4	कटनी	जल प्रदाय	24.10	04.06.2016
		सीवरेज	96.50	16.0.-2017
5	रीवा	जल प्रदाय	35.58	24.08.2016
		सीवरेज	199.37	18.11.2016
6	सतना	जल प्रदाय	41.50	27.05.2016
		सीवरेज	191.56	05.12.2016
7	सिंगरौली	जल प्रदाय	41.51	17.06.2016
		सीवरेज	124.39	17.02.2017
8	सागर	सीवरेज	299.10	08.07.2016
9	मुरैना	सीवरेज	128.07	29.07.2016
10	छिंदवाड़ा	जल प्रदाय	73.56	07.07.2017
11	ग्वालियर	जल प्रदाय	42.30	07.10.2017
			278.35	20.09.2017
		सीवरेज	207.97	25.09.2017
			73.33	28.09.2017
12	जबलपुर	जल प्रदाय	143.34	24.10.2017
		सीवरेज	262.31	28.12.2017
13	शिवपुरी	जल प्रदाय	–	–
		सीवरेज	–	–
14	डबरा	जल प्रदाय	–	–
15	भिण्ड	सीवरेज	79.50	08.12.2017
16	सिवनी	सीवरेज	–	–
17	दमोह	सीवरेज	–	–
18	भोपाल	जल प्रदाय (भोपाल)	263.71	24.10.2017
		जल प्रदाय (कोलार)	136.69	24.11.2016
		जल प्रदाय (भौंरी)	17.97	24.11.2016
		सीवरेज (भोपाल)	145.00	–
		सीवरेज (शाहपुरा झील)	135.00	–
19	खण्डवा	जल प्रदाय–1	12.6	30.06.2016
		जल प्रदाय–2	14.49	30.06.2016
		जल प्रदाय–3	14.49	30.06.2016
20	मंदसौर	जल प्रदाय	55.26	03.06.2016
21	नीमच	जल प्रदाय	16.18	24.05.2016
		सीवरेज	67.89	24.11.2016
22	पीथमपुर	जल प्रदाय	84.7	08.09.2016
23	होशंगाबाद	जल प्रदाय	47.67	30.05.2016

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	निविदा में स्वीकृत राशि (रू.करोड़ में)	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक
24	सीहोर	जल प्रदाय	12.83	30.06.2016
		सीवरेज	50	07.06.2016
25	बैतूल	जल प्रदाय	24.99	01.07.2016
		जल प्रदाय (बेराज निर्माण)	6.93	26.07.2016
26	नागदा	जल प्रदाय	12.84	17.02.2017
27	रतलाम	सीवरेज	136.67	28.12.2016
28	विदिशा	सीवरेज	91.00	28.03.2017
29	खरगौन	सीवरेज	47.46	05.09.2017
30	इंदौर	जल प्रदाय	280.00	01.11.2017
		जल प्रदाय	287.17	16.11.2017
		जल प्रदाय	26.55	17.11.2017
		सीवरेज	183.60	30.12.2017
		सीवरेज	89.75	
31	बुरहानपुर	सीवरेज	88.00	17.08.2017
32	उज्जैन	सीवरेज	402.02	07.11.2017
33	रतलाम	सीवरेज	123.85	28.12.2016

——

परिशिष्ट–पांच

यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

(राशि रू. लाख में)

क्र.	निकाय का नाम	स.क्र	योजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	नगर पालिका विदिशा	1	जल प्रदाय योजना	1557.52
		2	सीवरेज	218.00
		3	सड़क	73.58
2	नगर पालिका इटारसी	4	जल प्रदाय योजना	1467.83
		5	सड़क	844.57
3	नगर परिषद बुदनी	6	जल प्रदाय योजना	194.60
		7	सड़क	504.20
		8	सीवरेज	195.05
4	नगर परिषद रेहटी	9	जल प्रदाय योजना	276.48
		10	सड़क	211.60
		11	सीवरेज	143.48
5	नगर पालिका सीहोर	12	जल प्रदाय योजना	1454.52
6	नगर पालिका ब्यावरा	13	जल प्रदाय योजना	709.47
7	नगर पालिका सिरोंज	14	जल प्रदाय योजना	622.95
8	नगर पालिका आष्टा	15	जल प्रदाय योजना	980.40
		16	सड़क	541.28
9	नगर परिषद नसरूल्लागंज	17	जल प्रदाय योजना	488.96
		18	सड़क	365.39
10	नगर पालिका होशंगाबाद	19	जल प्रदाय योजना	1615.26
11	नगर पालिका हरदा	20	जल प्रदाय योजना	1735.00
12	नगर पालिका गढ़ाकोटा	21	जल प्रदाय योजना	596.36
		22	सडक	143.76
13	नगर पालिका दमोह	23	जल प्रदाय योजना	874.20
		24	जीर्ण–शीर्ण पाईप लाईन को बदलना	62.35
		25	गजानन वितरण नलिका का उन्नयन	130.17
		26	तालाब संरक्षण	53.00
		27	सडक	418.97
		28	जलप्रदाय फेस– 2	3715.95
14	नगर पालिका टीकमगढ़	29	जल प्रदाय योजना	983.18
15	नगर पालिका रहली	30	जल प्रदाय योजना	602.35
16	नगर पालिका छतरपुर	31	जल प्रदाय योजना	1593.80
17	नगर पालिका पन्ना	32	जल प्रदाय योजना	1808.37
18	नगर निगम सागर	33	सीवरेज	7661.55
19	नगर पालिका जावरा	34	जल प्रदाय योजना	663.00
20	नगर निगम रतलाम	35	जल प्रदाय योजना	3265.10

21	नगर निगम देवास	36	जल प्रदाय योजना	5837.00
		37	जल प्रदाय योजना–2	3975.00
		38	सीवरेज	14062.53
		39	सड़क	1254.50
22	नगर पालिका शुजालपुर	40	जल प्रदाय योजना	1745.32
		41	सड़क	499.00
23	नगर पालिका मंदसौर	42	जलस्त्रोत उन्नयन	1552.45
		43	जलप्रदाय	5636.37
24	नगर पालिका आगर	44	जल प्रदाय योजना	1005.80
25	नगर पालिका शाजापुर	45	जल प्रदाय योजना	996.00
26	नगर निगम खण्डवा	46	जल प्रदाय योजना	10672.30
27	नगर पालिका सनावद	47	जल प्रदाय योजना	729.68
28	नगर पालिका मलाजखंड	48	जल प्रदाय योजना	525.42
		49	सड़क एवं नाली	829.43
		50	नाला निर्माण	27.60
29	नगर निगम कटनी	51	जल प्रदाय योजना	4080.95
		52	सड़क	4567.00
30	नगर पालिका डबरा	53	जल प्रदाय योजना	1441.84
		54	जल स्त्रोत उन्नयन	1112.10
31	नगर निगम ग्वालियर	55	सीवरेज,	6650.00
32	नगर पालिका शिवपुरी	56	जल प्रदाय योजना	5964.66
		57	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	649.76
33	नगर निगम रीवा	58	जल प्रदाय योजना	1427.87
34	नगर पालिका पार्ढुना	59	जल प्रदाय योजना	4611.62
		60	सड़क फेस– 2	2063.75
		61	सड़क	2054.76
35	नगर निगम छिन्दवाड़ा	62	जल प्रदाय योजना	5732.87
		63	सड़क	5352.70
		64	सड़क एवं नाली फेस– 2	2736.76
		65	आर.यू.बी.	1245.82
		66	तालाब संरक्षण	382.87
36	नगर पालिका डोंगर परासिया	67	जल प्रदाय योजना	3013.33
		68	सड़क	1098.03
		69	सड़क एवं नाली	1206.37
37	नगर पालिका सौसर	70	जल प्रदाय योजना	1930.22
		71	सड़क	2332.73
38	नगर परिषद पिपलानारायणवार	72	जल प्रदाय योजना	81.20
		73	जल प्रदाय योजना फेस–2	773.34
		74	सड़क	408.09
39	नगर पालिका चौरई	75	जल प्रदाय योजना	886.38
		76	सड़क	189.17
40	नगर पालिका पिपरिया	77	जल प्रदाय योजना	2408.11
		78	सड़क	385.46
41	नगर पालिका बैतुल	79	जल प्रदाय योजना	3262.07

42	नगर पालिका मुलताई	80	जल प्रदाय योजना	1929.60
		81	सड़क	723.34
43	नगर परिषद खुरई	82	जल प्रदाय योजना	3662.82
		83	सड़क	457.60
44	नगर पालिका बीना	84	जल प्रदाय योजना	3875.50
45	नगर पालिका सीधी	85	जल प्रदाय योजना	2118.55
46	नगर परिषद खिरकिया	86	जल प्रदाय योजना	1225.70
47	नगर पालिका महिदपुर	87	जल प्रदाय योजना	1683.75
48	नगर परिषद जुन्नारदेव	88	सड़क	345.96
		89	जलप्रदाय	2432.07
49	नगर पालिका अमरवाड़ा	90	जलप्रदाय	1609.30
		91	सड़क	424.16
		92	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	128.80
50	नगर निगम सतना	93	जलप्रदाय	8087.57
51	नगर पालिका सबलगढ़	94	सड़क	459.10
		95	ड्रेनेज	980.94
52	नगर पालिका करेली	96	सड़क	444.47
		97	जलप्रदाय	3550.77
53	नगर पालिका आमला	98	सड़क	477.66
54	नगर पालिका दमुआ	99	सड़क	652.52
		100	सड़क एवं नाली	611.30
		101	जलप्रदाय	1479.19
55	नगर पालिका मनावर	102	सड़क	475.15
		103	जलप्रदाय	1125.60
56	नगर पालिका वारासिवनी	104	जलप्रदाय	2232.00
		105	सड़क	810.96
57	नगर पालिका अनूपपुर	106	जलप्रदाय	1521.22
58	नगर पालिका बेगमगंज	107	जलप्रदाय	1392.22
59	नगर परिषद चुईट	108	सड़क	232.10
60	नगर परिषद हर्रई	109	सड़क	177.27
		110	जलप्रदाय	873.87
		111	सड़क एवं नाली	324.93
61	नगर परिषद चाँदामेटा	112	सड़क	321.30
		113	जलप्रदाय	1432.20
62	नगर परिषद चित्रकुट	114	जलप्रदाय	1319.68
63	नगर परिषद बरकुही	115	जलप्रदाय	1211.82
		116	सड़क	476.42
64	नगर परिषद शमशाहबाद	117	जलप्रदाय	882.47
65	नगर परिषद बैकुंठपुर	118	जलप्रदाय	732.75
66	नगर परिषद तेंदुखेड़ा (नरसिंहपुर)	119	जलप्रदाय	1028.64
67	नगर परिषद शाहगंज	120	जलप्रदाय	436.45
		121	सड़क	477.96
68	नगर परिषद शामगढ़	122	जलप्रदाय	2374.00

69	नगर परिषद हिन्डोरिया	123	जलप्रदाय	1138.34
70	नगर परिषद आठनेर	124	सड़क	217.90
		125	जलप्रदाय	1309.00
71	नगर पालिका गुना	126	जलप्रदाय	7140.42
72	नगर पालिका राजगढ़	127	जलप्रदाय	1907.76
73	नगर परिषद राजपुर	128	सड़क	489.00
74	नगर परिषद मण्डलेश्वर	129	जलप्रदाय	799.29
		130	सड़क	659.08
75	नगर पालिका सिवनी	131	जलप्रदाय	4735.80
76	नगर परिषद जीरन	132	जलप्रदाय	549.92
77	नगर परिषद मल्हारगढ़	133	जलप्रदाय	548.92
78	नगर परिषद पिपल्यामण्डी	134	जलप्रदाय	968.72
		135	सड़क	487.50
79	नगर परिषद रामपुरा	136	जलप्रदाय	1956.37
80	नगर परिषद सुवासरा	137	जलप्रदाय	1764.30
81	नगर परिषद भेड़ाघाट	138	सड़क	603.40
82	नगर परिषद सिंगौली	139	सड़क	264.71
83	नगर परिषद लोधीखेड़ा	140	सड़क	417.33
		141	जलप्रदाय	611.76
84	नगर परिषद सोनकच्छ	142	सड़क	499.00
85	नगर परिषद मोहगांव	143	सड़क	462.18
		144	जलप्रदाय	848.87
86	नगर परिषद पिपलरवां	145	सड़क	364.70
		146	जलप्रदाय	964.22
87	नगर परिषद न्यूटन चिखली	147	सड़क	604.25
		148	सड़क एवं नाली	163.30
		149	जलप्रदाय	1055.90
88	नगर परिषद चंदेरी	150	सड़क	614.85
89	नगर परिषद मुंगावली	151	जलप्रदाय	1070.40
		152	सड़क	550.00
90	नगर परिषद कोलारस	153	सड़क	1234.03
91	नगर परिषद पृथ्वीपुर	154	सड़क	504.80
92	नगर पालिका पोरसा	155	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	236.47
		156	जलप्रदाय	959.25
93	नगर निगम सिंगरौली	157	जलप्रदाय	7795.24
94	नगर पालिका कोलार	158	जलप्रदाय	5210.42
95	नगर पालिका बड़वाह	159	जलप्रदाय	1704.96
96	नगर पालिका मण्डला	160	सड़क एवं नाली	133.22
97	नगर पालिका चाचौड़ा–बीनागंज	161	सड़क एवं नाली	134.27
98	नगर परिषद ईसागढ़	162	सड़क	629.40
99	नगर परिषद चिचौली	163	सड़क	200.00
100	नगर पालिका देवरी	164	जलप्रदाय	2301.68
101	नगर पालिका बालाघाट	165	जलप्रदाय	4283.00
102	नगर पालिका कोतमा	166	जलप्रदाय	1799.58

103	नगर पालिका नीमच	167	जलस्त्रोत उन्नयन	1545.98
104	नगर परिषद लांजी	168	सड़क	815.88
		169	जलप्रदाय	1825.00
105	नगर परिषद लखनादौन	170	सड़क	519.37
106	नगर परिषद बैहर	171	सड़क	405.61
107	नगर परिषद सतवास	172	जलप्रदाय	1397.40
108	नगर परिषद बाड़ी	173	जलप्रदाय	785.60
109	नगर परिषद सिरमौर	174	जलप्रदाय	980.00
110	नगर परिषद भैंसदेही	175	सड़क	483.00
111	नगर परिषद पाटन	176	सड़क	329.60
112	नगर परिषद डही	177	जलप्रदाय	931.80
113	नगर परिषद बल्देवगढ़	178	जलप्रदाय	1264.80
114	नगर परिषद शाहपुरा	179	जलप्रदाय	1368.66
कुल योग				**284936.37**

परिशिष्ट–छः

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजनांतर्गत स्वीकृत पेयजल योजनाए

(राशि लाख में)

क्र.	संभाग	जिले का नाम	निकाय का नाम	जनसंख्या 2011	योजना की स्वीकृत राशि
1	इन्दौर	धार	नगर पालिका धार	93917	2174.54
2			नगर परिषद् राजगढ़ (धार)	20668	898.25
3			नगर परिषद् सरदारपुर	7293	405.49
4			नगर परिषद् कुक्षी	28331	1848.08
5			नगर परिषद् बदनावर	20917	952.31
6			नगर पालिका पीथमपुर	126200	2766.99
7			नगर परिषद् धरमपुरी	16363	911.35
8		झाबुआ	नगर पालिका झाबुआ	36000	4762.66
9			नगर परिषद्, रानापुर	12371	1955.01
10			नगर परिषद्, थांदला	15756	1368.13
11		बड़वानी	नगर पालिका बड़वानी	55504	1990.05
12			नगर परिषद् पलसूद	10113	676.26
13			नगर परिषद्, अंजड़	26289	1095.01
14			नगर परिषद्, खेतिया	15739	2121.72
15		खण्डवा	नगर परिषद् पंधाना	13694	998.00
16			नगर परिषद् ओंकारेश्वर	10063	720.14
17			नगर परिषद् मूंदी	12889	578.92
18		अलीराजपुर	नगर परिषद् जोबट	16971	1251.92
19		खरगौन	नगर परिषद् भीकनगांव	16217	760.93
20		इन्दौर	नगर परिषद् सांवेर	16150	851.28
21			नगर परिषद् मानपुर	7621	488.88
22			नगर परिषद् राऊ	36055	932.77
23			नगर परिषद् हातौद	10425	648.67
24			नगर परिषद् महूँगांव	30012	1078.40
25	भोपाल	विदिशा	नगर पालिका विदिशा	155954	3355.91
26			नगर पालिका गंजबासौदा	78289	4216.00
27			नगर परिषद्, कुरवई	15487	1243.42
28		भोपाल	नगर पालिका बैरसिया	30951	1745.98
29		रायसेन	नगर परिषद् सुल्तानपुर	10268	787.35

क्र.	संभाग	जिले का नाम	निकाय का नाम	जनसंख्या	योजना की
30			नगर पालिका रायसेन	44162	3317.60
31			नगर परिषद्, गैरतगंज	18184	1756.89
32			नगर पालिका मण्डीदीप	59677	1307.77
33			नगर परिषद् औबेदुल्लागंज	22845	1343.63
34			नगर परिषद् सिलवानी	18623	1755.64
35			नगर परिषद्, बरेली	31579	2659.18
36			नगर परिषद् खिलचीपुर	18928	999.36
37			नगर पालिका सारंगपुर	37435	1353.08
38			नगर परिषद् जीरापुर	21724	876.35
39			नगर परिषद् तलेन	10588	638.52
40		राजगढ़	नगर परिषद् ब्यावरा	49093	939.79
41			नगर परिषद् छापीहेड़ा	8501	517.27
42			नगर परिषद् माचलपुर	9556	569.41
43			नगर परिषद्, नरसिंहगढ़	32229	2389.87
44			नगर परिषद्, सुठालिया	10596	1076.36
45			नगर परिषद्, बुधनी	16808	697.37
46		सीहोर	नगर पालिका, सीहोर	109118	251.05
47			नगर परिषद्, इछावर	14582	1015.77
48			नगर परिषद् नसरूल्लागंज	23743	266.00
49		सीहोर	नगर परिषद् आष्टा	53184	1804.00
50			नगर परिषद् रेहटी	11616	189.00
51		हरदा	नगर परिषद् टिमरनी	22359	1923.58
52	**भोपाल**		नगर परिषद् बाबई	16741	951.62
53		होशंगाबाद	नगर पालिका सिवनीमालवा	30100	2286.19
54			नगर पालिका इटारसी	99330	2246.00
55		बैतूल	नगर परिषद्, चिचौली	9278	595.83
56			नगर पालिका शहडोल	86681	3614.19
57		शहडोल	नगर परिषद् जयसिंहनगर	8233	1012.71
58			नगर परिषद् धनपुरी	45156	1645.82
59	**रीवा**		नगर परिषद्, बुढ़ार	19276	1535.93
60		रीवा	नगर निगम रीवा (फेस 1 एवं 2)	235654	4718.06
61			नगर परिषद् गुढ़	14608	793.00
62			नगर परिषद् चाकघाट	10678	453.36

क्र.	संभाग	जिले का नाम	निकाय का नाम	जनसंख्या	योजना की
63			नगर परिषद् सेमरिया	13446	808.48
64			नगर परिषद् त्यौंथर	17039	1046.86
65			नगर परिषद् हनुमना	16771	1035.34
66			नगर परिषद्, नईगढ़ी	10401	751.05
67			नगर परिषद् गोविन्दगढ़	10547	1127.32
68		सतना	नगर परिषद् रामपुर बघेलान	13638	1304.00
69			नगर परिषद्, नागौद	22567	1879.03
70			नगर परिषद् उचेहरा	18377	1414.32
71		उमरिया	नगर पालिका उमरिया	33102	1559.51
72			नगर परिषद् नौरोजाबाद	21883	1581.00
73			नगर परिषद् पाली	22324	1169.33
74		अनूपपुर	नगर परिषद् अमरकंटक	8416	1256.00
75			नगर परिषद्, बिजुरी	32682	1686.10
76			नगर परिषद्, पसान	28447	1991.00
77		सीधी	नगर परिषद् चुरहट	14962	776.14
78			नगर परिषद्, मझौली	11907	1638.57
79	**सागर**	सागर	नगर पालिक निगम सागर	274556	133.38
80			नगर परिषद् शाहगढ़	16300	895.45
81			नगर पालिका, गढ़ाकोटा	30796	627.28
82			नगर पालिका, खुरई	51108	228.80
83			नगर परिषद् बण्डा	30966	547.83
84		पन्ना	नगर परिषद् अमानगंज	13886	2029.59
85		दमोह	नगर पालिका दमोह	139415	2634.75
86			नगर परिषद् पथरिया	21026	2228.20
87		छतरपुर	नगर पालिका नौगांव	40580	2780.67
88			नगर परिषद् लवकुशनगर	22075	1481.00
89		टीकमगढ़	नगर परिषद् निवाडी	23724	2103.40
90			नगर परिषद् तरीचरकलां	7674	1493.03
91			नगर परिषद् ओरछा	11511	578.23
92			नगर पालिका पलेरा	17493	1268.93
93	**उज्जैन**	आगर–मालवा	नगर परिषद् नलखेड़ा	16690	480.33
94			नगर परिषद् बड़ागांव	7217	964.40
95			नगर परिषद् बड़ौद	13834	844.38
96			नगर परिषद्, कानड़	10457	656.43

क्र.	संभाग	जिले का नाम	निकाय का नाम	जनसंख्या	योजना की
97			नगर परिषद्, सोयतकलां	14471	1250.80
98	उज्जैन	रतलाम	नगर निगम रतलाम	264914	2392.99
99			नगर परिषद् ताल	14913	777.01
100			नगर परिषद् नामली	9774	595.41
101			नगर परिषद् बड़ावदा	8700	691.55
102			नगर परिषद् पिपलौदा	7302	448.25
103		देवास	नगर परिषद् टोंकखुर्द	7979	484.15
104			नगर परिषद् भौरासा (पुनरीक्षित)	12166	711.68
105			नगर परिषद् करनावद	11266	950.22
106			नगर परिषद्, कन्नौद	17744	2002.64
107			नगर परिषद्, सोनकच्छ	16532	1076.08
108		नीमच	नगर पालिका नीमच	128561	3367.75
109			नगर परिषद् सिंगौली	9523	891.42
110			नगर परिषद् मनासा	26551	780.85
111		नीमच	नगर परिषद् रतनगढ़	7994	563.28
112			नगर परिषद् जावद	17129	1108.26
113		शाजापुर	नगर परिषद् मक्सी	20088	1540.39
114			नगर परिषद् अकोदिया	11652	1129.64
115		मंदसौर	नगर परिषद् नारायणगढ़	10191	425.90
116			नगर परिषद् सीतामऊ	14056	2146.68
117			नगर परिषद् भानपुरा	21000	914.86
118		उज्जैन	नगर परिषद् उन्हेल	14774	1116.00
119			नगर पालिका बड़नगर	36438	2090.42
120			नगर परिषद् तराना	24908	799.20
121			नगर परिषद् खाचरौद	34191	1628.63
122	जबलपुर	बालाघाट	नगर परिषद् बैहर (फेस–1 एवं 2)	16651	1126.55
123			नगर परिषद्, कटंगी	16143	1465.00
124			नगर परिषद्, लांजी	13782	1871.00
125		मण्डला	नगर पालिका मण्डला	55133	2471.17
126			नगर परिषद्, भुआ बिछिया	10423	708.47
127			नगर परिषद्, नैनपुर	22618	2123.69
128		डिण्डोरी	नगर परिषद् डिण्डोरी	21323	843.00
129			नगर परिषद् शाहपुरा	13601	1283.15
130		सिवनी	नगर परिषद्, लखनादौन	17302	1592.39
131			नगर परिषद्, बरघाट	11700	1141.63
132		नरसिंहपुर	नगर पालिका, नरसिंहपुर	59966	3217.95

क्र.	संभाग	जिले का नाम	निकाय का नाम	जनसंख्या	योजना की
133			नगर परिशद्, गाडरवाड़ा	47000	2559.78
134			नगर परिषद्, गोटेगांव	38090	2337.76
135		छिन्दवाड़ा	नगर परिषद्, बिछुआ	6678	519.64
136			नगर पालिका पांढुना	68500	3894.00
137	**ग्वालियर**	ग्वालियर	नगर निगम, ग्वालियर	1054420	480.00
138			नगर परिषद् भितरवार	19096	958.69
139		शिवपुरी	नगर परिषद् खनियाधाना	15877	566.00
140			नगर परिषद् कोलारस	19828	1780.68
141			नगर परिषद्, नरवर	19385	1001.62
142		दतिया	नगर परिषद् बड़ौनी	10309	456.36
143			नगर परिषद्, भाण्डेर	25204	1370.75
144			नगर परिषद्, इंदरगढ़	23045	2325.55
145		अशोकनगर	नगर पालिका अशोकनगर	81828	1326.71
146			नगर पालिका चंदेरी	33081	1129.95
147			नगर परिषद्, मुंगावली	20685	317.95
148	**ग्वालियर**	गुना	नगर परिषद् कुम्भराज	19707	1481.71
149			नगर परिषद्, चाचौड़ा–बीनागंज	21785	964.12
150		मुरैना	नगर पालिका सबलगढ़	40333	2120.03
151			नगर पालिका अम्बाह	47177	2721.45
152			नगर परिषद्, बामौर	32838	1500.41
153		भिण्ड	नगर परिषद्, मौ	20147	2193.93
कुल योग				**5899661**	**213819.90**